खण्ड-182, अंक-4
सोमवार, 25 चैत्र, शक संवत् 1879
(15 अप्रैल, 1957 ई0)

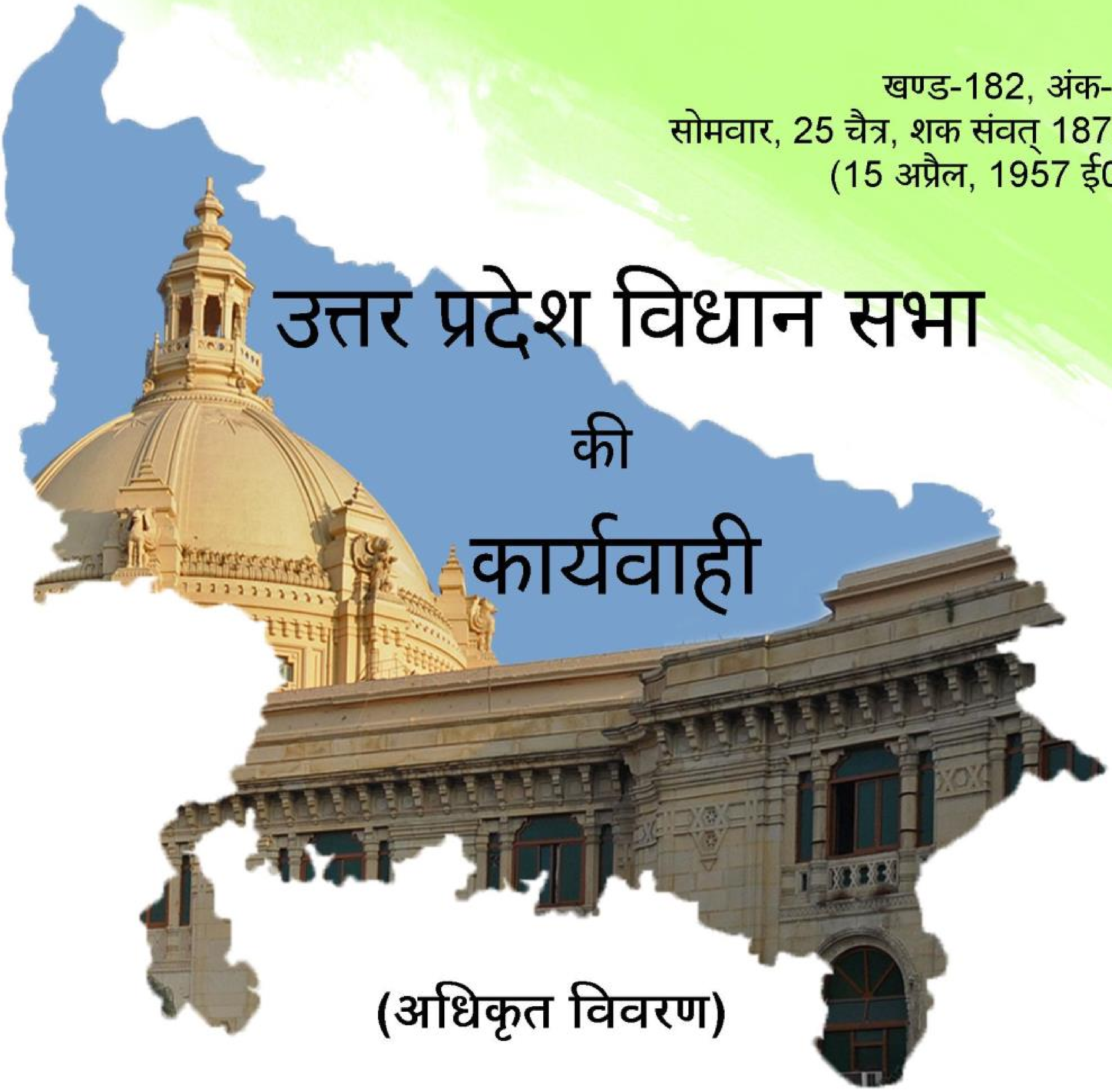

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 182 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना	४१–४२
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली (निर्वाचन नियम) के नियम २६ (१) में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये) ..	४२
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली, १९५४ में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, १९५२ में किये गये संशोधन (मेज पर रखे गये)	४२
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३ (क) के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्तियां (मेज पर रखी गईं)	४२–४३
यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १८३८ के अधीन बनाये गये सारनाथ मेला नियम, १९५७ (मेज पर रखे गये)	४३
राज्य मद्य-निषेध बोर्ड के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४३
रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के चार रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	४३–४४
समिति की सदस्यता के सम्बन्ध में जानकारी	४४–४५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ में किये गये संशोधनों पर विवादार्थ समय की मांग	४५
राज्य मद्य-निषेध बोर्ड तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	४६
सदन की बैठक शनिवार, २७ अप्रैल तथा ४ मई, १९५७ को भी करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	४६–५८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	५८–१०४
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरः स्थापित किया गया) ..	१०४
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	१०५
नत्थी	१०६–१०९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २५ चैत्र, शकाब्द १८७९
(१५ अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३५५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री, उपनाम छन्नन गुरु
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गफूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदनारायण तिवारी, श्री
गोविंदसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती

फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलखानसिंह श्री, (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा , श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री

सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

अधिष्ठाता मंडल के लिये नाम-निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—पहले मैं आदरणीय सदन को सूचना देना चाहता हूं कि मैं पेनल आफ चेयरमैन या अधिष्ठाता मंडल के लिए १० सदस्य मनोनीत कर सकता हूं। उसमें से मैंने फिलहाल ८ किये हैं और २ को बाद में मनोनीत करूंगा, क्योंकि उस पर मुझे और पार्टियों से भी बातचीत करना है। ये हैं सर्वश्री बेचनराम गुप्त, सुल्तान आलम खां, द्वारकाप्रसाद मित्तल, हरिश्चन्द्रसिंह, गेंदासिंह, रामनारायण त्रिपाठी, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव और श्री मलखानसिंह।

मुख्य विरोधी दल और नेता, विरोधी दल, के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—इसके बाद मैं एक सूचना और देना चाहता हूं। अब की बार विरोधी दल कई ग्रुप्स या कई दलों में यहां आया हुआ है उसमें मुख्य विरोधीदल कौन-सा हो, उसका निर्णय भी मैंने वैसे तो दे दिया है, लेकिन आदरणीय सदन को सुना देना चाहता हूं।

मुख्य विरोधी दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा क्योंकि इसी के सबसे अधिक संख्या में सदस्य हैं। इसके नेता श्री त्रिलोकीसिंह विरोधी दल के नेता कहलायेंगे।

जहां तक इस सम्बन्ध में सिद्धांत की बात है, एक आम सिद्धांत पूरे अपने देश में कायम करने का प्रयत्न अध्यक्ष और प्रेजाइडिंग आफिसर्स की जो सभायें हुईं, उनमें किया गया और हम लोगों की अधिकतर राय यह रही कि जिस दल के सदस्य इतने हों तादाद में जिससे कोरम पूरा होता हो, दूसरे जो दल पार्लियामेंट में या विधान सभा में भी कार्य करता हो और बाहर भी चुनाव लड़ता हो और उसका कोई प्रोग्राम हो, ऐसे दल को विरोधी दल, यानी पार्टी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बाकी दलों को ग्रुप्स कहना चाहिये, लेकिन हमारे यहां हिन्दी भाषा है। तो हम सबको दल ही कहते हैं। यहां पर मैंने उस चीज को पिछली मर्तबा स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि यहां विरोधी दल, सब दल मिला कर ४०,४३ थे। इस अवस्था में अगर विरोधी दल को प्रोत्साहन देना है कि विरोधी दल होना आवश्यक है, पार्लियामेंट्री पद्धति में, तो बहुमत में जो दल हो उसको मैं पार्टी के रूप में स्वीकार कर लूं और उसी तरह से स्वीकार किया। दूसरे दल को भी जो उससे कम तादाद में था उसको भी कुछ सहूलियतें कमरे वगैरह की दीं। तो यह सहूलियत तो अलग बात है। मैं तो समझता हूं कि हमारे यहां इमारतें और अधिक बन जायं, अधिक तादाद में कमरे बन जायं तो छोटा से छोटा दल या ग्रुप हो, उसके लिये भी कमरा मिल जाय और सहूलियत हो जाय क्योंकि विरोधी दल जो है वह तभी जिम्मेदारी के साथ टीका-टिप्पणी कर सकता है जबकि उसके सदस्य विचार-विनिमय कर सकें, पुस्तकें पढ़ सकें, किसी कमरे में बैठ सकें। यहां लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। घर बैठ कर यह कार्य नहीं होता। इस दृष्टि से मैं प्रयत्न अवश्य करूंगा कि अधिक से अधिक जो कमरे मिल जायं उसके हिसाब से और ग्रुपों को भी वह स्थान मिल सके, कमरा मिल सके। इसका प्रयत्न करूंगा कि सहूलियतें मिल जायं।

यहां मुख्य विरोधी दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी होगा, यह आज मैं फिलहाल इसका निर्णय कर देता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

अब चूंकि मैं बहुत अधिक समय तक फिलहाल नहीं बैठ सकता इस अस्वस्थता की अवस्था में और मुलाकातें भी बहुत लोग करते हैं, तो मैं आपसे इस बात की क्षमा चाहूंगा कि अंडर ग्राउण्ड में चला जाऊं कुछ दिन के लिये, तब कहीं शक्ति आयेगी। क्योंकि दिल की परिस्थिति तो अच्छी है, वह बिलकुल ठीक हो गया, वह कहते हैं, लेकिन शक्ति आने के लिये कुछ संचय भी होना चाहिए, इसलिये अंडर ग्राउण्ड जाना लाजमी होगा।

मैं समझता हूं कि अधिष्ठाता मंडल के सदस्य बारी-बारी से इस सदन के कारोबार को चलायेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कुर्सी पर बैठ कर हर शख्स निष्पक्ष ही होगा चाहे किसी दल का क्यों न हो।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष---अब यह श्रीमान् राज्यपाल जी का प्रथा के अनुसार जो अभिभाषण था उसका मैं पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूं और बाकी जो घोषणाएं हैं और अभिभाषण पर प्रस्ताव होंगे ये अधिष्ठाता मंडल के सदस्य बैठेंगे तो उनके सामने होंगे।

"विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान मंडल के सदस्यगण,

बड़ी ही खुशी और संतोष के साथ मैं इस नये विधान मंडल के इस प्रथम सत्र को सम्बोधित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं और आप सब को निर्वाचकों का विश्वास प्राप्त करने के लिये बधाई देता हूं। निस्संदेह, हमें कुछ पुराने सदस्यों का वियोग अवश्य रहेगा जिन्होंने सभा के वाद-विवाद में महत्वपूर्ण योगदान किया है। साथ ही साथ हम यह भी आशा करते हैं कि वे नये सदस्य जो निर्वाचित हो कर आये हैं, उन उच्च परम्पराओं को बनाये रक्खेंगे जिनसे इस सभा का वाद-विवाद विशेषता प्राप्त करता है।..."

अन्तिम वाक्य यह है कि --

"और मैं इस राज्य को, जो कि भारत का एक प्रधान राज्य है, इस विश्वास के साथ छोड़ूंगा कि यह सम्पन्नता की ओर बढ़ता रहेगा और देश की सेवा तथा उस दायित्व के आदर्श की पूर्ति में योगदान देगा जिस पर कि हमारी परम्पराएं आधारित हैं।"

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे सदन को इस बात की सूचना दें कि बैठक का कार्यक्रम क्या रहेगा, कौन-कौन तारीखों में सदन बैठेगा।

सदन के कार्यक्रम की सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, ऐसा विचार है कि सदन की यह बैठक १८ तारीख तक होगी। उसके बाद १९ तारीख से लेकर २६ तारीख तक सदन की कोई बैठक नहीं होगी। फिर ऐसा विचार है कि २७ को बैठक हो, २८ को नहीं होगी। २९, ३० को दो दिन फिर बैठक हो। पहली, दूसरी और तीसरी मई को ईद की वजह से बैठक नहीं होगी। उसके बाद चौथी तारीख से बैठक होगी। और फिर हम ऐसी आशा करते हैं कि ८ तारीख तक काम समाप्त हो जायगा। यदि नहीं समाप्त हुआ और आवश्यकता हुई तो ९ तारीख को बैठक हो सकती है।

मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा खयाल तो यह था कि बैठक बहुत जल्द समाप्त कर दी जाय, २५-२६ तारीख तक, ताकि गवर्नमेंट को भी नये बजट के सम्बन्ध में सोचने का अवसर मिले और अब गर्मी भी पड़ने लगी। कल तो मैं यहां नहीं था, लेकिन आने पर मालूम हुआ कि कल यहां लू भी चली। तो माननीय सदस्यों को गरमी में यहां रहने में कष्ट भी न हो, ऐसा हमारा विचार है। परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गईं जिनकी वजह से बैठक बढ़ानी पड़ी। एक तो २७ और २८ को कौन्सिल आफ स्टेट्स का चुनाव है। फिर ६ मई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ऐसा हमारा विश्वास है कि माननीय सदस्य निश्चय ही इन चुनावों में भाग लेना चाहेंगे। इसी वजह से बैठकों को यह रूप देना पड़ा।

१९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का द्वितीय पूरक) विधेयक

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि १९५७ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ का द्वितीय पूरक) विधेयक पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ मार्च, १९५७, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ मार्च, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २८ मार्च, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का ११ वां अधिनियम बन गया।

(इस समय ११ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

दंड विधि (अपराधों के प्रशासन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अधिष्ठाता—मैं घोषणा करता हूं कि दंड विधि (अपराधों के प्रशासन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३ सितम्बर, १९५६ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ अक्तूबर, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २२ मार्च, १९५७ को प्राप्त हो गयी और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का १२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७

श्री अधिष्ठाता—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५२-५३ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ मार्च, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ मार्च, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २९ मार्च, १९५७, को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का १३ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७

श्री अधिष्ठाता—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २६ मार्च, १९५७ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ मार्च, १९५७ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० मार्च, १९५७, को प्राप्त हो गई और वह १९५७ का उत्तर प्रदेश का १४ वां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—आज भी पांच ऐडजर्नमेंट मोशंस आये हुए हैं और आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर तीन दिन तक भाषण होंगे। इस वास्ते मैंने इन पांचों ऐडजर्नमेंट मोशंस की अनुमति नहीं दी है, मगर जो विषय प्रस्तावकर्ताओं ने दिये हैं उन पर वे राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर बोलते समय बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक सूचना जरा चाहता हूं। यह जो ऐडजर्नमेंट मोशंस के विषय हैं यदि वह राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर संशोधन के रूप में न आये हों और जो प्रस्तावक उसमें फिर अपने संशोधन को बढ़ाना चाहते हों तो फिर आपकी इस व्यवस्था के अनुसार उनको बढ़ाने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—उसकी आवश्यकता नहीं है। आप उस पर बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—ट्रेजरी बेंच के लोग प्वाइंट आफ आर्डर फिर न उठायेंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली (निर्वाचन नियम) के नियम २६(१) में किये गये संशोधन*

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली (निर्वाचन नियम) के नियम २६ (१) में पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६१५१/३३—२४२-५६, दिनांक २१ नवम्बर, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन*

मादक-कर राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५१४२(टी० एम०)/३०—४४७१ (टी)-५५, दिनांक २९ दिसम्बर, १९५६ तथा संख्या १२७ (टी० एम०)/३०—४८४० (टी०)-५६, दिनांक १५ जनवरी, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, १९५४ में माल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८८६०—१(अ)/५१३-५६, दिनांक २४ जनवरी, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, १९५२ में किये गये संशोधन*

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली, १९५२ में माल विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३१५ (आर०) ४/१(अ)—१०४२-५५, दिनांक २० फरवरी, १९५७ तथा संख्या १७१५—१ (अ)/१०४२-५५, दिनांक २० मार्च, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३(क) के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३(क) के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एस० टी०-६०६९/१०—१०९७-५६, दिनांक ३० सितम्बर, १९५६, संख्या एस० टी० ६५१०/१०—९५३(१)-५४, दिनांक ३१ अक्तूबर, १९५६, संख्या एस० टी० ४१७/१-०-९०२ (९)-

* छापे नहीं गये।

† छापी नहीं गयी।

५२, दिनांक जनवरी ३१, १९५७, तथा संख्या एस० टी० ४१८/१०—९०२-९-५२, दिनांक ३१ जनवरी, १९५७ को उक्त धारा ३ (क) की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—बिक्री-कर अधिनियम के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं इनके सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि वाद-विवाद के लिये विशेष रूप से कोई समय निश्चित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अच्छी बात है।

यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १८३८ के अधीन बनाए गए सारनाथ मेला नियम, १९५७*

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मैं यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १८३८ के अधीन बनाये गये सारनाथ मेला नियम, १९५७, को उक्त ऐक्ट की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्य मद्य-निषेध बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

मादक-कर राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट प्राहिबिशन बोर्ड (राज्य मद्य-निषेध बोर्ड) में कार्य करने के लिये इस सदन को चार सदस्यों का निर्वाचन सरकारी विज्ञप्ति संख्या १०९४/५५-ई०—१३-३२५-५४, दिनांक नवम्बर २०, १९५६ के अनुसार करें।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, स्टेट प्राहिबिशन बोर्ड (राज्य मद्य निषेध बोर्ड) में कार्य करने के लिये इस सदन के चार सदस्यों का निर्वाचन सरकारी विज्ञप्ति संख्या १०९४/५५-ई०—१३-३२५-५४, दिनांक नवम्बर २०, १९५६ के अनुसार करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के चार रिक्त स्थानों पर सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट की सदस्यता के लिये विधान सभा द्वारा चुने गये सर्वश्री फूलसिंह, राधाकृष्ण अग्रवाल, गंगा प्रसाद सिनहा तथा वीरेन्द्रशाह की कार्यावधि समाप्त हो जाने से रिक्त हुए स्थानों पर इस सदन के चार सदस्यों का निर्वाचन रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ के अनुसार करें।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं एक इत्तिला हासिल करना चाहता हूं इस सिलसिले में। यह भी इजाजत चाहता हूं कि बैठे बैठे निवेदन करूं। यह श्री राधाकृष्ण जी अग्रवाल किस हैसियत से मेम्बर थे जिनकी यह जगह खाली हुई है?

श्री अधिष्ठाता—वह असेम्बली के सदस्य थे।

---

* छापे नहीं गये।

श्री त्रिलोकीसिंह—असेम्बली की मेम्बरी से वे कब हट गये थे ?

श्री अधिष्ठाता—उनके हटे हुए काफी अर्सा हो गया।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके हटने के बाद यह जगह इतने दिन क्यों खाली रही ? असेम्बली को अवसर क्यों नहीं मिला उनका स्थान भरने के लिए ?

श्री अधिष्ठाता—उनकी जगह जो खाली पड़ी है उसी के लिये यह इलेक्शन करा रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—साल डेढ़ साल हो गये खाली पड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ ? तुरन्त एलेक्शन होना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता—यह गवर्नमेंट के ऊपर था।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि विधान सभा, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट की सदस्यता के लिए विधान सभा द्वारा चुने गये सर्व श्री फूलसिंह, राधाकृष्ण अग्रवाल, गंगा प्रसाद सिनहा तथा वीरेन्द्रशाह की कार्यावधि समाप्त हो जाने से रिक्त हुए स्थान पर इस सदन के चार सदस्यों का निर्वाचन रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ के अनुसार करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समिति की सदस्यता के संबंध में जानकारी

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, आप से।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन, एक साथ दो आदमी खड़े हुए हैं, यह परम्परा के विरुद्ध है।

श्री अधिष्ठाता—मैं श्री मोहनलाल गौतम को बोलने के लिए कह चुका हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—यह जो प्रश्न अभी-अभी उठाया गया कि एक विधान सभा का सदस्य अगर किसी कमेटी में निर्वाचित हो जाता है तो क्या उसका क्रम उस वक्त तक चलता है जितने दिन के लिए वह निर्वाचित हो या उसकी सदस्यता समाप्त हो जायगी अगर वह विधान सभा का सदस्य न रहे ? मैं व्यवस्था चाहता हूं कि आपकी क्या व्यवस्था है, ताकि आगे से वह बात साफ हो जाय।

श्री अधिष्ठाता— यह तो बहुत कुछ उसके कार्यभार पर निर्भर करता है। अगर वह मेम्बर की हैसियत से है तो वह खत्म हो जायगा। अगर नहीं है, बाहर के सदस्य की हैसियत से है तो चलता रहेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन, मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि इस एसेम्बली से जो इस तरह की कमेटियों में मेम्बर चुने जाते हैं वह बिना इस असेम्बली के मेम्बर की हैसियत से भी चुने जा सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बाबू त्रिलोकीसिंह की बात सुन करके। उनको तो मालूम होगा कि बाहर से भी बहुत से मेम्बर्स हो जाया करते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—कोई व्यक्ति जो असेम्बली की किसी कमेटी में रेप्रेजेंट करे क्या वह नान-मेम्बर इस असेम्बली से बाहर का भी कर सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—आपको शायद खयाल न हो, बद्रीनाथ टेम्पिल के सिलसिले में उस कमेटी में बहुत से ऐसे लोग रखे गये जो इस सदन के सदस्य नहीं थे, बाहर के थे।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में किये गये संशोधनों पर विवादार्थ समय की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीय माल मंत्री ने जो यह आठवां एजेंडे में विषय है, आप देखेंगे कि उसमें २० फरवरी, १९५७ और २० मार्च, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन हैं और १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की नियमावली उस अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखा है। जहां तक जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा ३४४ की उपधारा (४) का सम्बन्ध है उसमें १४ दिन तक इसको सदन की मेज पर रखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ, श्रीमन कि १४ दिन के अन्दर इस सदन के सदस्यों को उस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिये, इसीलिए जमींदारी उन्मूलन की धारा ३४४ में ऐसा प्रावीजन रहा। अब माननीय माल मंत्री जी ने जो सदन का कार्यक्रम अभी घोषित किया है उसमें मैं चाहूंगा कि इसकी भी व्यवस्था हो जाय कि जो माल मंत्री जी ने जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा ३४४ के अनुसार सदन की मेज पर विषय रखा है उस पर वाद-विवाद कब होगा? क्योंकि श्रीमन्, आप जानते हैं कि जिस समय भूमि-व्यवस्था से संबंधित जो घोषणाएं हैं वे की गयी हैं, वे ऐसे समय की गयी हैं जो २० फरवरी और २० मार्च का निर्वाचन का समय था, तो इस पर विचार अभी होना चाहिये और मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो सदन का कार्यक्रम अभी घोषित किये हैं उसमें कोई दिन इसके लिये भी रखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—इसके लिए तो नियम यह है कि १४ दिन के भीतर आप अपना संशोधन दे दें और इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर है, इसके बाद वह कमेटी डिसाइड करेगी और तब उसके ऊपर वाद-विवाद होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में भूमि व्यवस्था नियमावली के मुताबिक जब जब संशोधन प्रख्यापित हुए हैं, ऐसा लगता है कि अब वाद-विवाद का मौका नहीं आयेगा क्योंकि सरकार की ओर से बराबर यह कहा जाता रहा है कि इस पर समय निर्धारित होगा, समय निर्धारित होगा और वह समय बराबर टलता चला गया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप कोई समय इसके लिये निश्चित कर दें। इसके लिये संशोधन भी दे दिया जायगा। सरकार कहती आई है कि हमारे पास समय नहीं है। यदि ऐक्ट के मुताबिक १४ दिन का समय बीत गया तो सरकार कह सकती है कि वह अवधि बीत गई है, इसलिये अब इस पर विचार विनिमय नहीं हो सकता है। इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्यों का अधिकार है कि वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। अगर समय बीत जायगा तो हो सकता है कि सरकार वादविवाद का मौका प्रस्तुत न होने दे।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मैं यह अर्ज कर दूं कि जो माननीय मित्र ने १४ दिन की अवधि का जिक्र किया है, यह सही है कि वह कोई संशोधन रखना चाहें या वाद-विवाद करना चाहें तो आपको अधिकार है कि उसके लिये एक वक्त मुकर्रर कर दें। जहां तक उनका यह फर्माना है कि गवर्नमेंट ने उसको टाला है, मुझे आपत्ति है। गवर्नमेंट ने कभी भी इस पर बहस करने में टाल-मटोल की बात नहीं की है बल्कि न तो कोई संशोधन रखा गया और न वाद-विवाद की प्रार्थना ही की गई। इसलिये समय व्यतीत हो गया और गवर्नमेंट को मजबूरी हो गई। यह भी ठीक है कि दो चार बार प्रार्थना की गई कि समय दिया जाय, लेकिन समय न दिया जाय ऐसा गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा। यह आपके और उनके बीच की बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

राज्य मद्य निषेध बोर्ड तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री अधिष्ठाता-- अब आइटम नंबर ११ और १२ के लिये माननीय अध्यक्ष ने निम्न समय नियत किया है :--

१--नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय .. १८ अप्रैल, १९५७ को १ बजे मध्याह्न तक।

२--नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय .. .. १८ अप्रैल, १९५७ को ३ बजे अपराह्न।

३--नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय .. .. २९ अप्रैल, १९५७ को ३ बजे अपराह्न तक।

यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन की तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में दे दी जायगी।

सदन की बैठक शनिवार, २७ अप्रैल तथा ४ मई, १९५७ को भी करने के संबंध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प उपस्थित करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक "शनिवार" को नहीं हुआ करती है। तथापि कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विधेयकों पर शीघ्र विचार करने तथा उन्हें पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, २७ अप्रैल, १९५७ तथा ४ मई, १९५७ को भी होगी।"

अधिष्ठाता महोदय,.....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ७६ की तरफ दिलाना चाहता हूं--

"सरकार द्वारा संकल्प की सूचना--यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के ४८ घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा।"

मेरा निवेदन यह है कि इस संकल्प की सूचना इस सदन के नियमों के अनुसार अभी शायद एक आध घंटे की ही मिली है।

श्री अधिष्ठाता--कल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--कल इतवार का दिन था किसी को मिली किसी को नहीं। बहरहाल मुझे प्राप्त नहीं हुई। अभी एजेन्डा मिला तब मुझे इसकी जानकारी हुई। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज इस पर विचार न हो और जो नोटिस आज दिया गया है, यह मिल चुका है। हम इस पर किसी दूसरे दिन विचार करें।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य ने जिस रूल ७६ का हवाला दिया है उसमें यह भी है कि--

"The Speaker may allow a shorte notice"

हर एक मेम्बर के कमरे में कापी भिजवा दी गई थी और मुझे भी मिली थी। इस वास्ते नोटिस काफी है इसलिये मैं इस संकल्प को पेश करने के वास्ते इजाजत देता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, जिन मेम्बरों के पास कमरा नहीं है, घर है, उनका भी लिहाज रखा जाय नोटिस देने में।

श्री अधिष्ठाता—आइन्दा उनका भी लिहाज रखा जायगा।

श्री त्रिलोकी सिंह—थैंक यू, सर।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं खड़ा हुआ हूं इसके विरोध के लिये। मैं सोच रहा था कि शायद बाबू त्रिलोकी सिंह इसका विरोध करने के लिये खड़े हुये हैं इसलिये मैं बैठ गया था।

श्री अधिष्ठाता—मैं तो यह समझता था कि यह जो प्रस्ताव आया हुआ है वह विरोधी दलों की राय से ही आया हुआ है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करने के लिये ही तो आपके संकेत पर खड़ा हुआ हूं। यह आपका भ्रम है कि इसमें सब की राय है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, विरोध तो होगा ही, यह तो मैं जानता हूं, लेकिन एक दो शब्द कहने के लिये मुझे भी मौका मिल जाता।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मुझे बड़ी आपत्ति है इस पर। मैं खड़ा हुआ हूं, मैं बैठा नहीं हूं, आई ऐम इन पजेशन आफ दि फ्लोर आफ दि हाउस और माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हो गये। एक ही साथ सदन के दो सम्मानित सदस्य कैसे खड़े हो सकते हैं? तो श्रीमन्, या तो आप मुझे बैठने का आदेश दें या मुख्य मंत्री जी बैठ जायं।

श्री अधिष्ठाता—तो आप बैठ जायं।

श्री राजनारायण—मैं आपसे व्यवस्था पाना चाहता हूं कि मैं क्यों बैठूं? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है?

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बैठ जायं और इसलिये बैठ जायं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मूव नहीं किया है। उनके मूव करने के बाद आपको विरोध करने का अधिकार हासिल है।

श्री राजनारायण—माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मूव कर दिया और आप स्वतः इस पर वोट लेने जा रहे थे।

श्री अधिष्ठाता—यह आपको बिल्कुल गलतफहमी हुई। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको प्रापरली मूव नहीं किया है और न कोई भाषण दिया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसको प्रापरली मूव करें।

श्री राजनारायण—मूव करने और भाषण देने में फर्क होता है।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठाता महोदय, अभी आपको स्मरण होगा कि थोड़ी देर पहले अध्यक्ष महोदय ने मुझसे यह जानना चाहा था कि सदन की बैठक किन किन तारीखों में होगी और मैंने उन तारीखों की सूचना उनके द्वारा सदन की सेवा में उपस्थित की थी। मैंने बतलाया था कि सदन की बैठक १८ तारीख को इधर खत्म होकर २७ तारीख को फिर होगी। २७ के बाद २८ को तो रविवार है इसलिये बैठक नहीं होगी। २९, ३० को होगी। १, २, ३ मई को ईद की छुट्टी की वजह से बैठक नहीं होगी। फिर ४ तारीख से ८ तारीख तक और यदि आवश्यकता हुई तो ९ तारीख को भी होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसका भी कारण मैंने निवेदन किया था। साधारणतः हमारा विचार इस बैठक को इतने दिनों तक खींच कर ले जाना नहीं था, परन्तु मैंने बतलाया था कि चूंकि २७ और २८ अप्रैल को कौंसिल आफ स्टेट्स के सदस्यों का चुनाव है और ६ मई को उससे भी महत्वपूर्ण चुनाव है, यानी राष्ट्रपति का और हमारा ऐसा विश्वास है कि हमारे माननीय सदस्य इन चुनावों में भाग लेना चाहेंगे, इसलिये उनकी सुविधा को ध्यान में रख कर इस प्रकार बैठक का फैलाव करना पड़ा। काम भी कुछ करना है और जल्दी समाप्त करना है ताकि जैसा मैंने निवेदन किया माननीय सदस्यों को यहां आवश्यकता से अधिक गर्मी में कष्ट न उठाना पड़े और गवर्नमेंट को अगला बजट इत्यादि के बनाने का भी अवकाश मिले। इसलिये २७ तारीख और ४ तारीख की बात हमने रखी थी। यह तो मैं नहीं कह सकता कि विरोधी पार्टी या ग्रूप, जो भी शब्द होता हो, अध्यक्ष महोदय ने तो इन दो शब्दों का प्रयोग किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां "दल" शब्द चल पड़ा है, तो प्रत्येक दल या प्रत्येक ग्रूप से सलाह ली जा सकी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा खयाल जरूर है कि कामों को देखते हुये, सब सदस्यों की सुविधाओं को देखते हुये, हमारे जो मित्र सामने बैठे हुये हैं वे भी इस संकल्प से सहमत होंगे। इसी आशा और विश्वास पर मैंने इसको उपस्थित किया है और मैं आशा करता हूं कि थोड़ी तकलीफ जरूर होगी इन दोनों शनिवारों को बैठने में, फिर भी सभी माननीय सदस्य तकलीफ को बरदाश्त करेंगे और इस संकल्प में जो बात कही गई है उसको मंजूर करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, यह नियम कि शनिवार को विधान सभा की बैठक न हुआ करे इसके कुछ कारण हैं। सभी को मालूम होगा कि सदन के माननीय सदस्यों का और जिन लोगों का वास्ता कानून के बनाने से या कानून के मतलब निकालने से होता है, जो ला मेकर्स हैं या डिस्पोजर्स आफ ला हैं, इसी देश में नहीं, यहां दो महीने गरमी बहुत होती है, बल्कि विदेशों में भी जहां गरमी नहीं होती वहां भी हफ्ते में दो दिन वे काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई बिजनेस है जैसे महज एलेक्शन है, दिमाग पर कुछ ज्यादा जोर नहीं देना है महज शरीर को चलाना है, वोट देने की बात है तब तो बात दूसरी है वरना जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो साधारण तौर पर मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि विधान सभा, जिसका मुख्य काम कानून का बनाना है, लगातार ६ दिन तक काम करे।

श्रीमन्, यह सोचने की बात है कि यहां ही नहीं, सटरडेज आफ रहता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ऐसा होता है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो तीन महीने की छुट्टियां होती हैं और हाई कोर्ट में भी करीब दो महीने की छुट्टियां होती हैं महज इसलिये कि कानून का मतलब निकालना बहुत सोचने समझने की बात है। जब मतलब निकालने में सोचने-समझने की जरूरत है तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि कानून बनाने वालों को तो और भी सोचना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

और, अभी तो इस सदन का काम शुरू हुआ है। १०, १५ दिन हुये घोषणा हुई है कि असेम्बली के मेम्बर चुने गये। ४, ५ दिन से हमने बैठना शुरू किया है। कोई ऐसी जल्दी की बात नहीं है।

जहां तक गरमी के मौसम और उसमें तकलीफ होने का सवाल है तो मैं इस तरफ जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, चाहे उनका किसी भी दल से वास्ता है, उनकी ओर से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि कुछ हवा में हरारत बढ़ जाने की वजह से अगर दिमाग पर असर पड़ेगा तो यही कि बजाय शनिवार के शुक्रवार को भी गरमी के मौसम में यदि काम न हो तो बेहतर होगा। इसलिये मैं निहायत नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह रिवाज न कायम किया जाय तो बेहतर है।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—सब दिन छुट्टी रहे तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री त्रिलोकीसिंह—आपका प्रोग्राम ही ऐसा पेश किया गया है कि उसमें विचार करने को कुछ है ही नहीं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि शनिवार को इस विधान सभा की बैठक करने के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने पहले ही आपके द्वारा निवेदन किया था कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे हुए प्रस्ताव का विरोध करूंगा। अब चूंकि आपने यह व्यवस्था दे दी कि उन्होंने नियमित ढंग से इसको मूव कर दिया और अपना भाषण भी कर दिया, इसलिये मुझे अब इसका विरोध करने का अवसर प्राप्त हो गया। तो अब मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। इसका विरोध मैं इसलिये नहीं करना चाहता कि मैं शुक्रवार या शनिवार को नहीं बैठ सकता। मैं गरमी से गरमी भी पड़े और चिलचिलाती धूप भी हो तब भी, यदि कोई उपयुक्त कार्य हो तो उसको करने के लिये तैयार रहता हूं और यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि शनिवार को इस शान और ठंडी वायु के अन्दर बैठ कर कार्य सम्पादन न कर पाये तो भी मैं बैठा नहीं रहूंगा और कहीं न कहीं इससे कठिन कार्य में लगा रहूंगा। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की जो परम्परा है उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिये।

हमारी जो नियमावली है उसमें लिखा हुआ है कि सरकार हर सोमवार को सप्ताह का कार्यक्रम बता देगी। आपको मालूम होगा कि सचिवालय का एक पत्र हम लोगों के पास गया था जिसमें कार्यक्रम दिया हुआ था। कार्यक्रम था १५, १६ और १७ तारीख का और उसके बाद छुट्टी थी। फिर सदन बैठ रहा था चार दिन के बाद। हम लोगों ने अपना कार्यक्रम उसी के मुताबिक बना लिया और उसके मुताबिक कार्यक्रम बना कर हम लोगों की गाड़ी आगे बढ़ी। फिर आज इस कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। आगे का जो कार्यक्रम हम लोग बनाये हुए हैं वह इस बात का ध्यान रखते हुए कि शनिवार को सदन नहीं बैठता। यह हमारी नियमावली में है। अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव ला रहे हैं दो शनिवार लेने के लिये, एक २७ अप्रैल और दूसरा ४ मई को, और आवश्यकता बता रहे हैं कि चुनाव होने वाला है कौंसिल आफ स्टेट्स का और प्रेसीडेंट का। मैं समझता हूं कि यदि आप स्वतः गम्भीरता से विचार करें तो आप हमारे तर्क से सहमत होंगे कि यह ऐसा कोई आवश्यक कार्य नहीं है कि जिसके हुए बिना न गगन फटा जाता है और न धरा धंसी जाती है कि जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह का संशोधन लाने की आवश्यकता हो। माननीय मुख्य मंत्री जी यदि स्वतः गम्भीरता के साथ विचार करेंगे तो अपने प्रस्ताव को वापस लेने के हक में ही वह फैसला देंगे, मैं ऐसा समझता हूं।

एक निवेदन मैं आप के द्वारा और करना चाहता हूं जो इस सदन में और बहुत आश्चर्यजनक ढंग से हुआ। शायद आप उसको बाद में करते। अभी-अभी माननीय माल मंत्री जी ने एजेन्डा का आठवां आइटम पढ़ा और उसके सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया था कि १४ दिन के अन्दर इस पर बहस होनी चाहिये और यह भी नियमावली में नहीं लिखा हुआ है कि इस संशोधन पर अभी बहस हो। नियमावली में है कि जो प्रख्यापित हों संशोधन, उसके विषय पर बहस हो सकती है। मैंने उसकी मांग की, श्रीमन्। आपने बड़ी कृपा की, आपकी विशेष अनुकम्पा से माननीय माल मंत्री जी खड़े हुए और उन्होंने हमारी मांग का विरोध नहीं किया। बल्कि पहला शुभ लक्षण इस सदन में हुआ कि माननीय माल मंत्री जी ने हमारी मांग का विरोध नहीं किया। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं मगर वह कुछ वहीं पर लटका रह गया। उसका कुछ फैसला श्रीमन् की ओर से नहीं हुआ। एक अजीब सा प्रोसीजर इस सदन में हो रहा है। हमने मांग की, सरकार ने हमारी मांग का समर्थन किया...

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करूंगा कि वह जो विषय है उस पर आ जायं।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहा हूं, श्रीमन्। मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि इस एजेन्डा में कुछ इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो सारे प्रान्त के किसानों की जिन्दगी से संबंधित हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—ये संशोधन ?

श्री राजनारायण—जी, संशोधन। ये संशोधन जो माननीय माल मंत्री जी के द्वारा फरवरी और मार्च में रखे गये। मैंने उन पर चर्चा करने के लिये आप से कई बार समय निर्धारित करने की मांग की, लेकिन हमारी बदकिस्मती, इस प्रदेश के किसानों की बदकिस्मती कि आपने माननीय माल मंत्री जी से उसके बारे में कुछ कहा नहीं। उनकी राय जानने के बाद शायद आप कुछ बाद में कहेंगे।

मैं ऐसा समझता हूं कि आप भूल नहीं जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो २७ अप्रैल और ४ मई के शनिवारों को लिया जा रहा है, सरकारी कार्यों के लिये, यह क्यों लिया जा रहा है ? अगर सरकार को आवश्यकता है तो सरकार दो दिन पहले क्यो नहीं बैठ जाती ? अगर वह २५ और २६ तारीख को बैठ जाय तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? एक तर्क सरकार की ओर से दिया जा सकता है जिसको हम सब जानते हैं। इस सदन में जब चार दिन की मेम्बरों की छुट्टी हो तो तब माननीय सदस्यों को आने जाने का किराया और २ दिन पूर्व का और २ दिन बाद का भत्ता देना होगा। जब जब इस प्रकार की परिस्थिति आयी है तो मैं उन सदस्यों में से रहा हूं जिसने इसका शुरू से विरोध किया है कि ऐसी छुट्टी नहीं होनी चाहिये। जब अनेक बार इस प्रकार की छुट्टी हुई है तो उसका बोझ जनता पर अधिक पड़ा है। अब तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिये। सदन को आप २५ और २६ को यदि यहांहपर बैठायें तो इसमें आने जाने के किराये और भत्ते का प्रश्न पैदा नहीं होगा। चाहे आप दो दिन पहले बैठ जायं और चाहे बाद को बैठ जायं इससे कोई अन्तर आने वाला नहीं है। तो मैं यह समझता हूं कि सरकार की ओर से एक समुचित तर्क उपस्थित होना चाहिये कि ऐसा क्यों किया जाय। अभी तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई ऐसा तर्क उपस्तिथ नहीं किया जिसको सामने रखते हुये इस प्रस्ताव का समर्थन किया जाय। इसलिये माननीय त्रिलोकी सिंह ने जो अपने भाव व्यक्त किये हैं, इस संशोधन के विरोध में, उनसे मैं सहमत हूं। मुख्य मंत्री जी ने जो दो शनिवारों को लेने का प्रस्ताव उपस्थित किया है उसका मैं इसलिये विरोधी हूं कि हमारे जो कार्यक्रम पहले से बने हुये हैं वे अस्त-व्यस्त हो जायेंगे जो कि हमने विशेष कार्य के लिये बनाये हैं और जो जनहित कार्यों के लिये बनाये गये हैं उनको हमें स्थगित करना पड़ेगा। तब हम इस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी बात पर विचार करें।

आज बैठक जब पहली बार ही शुरू हो रही है और राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर विचार होना है तो पहले दिन ही इस प्रकार से शुरूआत न की जाय कि हमको विरोध करना पड़े। यह माननीय सदस्यों को अधिकार है और उस अधिकार को इन छुट्टियों के द्वारा लेने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को मैं नापाक करार देता हूं और इसका विरोध करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को यह जो भ्रम था कि इस विषय में विरोधी दल के लोग सहमत हो जायेंगे, उनका यह भ्रम भी दूर हो गया होगा और विरोधी दल की मनोवृत्ति भी उनको मालूम हो गयी होगी कि विरोधी दल के लोग इससे सहमत नहीं हैं। तो अब माननीय मुख्य मंत्री जी को इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ में पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मैं भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूं। मेरे विरोध का पहला कारण तो स्वस्थ जनतान्त्रिक परम्परा है जिसकी तरफ आपने सदन का ध्यान दिलाया, यानी यह कि हम विरोधी दल के लोग यह आशा करते हैं कि सरकारी दल कम से कम इतनी कर्टसी तो शो करेगा कि इस तरह के परिवर्तन करने में वह हम लोगों से पूछ लिया करे। इस प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा उसको सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले तो ग्रुप और पार्टी का थोड़ा सा मजाक उड़ाया और उसके बाद यह कहा कि प्रत्येक दल से तो नहीं पूछा है। मैंने समझा शायद उन्होंने मुख्य विरोधी दल के नेता से पूछ लिया है, लेकिन चूंकि विरोधी दल के नेता ने भी इसका विरोध किया है, इससे यह सिद्ध है कि उन्होंने किसी से नहीं पूछा। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी के इस कथन का क्या अर्थ था कि प्रत्येक दल से तो नहीं पूछा? उन्होंने यह रहस्यमय बात कैसे कही? कृपा करके अब भी वह बता दें कि किस विरोधी दल से उन्होंने पूछा है? अभी तक अपने भाषण में उन्होंने कोई बात ऐसी स्पष्ट नहीं की है।

प्रक्रिया नियमावली में जो नियम साधारण तौर से मानने के लिये सम्मानित सदन ने बनाये हैं उनका आदर करना चाहिये और जब तक कोई विशेष बात न हो उनको बदलना नहीं चाहिये। मुझे दुःख है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐसा करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। मैंने उनके भाषण के एक एक शब्द को सुना। उन्होंने कहा कि २५ अप्रैल को जो कार्य हम समाप्त करना चाहते थे चुनाव के कारणों से उसे समाप्त नहीं कर सकते थे, इसलिये अपने पहले कार्यक्रम को बदलना पड़ा। यह समझ में आया। लेकिन आपने इस बात का कोई कारण नहीं बतलाया कि २७ अप्रैल तथा ४ मई को क्यों बैठना लाजमी है? इसके बिना काम क्यों नहीं चल सकता है? प्रत्यक्षतः उन्होंने कोई कारण नहीं बतलाया। प्रस्ताव में है कि 'तथापि कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विधेयकों पर शीघ्र विचार करने तथा उन्हें पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, २७ अप्रैल, १९५७ तथा ४ मई, १९५७ को भी होगी।' तो यह कारण इसमें तो दिया है लेकिन उन्होंने अपने भाषण में इसका भी उल्लेख नहीं किया। भाषण में इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता थी कि वे आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विधेयक कौन-कौन से हैं। इससे हम लोगों को यह समझने में सुविधा हो जाती कि वे वाकई इतने महत्वपूर्ण हैं या नहीं। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी कोई कारण नहीं बताया जो कि अभी माननीय राजनारायण जी ने कही थी कि दो दिन पहले बैठक क्यों नहीं हो सकती है। शनिवार को बैठने की आवश्यकता किस लिये है? उन्होंने यह भी नहीं बताया कि ९ मई तक जब हम बैठ सकते हैं तो उसके बाद और दो दिन क्यों नहीं बैठ सकते? क्या ९ मई के बाद यकायक इतनी गर्मी हो जायगी कि उसका असर सदन के सदस्यों पर इस प्रकार होगा कि काम नहीं हो सकेगा? पहले रखा जा सकता है या बाद को रखा जा सकता है। इन दोनों शनिवारों को ही रखने का कोई कारण माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं बताया। इसलिये मैं उनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मैं मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरे विरोध का कारण यह है कि यह देख कर मुझे दुःख होता है कि अकसर हम सदन में बहस में ऐसे प्रश्नों पर अधिक समय बिता देते हैं जिस पर बहस को बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। इसी प्रकार का विषय आज भी छिड़ा हुआ है। शनिवार को हम बैठें या नहीं; इस बहस में इतना समय व्यतीत हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह सदन के समय का अपव्यय है और जनता भी इसे पसन्द नहीं करेगी। इसके लिये कुछ परम्परायें हमको स्थापित करनी होंगी। विशेष कर बहुमत पार्टी को अपनी बहुत सी

[श्री मारकंडेराय]

आदतों को छोड़ना होगा। इन छोटी-छोटी बातों के लिये हमें नई परम्पराओं को ग्रहण करना होगा। ऐसी बातों के लिये विरोधी पक्ष की राय लेकर उन्हें यहां सदन में लाया जाय तो कुछ मिनटों के भीतर हम उनको पास करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष कुछ पुरानी आदतों को पकड़े हुए है इसलिये यह दिक्कत पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि सरकारी पक्ष के लोग विशेष कर हमारे मंत्रिगण और मुख्य मंत्री जी नयी स्वस्थ परम्पराओं को कायम करें।

मैं भी इस बात को नहीं समझ पाता कि २७ और ४ मई के दोनों शनिवारों को ही क्यों सदन की बैठक करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। सदन की बैठक को हम दो दिन आगे बढ़ा सकते थे या २७ तारीख के पहले ही इसको बुला सकते थे और ६ मई के बाद भी बैठ सकते थे। ऐसा न करने का कोई स्पष्ट कारण माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से प्रकट नहीं होता है कि वे जो दो दिन का समय चाहते हैं वह छुट्टियों में उसकी खपत न करके, आगे या पीछे बैठ कर क्यों उस कमी को पूरा नहीं कर सकते? इसके अतिरिक्त माननीय राजनारायण जी तथा और दूसरे माननीय सदस्यगण पैसे के बारे में भी संकेत करते रहे हैं, लेकिन अगर ८ दिन की छुट्टी को घटा कर ६ दिन कर दिया जाय तो भी उसमें कोई कमी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस विरोध को देखकर इस पर गौर करेंगे और इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—श्रीमन् इससे पहले मैं यहां नहीं था, लेकिन मालूम यह हुआ कि ऐसा कहा गया है कि इस विषय पर किसी भी दल से कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने स्वयं माननीय नेता विरोधी दल से इस सिलसिले में बातचीत की थी। श्री त्रिलोकीसिंह जी के साथ माननीय गेंदासिंह जी भी थे तथा और भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य थे। यह बात हुई थी कि २७ तारीख को इलेक्शन होने वाला है इसलिये उस दिन विधान सभा की मीटिंग भी कर ली जाय तो ठीक होगा। इसका किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि ४ और ८-९ मई की बात भी की थी। यह बात इसलिये रखी गयी कि २७-२८ अप्रैल को तो आना ही था और उधर ६ मई को प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये आना था। इसलिये ऐसा प्रोग्राम रखा गया कि दोनों तारीख भी आ जायं और हम काम भी करते रहें। अगर सेशन पहले हो जाता तो तीन बार असेम्बली को बैठना होता। इसलिये केवल दो बार ही ब्रेक हो यह सोचकर ऐसा किया गया। अगर किसी ने इस बारे में कोई ऐतराज किया होता तो मैंने उसे नेता सदन को, उसी प्रकार कनवे कर दिया होता। लेकिन क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं हुई इसलिये वह उसी प्रकार से रख दिया गया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मैं बड़े ध्यान से माननीय मंगला प्रसाद जी की बातें सुन रहा था, परन्तु उनकी बातें मुझे कुछ विरोधास्पद सी दिखलाई दीं। एक ओर सरकार यह कहती है कि हमारे पास इधर काम कम है इसलिये हम बराबर सेशन नहीं चला सकते और दूसरी ओर यह कहती है कि काम अत्यधिक है इसलिये शनिवार को भी बैठें। विरोधास्पद के अलावा यह कम आश्चर्यजनक भी नहीं है, जैसा कि माननीय राजनारायण ने इशारा किया जिसकी कुछ न कुछ झलक इसमें दिखलायी पड़ती है। मैं आशा करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी करूंगा कि वे इस प्रकार की बातों को स्पष्ट करके बतलावें, क्योंकि छुट्टी के दिनों में सेशन का चलना इस बात का द्योतक होता है कि कोई बड़ा विशेष काम है, जैसे कोई युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी है या कोई आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस तरह की कोई बात दिखलायी नहीं पड़ती। इन कारणों से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करके इसको वापस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—आप बाद में बोल लेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं कुछ परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—बाद में दे दीजियेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता था, वैसे जैसी आपकी आज्ञा।

श्री अधिष्ठाता—आप माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद अपना परसनल एक्सप्लेनेशन दे दीजियेगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—जैसी आपकी आज्ञा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठाता महोदय, जिस संकल्प को मैंने सदन के सामने रखा है उसमें कोई वैधानिक दिक्कत है या स्वस्थ लोकतांत्रिक विषयों का उसमें कोई हनन होता है, यह बात तो मेरी समझ में आयी नहीं। जहां भी लोकतांत्रिक ढंग का लेजिस्लेचर है वहां यह साधारण सी बात है कि प्रत्येक लेजिस्लेचर अपनी प्रविधियों, अपने रूल्स और अपने प्रोसीज्योर का मालिक है। इस सदन ने भी अपने नियम बनाये कि अमुक अमुक दिन बैठेंगे और अमुक अमुक दिन नहीं बैठेंगे। इस सदन को पूरा अधिकार है कि वह अपने नियमों में जैसा चाहे हेरफेर करे। तो इसमें कोई ऐसी क्रान्तिकारी बात तो हुई नहीं प्रतीत होती कि इन दो शनिवारों को भी सदन बैठे। ये कारण थे जिन कारणों से हमने ऐसे सुझाव रखे और उनकी ओर थोड़े में मैंने संकेत कर दिया था। मैं जानता नहीं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ठीक ही होगा। परन्तु जैसा कि श्री मंगलाप्रसाद जी की बातों से प्रतीत होता है, कुछ न कुछ बातचीत कुछ लोगों से हुई। मुख्यतः उन लोगों से जो कि हमारे यहां प्रमुख विरोधी दल के नेता हैं और इसी से कोई विशेष बात न कहते हुए मैंने जरूर कहा था कि मेरा ऐसा खयाल है कि जो मित्र सामने बैठे हुए हैं उनका भी समर्थन हमारे इस संकल्प के लिये प्राप्त होगा। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूं कि जो इसके पक्ष की बातें हैं उनकी संकल्प में चर्चा हो चुकी है, जो कानून भी होगा जिस पर हमें विचार करना होगा उसका भी जिक्र राज्यपाल के सम्बोधन में हुआ है मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को भी इस विषय का ज्ञान है। मैं फिर भी यह आशा करता हूं कि माननीय सदन इस संकल्प को स्वीकार करेगा।

यह हो सकता है, जरूर ऐसा हो सकता है जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि हमने अपना कार्यक्रम बना लिया है और इस तरह से आगे के लिये उनके कार्यक्रम में व्यतिक्रम होगा। कभी-कभी सदन के काम के लिये कार्यक्रम में व्यतिक्रम हो जाया करता है फिर भी मैं समझता हूं कि जो जरूरत है उसे देखते हुए वे कार्यक्रम के व्यतिक्रम को स्वीकार कर लेंगे। और अगर उनके कार्यक्रम में कोई बाधा पड़ी और इससे उनको और उस पब्लिक को जो उनकी बातें सुना करती है कोई तकलीफ हुई तो इसका मुझे बड़ा अफसोस है।

श्री अधिष्ठाता—क्या माननीय त्रिलोकीसिंह जी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन, मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस सम्बन्ध में सफाई दूं। कौन्सिल आफ स्टेट्स और राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में माननीय सदस्यों को लखनऊ आना होगा इसलिये इस बैठक का सिलसिला जल्द खत्म कर दिया जाय और फिर जिस समय चुनाव हों

[श्री त्रिलोकीसिंह]

उस समय बैठक की जाय ताकि दोनों चुनावों की तिथियां उसी समय के अन्दर आ जायं, ऐसा मुझसे कहा गया था। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि साधारणतया मैं बातों को भूला नहीं करता हूं और अपनी याद से कहता हूं कि शनिवार को भी बैठक होगी, ऐसा कोई जिक्र वहां नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—अब इस पर काफी बहस मुबाहिसा हो चुका है, इस वास्ते अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक 'शनिवार' को नहीं हुआ करती है। तथापि कुछ आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विधेयकों पर शीघ्र विचार करने तथा उन्हें पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, २७ अप्रैल तथा ४ मई, १९५७ को भी हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं विभाजन चाहता हूं।

श्री राजनारायण—अगर अधिष्ठाता महोदय, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रेक्टिस का अवलोकन करेंगे तो डिवीजन का मतलब वोट रिकार्डिंग का होना चाहिये और इसके बारे में यदि यहां पर विचार विनिमय किया जाय तो बहुत से सम्मानित सदस्य इस नतीजे पर आयेंगे कि डिवीजन से यह मालूम होना चाहिये कि किसने किस पक्ष में वोट दिया वर्ना तो डिवीजन का मतलब ही शून्य हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह पहला डिवीजन है, आप माननीय सदस्यों को लाबी में भेज दें।

श्री अधिष्ठाता—मैं श्री राजनारायण जी से कहूंगा कि यह तो नियम की बात है, अगर आप लिखित चाहते हैं तो लिखित डिवीजन हो जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ)।

पक्ष में—१९२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
एस० अहमद हुसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइन्दी, कुमारी
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कृपाशंकर, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
मनेशचन्द्र काछी, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगेश्वर, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुलारीदेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावतीदेवी, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बासदेव, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बेचनराम, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुहम्मदफारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकुमार, श्री
राजदेव, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामकिशन, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलक्षण, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वाशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विन्दुमती दास, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवराम, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ, श्री (मथुरा)
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियादुलारी, श्रीमती
सीतलाप्रसाद, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम, श्री
सुखलाल, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

विपक्ष में—११५

अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
आचार्य दीपङ्कर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गु०
किशोरीरमणसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर

खयालीराम, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद श्री (फर्रुखाबाद)
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बजरंग विहारीलाल रावत, श्री
बलवानसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
ब्रजनारायण, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुवीरराम, श्री
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामायणराय, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
विश्रामराय, श्री
विरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (खीरी)
शिवराज बहादुर, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शोभनाथ, श्री

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
सजीवनलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
हरदयालसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।

मान्यवर, भारतीय संविधान की धारा १७६ के अन्तर्गत महामान्य राज्यपाल के लिये यह आवश्यक होता है कि आम चुनाव के बाद वह उस प्रदेश में जहां कि दोनों सदन हैं, दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त बैठक बुलायें और उसको सम्बोधित करें। उस समय पर वह उस समय तक जो पिछली सरकार के कार्य होते हैं, जो नीतियां उसने अपनायी होती हैं, जो उसका प्रोग्राम होता है, और प्रदेश जिस मंजिल पर होता है उसकी कुछ पृष्ठभूमि सदस्यों के सामने रखते हैं और उसके साथ-साथ इस सदन का और सरकार का भावी कार्य-क्रम क्या होगा उसकी एक मोटी सी रूपरेखा हमारे सामने रख देते हैं।

पहले इसके कि मैं उन विषयों पर जाऊं जो राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में दिये हैं, मैं, आपकी आज्ञा से इस सदन के द्वारा इस प्रदेश की आम जनता के प्रति अपना और अपनी पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उसने इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रति विश्वास प्रकट करके उसके प्रतिनिधियों को चुना है और इस सदन में भेजा है। इसके साथ ही साथ इस सदन की एक और भी विशेषता है और वह यह कि इस बार हमारे सदन में विरोधी पक्ष की संख्या भी बहुत काफी है। मैं इसको हेल्दी साइन समझता हूं, प्रजातांत्रिक पद्धति के लिये, और इसका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा होता अगर कोई संगठित दल इतनी बड़ी संख्या में आ सका होता। मुझे आशा है कि विरोधी पक्ष, जिसके ऊपर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व यहां की जनता ने डाला है, उसे सफलतापूर्वक निबाहने की कोशिश करेगा।

महामान्य राज्यपाल ने सबसे पहले, जैसा कि चाहिये था, अपने सम्बोधन में आम चुनावों का जिक्र किया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे देश और प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर एकमत हैं कि हमारे यहां जो आम चुनाव हुये—बावजूद इसके कि हमारे देश और प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में आज भी लोग अनपढ़ हैं, आज भी वे बहुत सी बातों में अंधकार में हैं--फिर भी जितनी शांति के साथ चुनाव का संचालन हुआ वह हम लोगों के लिये हर्ष और संतोष की बात है।

साथ ही इस मौके पर चुनावों का भार हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर पड़ा और उन्होंने जिस तरह से कार्य सम्पादन किया वह भी अपनी जगह पर सराहनीय है। इस सम्बन्ध में एक चीज अवश्य इस नई सरकार के सामने एक सुझाव के रूप में पेश करना चाहता हूं। चुनाव के दर्मियान हमको कुछ कठिनाइयां महसूस हुईं। विशेष रूप से जहां कि डबल कांस्टीट्युएंसीज थीं हमने यह देखा कि काफी संख्या में, हजारों की तादाद में, हमारे वोट्स बेकार हो जाते हैं। मैं इस मौके पर इस बात को सरकार से कहना चाहूंगा कि वह अपनी तरफ से केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस तरफ खींचे कि आइंदा चल कर हमारे जो चुनाव के नियम हैं उनमें इस तरह की आवश्यक तब्दीली की जाय ताकि यह कंफ्यूजन जहां तक हो सके कम किया जा सके।

इस चुनाव के दर्मियान जहां कि वातावरण इतना शांत रहा हमने यह भी देखा कि कुछ जातीयता और साम्प्रदायिकता का विष ऊपर आया। इस विष को, जबकि इस सदन को ५

साल तक अपना कार्य करना है, सरकार को और जितने भी दल यहां हैं सभी को इस बात के लिये सोचना है, किस तरह से अपने सामाजिक जीवन से हटा सकें और निकाल सकें।

इसके बाद महामान्य राज्यपाल ने उस विषय के ऊपर इस सदन का ध्यान खींचा और संकेत किया जिसके बारे में हम सबके दिमागों में बड़ी बेचैनी रही है और वह जिक्र था पाकिस्तान के रुख के सम्बन्ध में जो आये दिन वहां विषाक्त प्रचार भारत के विरोध में होता है जिसका असर बहुत कुछ हमारे इस देश और प्रदेश पर भी पड़ता है उसकी तरफ भी उन्होंने अपने संबोधन में इशारा किया और उन्होंने, खास कर जो कश्मीर की गुत्थी है, उसकी तरफ भी संकेत किया।

उन्होंने यह भी बताया कि सेक्योरिटी कौंसिल में किस तरह से जो हमारा असली मसला है उसके ऊपर उचित और न्यायपूर्ण विचार नहीं हो सका। मान्यवर, इस सदन के सभी माननीय सदस्य उनकी इन भावनाओं से सहमत हैं और मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही माडरेट तरीके से हमारी भावनाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व किया। हम में से बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो इस मसले के ऊपर और भी अधिक उग्र विचार रखते हैं, परन्तु चूंकि यह विषय हमारे इस सदन से अधिकतर संबंधित नहीं है, इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार और उसके फारेन मिनिस्टर से है, इसलिये मैं बहुत ज्यादा उसके विवरण में तो नहीं जाऊंगा, हां केवल इतना संकेत जरूर कर देना चाहता हूं कि इस कश्मीर के मसले पर जो ब्रिटेन जैसे देशों का रुख रहा है उससे शायद हमको आगे चलकर यह सोचना पड़ेगा कि हमारी असोसियेशन ब्रिटिश कामनवेल्थ में किस तरह की हो।

इसके बाद, जैसा कि उचित ही है, महामान्य राज्यपाल ने एक पृष्ठभूमि हमारे सामने पेश की कि पिछले ५ सालों में हमारी प्रदेशीय सरकार ने क्या-क्या काम किये, कौन-कौन सी योजनायें चालू कीं और वह योजनायें किस मंजिल पर हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम इन सब योजनाओं के लिये एक नाम दें तो हम यह कह सकते हैं कि यह समय उन ५ साल का था जिसमें हमने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे इस प्रदेश ने कितनी प्रगति की, उसकी जैसी रूपरेखा हमारे सामने रखी गयी, उसको समझने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे दिमाग में यह बात स्पष्ट हो जाय कि सन् ५१ में हमारे प्रदेश में क्या स्थिति थी, हमने कब और किस स्टेज से इस चीज को शुरू किया। एक अन्डर-डेवलप्ड इकनामी हमारे प्रदेश में थी। हमारे देश के अन्दर गरीबी थी। जनता हमारी पढ़ी-लिखी बहुत कम है। हमने प्लानिंग का आइडिया टोटलिटेरियन कंट्रीज से लेकर एक प्रजातंत्र देश में प्रयोग करने की कोशिश की और हमारी सर्विसेज भी उस काम के लिये नहीं बनायी गयी थीं। हमारे जो साधन मनी के थे, जो रिसोर्सेज हमारे थे वे बहुत कम थे, इतने हैंडीकैप्स के बाद भी हमने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया। इस योजना का सबसे पहले जो एस्टीमेट था वह करीब-करीब ८६ करोड़ का था, बाद में बढ़कर १३० करोड़ और अन्त में वह १५३ करोड़ तक हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में इतने हैंडीकैप्स के होते हुये भी जो सफलता हमें हुई वह आशातीत है और सराहनीय है।

सबसे पहले जहां कि और बहुत सी समस्यायें हमारे प्रदेश के सामने थीं, सबसे कठोर विषम समस्या हमारे सामने खाद्यान्न की थी। चारों तरफ कमी दिखाई देती थी। करोड़ों रुपये का अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली टाप प्रायर्टी हमारे खाद्यान्न और फूड को दी गई और उसी से सम्बंधित जो हमारे ऐग्रीकल्चर विभाग और इर्रीगेशन विभाग हैं उनको भी दी गयी। हम जानते हैं कि जिस समय कि हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की उस समय हमारे इस प्रदेश में खाद्यान्न की जो उपज थी, ऐग्रिकल्चरल जो प्रोड्यूस, था वह १०.७९ मिलियन टंस में था। हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो अपना टार्गेट रखा था वह ११.७७३ मिलियन टन रखा था, मगर हमें खुशी है कि इन पांच सालों में हम अपने इस टार्गेट से भी अधिक यानी १२.४५ मिलियन टन अनाज पैदा करने में सफल हुये।

[श्री नवलकिशोर]

पिछले वर्षों में हमारे इस देश के अन्दर बाढ़ तथा सूखा की वजह से बहुत हानि हुई और उसकी वजह से कुछ कीमतें अनाज की बढ़ी, लेकिन जैसा कि महामान्य राज्यपाल जी ने बतलाया कि केन्द्र से हमको बहुत काफी मात्रा में गेहूं मिला और हम शहरों में और कस्बों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोल सके, जिसकी वजह से गरीबों को उचित कीमतों पर अन्न मिल सका और अन्न की कमी की वजह से जो एक डिफिकल्टी और मुसीबत हमारे सामने आ सकती थी वह बहुत हद तक बहुत कुछ खत्म हो गयी ।

मकानों के सम्बन्ध में भी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सरकार ने पिछले ५ सालों में कदम उठाया । मजदूरों के वास्ते भी सब्सीडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत इस बात की चेष्टा की गई कि २१,००० मकान चार फेजेज में बन जायं । यद्यपि तीन फेजेज में १३,७८२ के करीब मकान बन सके हैं मगर यह आशा है कि पिछले माह तक बाकी मकान भी बन गये होंगे ।

जो हमारे हरिजन भाई हैं और विशेष रूप से वाल्मीकि भाई, उनके लिये भी तीन हजार से ऊपर मकान भिन्न-भिन्न म्युनिसिपैलिटीज ने अपने यहां बनवाये हैं । शुगर फैक्टरीज के मजदूरों के लिये भी कुछ मकान बनवाये गये हैं । इसके अलावा जो कम आमदनी के लोग हैं और सरकारी कर्मचारी, जिनकी आमदनी ५०० रुपये माह से कम है, उनको भी इसके लिये कर्जा दिया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, एक सदस्या मुख्य मंत्री जी से आपकी ओर पीठ करके बातें कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है, आप बैठ जाइये ।

श्री नवलकिशोर---मैं घरों के बारे में बतला रहा था । इसके बाद और भी कई स्कीमों का जिक्र माननीय राज्यपाल ने किया है । मैं उन सब चीजों के अन्दर जाना उचित नहीं समझता हूं और समय भी कम है । उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि हमारे यहां जूट तथा कपास आदि की पैदावार को बढ़ाने के लिये कई योजनायें चालू की गई और आज भी चालू हैं ।

हमारे प्रदेश में गन्ने की एक मुख्य कैश क्रोप होती है, गन्ने की पैदावार बढ़ती जाती है और किसानों की शिकायत है कि उनका गन्ना मिलों में नहीं पहुंच पाता है और वक्त पर नहीं पेरा जाता है । उनकी सुविधा के लिये यह बतलाया गया है कि चार कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज के खोलने का सरकार का विचार है । यह भी कठिनाई यदि अधिक नहीं तो बहुत हद तक दूर हो जायगी ।

खेती के बारे में जैसा कि मैंने इशारा किया कि इन पिछले पांच वर्षों के अन्दर इस बात की कोशिश की गई कि ऐग्रीकल्चर विभाग पर काफी कांसेन्ट्रेट किया जाय और जहां कहीं भी भूमि मिल सकी, उसको तोड़ने की कोशिश की गई । जहां हमारे यहां १९४६ में ३८.३ मिलियन एकड़ जमीन खेती में थी वहां अब ५५-५६ में ४२.६ मिलियन एकड़ जमीन बढ़ गई है । इसके अलावा अच्छे बीजों का भी इंतजाम किया गया । इन पिछले पांच सालों में सात, आठ लाख मन से अधिक पैडीसीड्स बांटे गये । ये सब चीजें इसलिये की गईं ताकि अपने यहां अन्न की उपज बढ़े और हमारा प्रदेश सेल्फ सफीशेन्ट हो सके ।

इर्रीगेशन विभाग जो खेती से बहुत संबंधित है और जिसके बिना खेती में उन्नति नहीं हो सकती है उसकी तरफ भी इन पिछले पांच वर्षों में काफी ध्यान दिया गया है और इन पांच सालों में २८ लाख एकड़ से ज्यादा जमीन आबपाशी के नीचे और आई जबकि १९५१ में कुल ७८ लाख एकड़ के करीब थी । ३,२०० नये ट्यूब वेल्स बनाये गये हैं । ये सब चीजें इन पांच सालों में की गई और इस बात की कोशिश की गई कि जो हमारे देहाती भाई हैं उनको हर तरह

की फैसिलिटीज दी जायं, जैसे की हमारी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं। इस बात की भी कोशिश की जाती है कि जो उनकी उपज हो, उसका उनको उचित मूल्य मिल सके। इसके लिये करीब १००-१५० मार्केटिंग सोसायटीज खोले जाने का विचार है और सम्भवतः ४४ के करीब खोली जा चुकी हैं।

दूसरा विभाग एनीमल हस्बेंडरी का है। उसके अन्तर्गत भी इस प्रदेश ने काफी प्रगति की है। इस बात की कोशिश की गयी है कि हमारे यहां जो सरकारी फार्म्स हैं उनके ऊपर पेडिग्री बुल्स की तादाद बढ़ाई जाय और उनको कम कीमत पर पंचायतों के द्वारा बांटा जाय। ताकि पशुओं की नस्ल में उन्नति हो। आर्टिफिशल इन्समिनेशन के द्वारा भी जो बुल्स की कमी है उसको दूर करने की कोशिश की गयी। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के अन्दर, चाहे शीप हों, गोट्स हों, उन सबकी उन्नति के लिये सरकार ने काफी प्रबन्ध किया।

खाद के सम्बन्ध में भी हमारे कृषि डिपार्टमेन्ट में काफी विकास हो, इसकी तरफ भी पिछले पांच सालों के अन्दर काफी ध्यान दिया गया।

हमारे प्रदेश की एक समस्या यह भी रही कि पूर्वी जिलों में, और पिछले वर्ष पश्चिमी जिलों में भी, जो बाढ़ आई उसने बहुत काफी भयंकर परिस्थिति पैदा कर दी। सरकार ने उस पर काफी ध्यान दिया और बाढ़ को रोकने के लिये बहुत-सी योजनायें बनाई। लगभग ५०० गांवों के लेवेल्स ऊंचे किये गये और आशा है कि अगले पांच साल के अन्दर १,५०० गांवों के लेवेल्स ऊंचे किये जायेंगे। इस विषय में अब तक ३ करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है और आगामी पांच साल के अन्दर ९ करोड़ से ज्यादा रुपया इस सम्बन्ध में खर्च किया जायगा।

मान्यवर, हम किसी भी क्षेत्र या विभाग को लें हम यह महसूस करेंगे कि पांच साल के अन्दर हमारे प्रदेश ने समुचित उन्नति की है। बिजली के विभाग को भी यदि हम लें तो हम इस बात को देखेंगे कि जहां सन् १९५१ में इन्सटाल्ड कैपिसिटी १.२२ लाख किलोवाट थी वह बढ़ कर सन् १९५६ में २.५८८ किलोवाट हो गयी। इसी प्रकार जबकि पहले १८ जिलों को हम बिजली दे पाते थे वहां आज ४१ जिलों को बिजली दी जा रही है। हमें इस बात को भी जान कर खुशी है कि गढ़वाल को बिजली देने के वास्ते एक स्टीम स्टेशन खोलने का विचार है। मैं समझता हूं कि हमारे गढ़वाल के भाई जिनकी बहुत दिनों से यह मांग थी कि उनके यहां बिजली का इन्तजाम होना चाहिये इस बात का स्वागत करेंगे।

पी० डब्लू० डी० के महकमे में हमने यह देखा कि जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है जो टार्गेट प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा था उससे कहीं आगे हम बढ़ गये हैं। जहां पहले हमारे यहां २,६५१ मील लम्बी मेटल्ड रोड्स थीं वहां अब वे बढ़ कर ३,९२० मील के करीब हो गयी हैं। जहां ९ पुलों का टार्गेट था वहां २६ पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ६६४ मील लम्बी नयी सड़कों के बनाने की योजना थी लेकिन करीब ९६० मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं।

यह सही है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना में उतना अधिक एमफैसिस हम इंडस्ट्रीज की तरफ नहीं दे सके जितना कि हमारे प्रदेश को आवश्यकता थी। चूंकि हमारे रिसोर्सेज सीमित थे इसलिये वह नहीं हो सका। आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा एमफैसिस इंडस्ट्रीज की तरफ है और हमारा यह विचार है, जैसा कि महामान्य राज्यपाल जी ने संकेत किया है कि इन आगामी पांच वर्षों में सरकार इस प्रदेश के अन्दर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में खोलने के लिये प्रोत्साहन देगी। एक बात के लिये हम सभी उनके बड़े आभारी हैं। उन्होंने जो हम लोगों की एक बड़ी जायज शिकायत है—पिछली बार भी जो हमारे साथी इस सदन में थे उन्होंने कई बार इस प्रश्न को उठाया और आज अपने इस प्रथम सम्बोधन में महामान्य राज्यपाल ने इस ओर संकेत किया कि केन्द्रीय सरकार ने जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज की योजनायें चालू की हैं उनमें हमारे इस प्रदेश को कोई योजना नहीं मिली।

[श्री नवलकिशोर]

हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश भारत के अन्दर सबसे बड़ा प्रदेश है। आज फिर इस नये सदन द्वारा केन्द्रीय सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि वह इस नीति के ऊपर फिर गौर करे। अब भी समय है कि वह कोई हैवी इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश को दे दे। उसके बिना यह प्रदेश उद्योगीकरण में सफल नहीं हो सकेगा। पिछले वर्षों में यहां बहुत सी अच्छी-अच्छी योजनायें बनीं। एक नया विभाग हमारे प्रदेश में डाइरेक्टोरेट आफ जिओलोजी ऐंड माइनिंग खोला गया था। उस समय भी हमारे जो साथी थे उन्होंने इसका स्वागत किया। पिछले डेढ़ दो सालों में जो काम उसने किया है उससे मैं समझता हूं कि इस डाइरेक्टोरेट का होना इस प्रदेश के लिये सौभाग्य की बात है।

हमें बताया गया कि अल्मोड़ा और गढ़वाल में तांबे का और टेहरी गढ़वाल में जिप्सम का पता चला है। बांदा जिले में लाइमस्टोन और देहरादून में सीसे का पता चला है। मैंने, जो पिछले पांच सालों में हमारे सूबे में हुआ है और जिसका जिक्र महामान्य राज्यपाल के संबोधन में है, संक्षेप में आपको बताया।

इनके अलावा हमारे यहां समाज सुधार के संबंध में भी बहुत से कानून बनाये गये और एक सेपरेट मिनिस्ट्री कायम की गई। सोशल वेलफेयर एक अलग से मंत्री के चार्ज में दिया गया। उन्होंने अपने विभाग के द्वारा बहुत-सा काम किया है और उन तत्वों की ओर विशेष ध्यान दिया जो कि डेस्टीट्यूट्स थे, तथा विधवायें आदि थीं। कुछ तो इंस्टीट्यूशंस हमारे यहां चल रहे हैं उनकी भी सहायता की गई और इस बात की भी कोशिश की गयी कि कुछ ऐसे होम्स खोले जायं जहां बच्चों के लिये और हमारी ऐसी बहनों के लिये जिन्हें समाज में उचित स्थान और आदर नहीं प्राप्त है रखा जा सके।

महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी बताया कि हमारे प्रदेश में जहां तक हेल्थ और मेडिकल फेसिलिटीज का ताल्लुक है उस संबंध में भी इन पांच सालों में कितनी तरक्की की है। हमने देखा कि एलोपैथिक के साथ-साथ आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरीज भी खोली गयीं। होमियोपैथी को भी उचित प्रोत्साहन दिया गया।

ये सब बातें उन्होंने अपने संबोधन में इसलिये कही हैं कि आपको प्रगति की पृष्ठभूमि का सही पता चल सके।

भविष्य के लिये उन्होंने बहुत थोड़े में यह भी बताया कि हमारा सेकन्ड-फाइव-ईयर प्लान बहुत ऐम्बीशस प्लान है और उसको पूरा करना है। उन्होंने इस बात के लिये हमारे सदन के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वे किसी भी दल के हों, उनका पूरा-पूरा सहयोग देने के लिये आमंत्रित किया क्योंकि उसी के द्वारा अपने प्रदेश को हम समृद्धि और समुन्नति की ओर ले जा सकते हैं।

अन्त में, महामान्य राज्यपाल जी ने समाजवादी व्यवस्था की तरफ भी संकेत किया है। उन्होंने यह बताया है कि यही हमारे इस देश और प्रदेश का लक्ष्य है। यद्यपि इस संबंध में कोई व्याख्या संभव नहीं है किन्तु फिर भी उन्होंने इस बात को माना है कि जो इसका बुनियादी सिद्धांत है वह यह है कि जो एकनामिक डिस्पेरिटीज हैं, जो आर्थिक विषमतायें हैं उनको कम से कम किया जाय और उनको दूर किया जाय। इस संबंध में मुझे एक बात अवश्य कहनी है। यह सही है कि प्रजातांत्रिक ढंग से कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हम नहीं उठा पाये हैं और न उठा सकते हैं। कोशिश भी की जा रही है कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको उठाकर ऊपर लाया जाय, परन्तु मैं यह समझता हूं कि इस के लिये दोनों तरफ से अपना प्रासेस हमको चलाना पड़ेगा। जो लोग टाप पर हैं उनको छांटकर नीचे लाना पड़ेगा और जो नीचे पड़े हुये हैं उनको उठाकर ऊपर ले जाना होगा और तब कहीं जाकर हम समानता स्थापित कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे। यद्यपि इसमें यह कहा गया है कि जो प्राइवेट सेकेंडरी हाई स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को भी मेडिकल फेसिलिटीज दी जायगी और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे लेकिन फिर भी इस ओर कोई बड़ा और मजबूत कदम उठाना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नवलकिशोर जी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, यह सदन महामान्य राज्यपाल का आभारी है कि उन्होंने अपना समय देकर इस सदन को संबोधित किया। इस अवसर पर मैं महामान्य राज्यपाल तथा नवलकिशोर जी की उन भावनाओं से अपनी सहमति प्रकट करता हूं जो उन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री, इस सदन के नेता, के प्रति प्रकट किये। जब माननीय पंत जी यहां से जा रहे थे तो मुझे वह अवसर याद है कि हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे थे कि एक बुजुर्ग हमारे ऊपर से चला जा रहा है और न मालूम क्या परेशानियां हमारे सामने आयेंगी। परन्तु आज हमें यह सोचकर गर्व होता है कि जिस विद्वत्ता, निष्पक्षता और कौशल से उन्होंने इस सदन का नेतृत्व किया है, हमें पूरी आशा है कि उनके नेतृत्व में यह प्रदेश आगे भी उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा।

इस अवसर पर चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने जिस निष्पक्षता और कौशल का परिचय दिया है उसके लिये भी कहना आवश्यकीय होगा और मैं तो यही आशा करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने चुनाव कार्य को ईमानदारी से संपादित किया वह ईमानदारी हमें उत्साह प्रदान करती है कि हम उनसे यह आशा करें कि वह राष्ट्र-निर्माण और उसके दूसरे कार्यों में भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे।

इस समय इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें अपने कुछ पुराने अनुभवी साथियों की अनुपस्थिति अखरती है जिन्होंने इस सदन के कार्य-संपादन में योग दिया था या यह कहें कि कुछ पथ-प्रदर्शन किया था, परन्तु यह तो जम्हूरियत में, प्रजातंत्र में होता ही है। दूसरी ओर जब हम यह देखते हैं कि विरोधी दल की बेंचों पर काफी पुराने और अनुभवी साथी आये हैं तो उनसे हमें यह आशा होती है कि इस सदन की जो मर्यादायें होंगी उनको बनाने में हमें बहुत सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक महामान्य राज्यपाल के भाषण का संबंध है मैं उसको इस प्रकार नहीं देखता कि उन्होंने क्या कहा। किस विषय की उन्होंने चर्चा की, परन्तु मैं तो यह देखता हूं कि जितने भी विषय हमारे प्रदेश की सामयिक परिस्थिति में हमारे सामने थे, जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, उन्होंने उन सब विषयों की चर्चा की। यदि कोई व्यक्ति सौ विषयों की चर्चा करे और फिर हम उसके भाषण को ले कर बैठें और उसमें हम दस विषय और जोड़ दें तो यह कोई असंभव बात नहीं है। यह कह सकते हैं कि उसके भाषण में ये पांच, दस, पंद्रह विषय रह गये। लेकिन मैं जहां तक देखता हूं, हमारे देश और प्रदेश की जो स्थिति है उसके सभी महत्वपूर्ण विषयों की उन्होंने चर्चा की है।

सब से महत्वपूर्ण विषय, जिसकी ओर देश के प्रत्येक नागरिक की आज निगाह लगी हुई है वह हमारी सीमा के पार की परिस्थिति है। पाकिस्तान और काश्मीर का उल्लेख उन्होंने अपने संबोधन में किया। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो ऐसा अनुभव करता हूं कि वहां अभी तक कोई स्थायी सरकार नहीं बन पायी है। तो यह परेशानी उन के सामने रही। जो एक सरकार वहां बनी उसको किसी प्रकार स्थायित्व देने के लिये उन्होंने जनता के सामने किन्हीं भावनाओं को रखा। न्यूयार्क टाइम्स के करेसपांडेंस ने लिखा है कुछ इस संबंध में उसको मैं समझता हूं कि यहां सुनाना असंगत नहीं होगा। उसने श्री सुहरावर्दी के बारे में लिखा है "Skilful but almost desperate juggling"। वहां एक स्किलफुल होशियारी के साथ प्रयत्न हो रहा है लेकिन एक जगलिंग हो रही है कि किसी तरह से स्थायी सरकार बने। उन्होंने इसी सिलसिले में कहा है : "as it was last year and the year before that and every year since national independence a decade ago, is that politics in the country is still a process of shifting offices among a small group of men."

[श्री जगदीश प्रसाद]

खैर, मैं देखता हूं कि इस थोड़े से समय में वहां पांच बार प्रधान मंत्री तब्दील किये गये। इससे यह स्पष्ट है कि वहां कोई स्थायित्व नहीं है और उसको पाने के लिये वहां उन्हें किन्हीं भावनाओं को जाग्रत करना पड़ता है और वह भावनायें यही हो सकती हैं कि अमुक देश पर आक्रमण करेंगे, अमुक देश का अधिकरण होगा। और यही इन भावनाओं का कारण है। जहां तक काश्मीर का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, इस में कोई संदेह नहीं कि हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सुरक्षा परिषद् से हमें जो आशायें थीं वह पूरी नहीं हुयी और यह भी स्पष्ट है कि जब तक वह आशायें पूरी नहीं होंगी काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के द्वारा किसी प्रकार भी हल नहीं हो सकता। जब तक अगस्त ४८ और जनवरी ४९ के प्रस्तावों पर पूर्ण अमल नहीं होगा तब तक सुरक्षा परिषद् इस मामले को हल कर दे यह किसी प्रकार भी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या काश्मीर का प्रश्न है, मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं रह गया है। आज देश की सब पार्टियों ने इस संबंध में सरकार की नीति को अपनी नीति माना है। माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विवाद के समय श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती ने लोक सभा में यहां तक कहा था कि: "The communist party stood four square behind the policy of the Government on that question" साम्यवादी दल काश्मीर के प्रश्न पर सरकार की नीति के पूर्णतया साथ है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अधिष्ठाता—आप जरा और माइक के करीब आ जायं।

श्री जगदीश प्रसाद—मैंने यह कहा कि श्रीमती चक्रवर्ती ने लोक सभा में यह कहा था कि:

The communist party stood four square behind the policy of the Government on that question.

तो इस कारण जहां तक काश्मीर का संबंध है सब पार्टियां इसमें साथ हैं।

इसके बाद जो देश के सामने बड़ा प्रश्न है वह बेरोजगारी का प्रश्न है जिसका जिकर महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है। हमारे प्रदेश में १९५४–५५ के अनुसार देहाती क्षेत्र में ३५ प्रतिशत व्यक्ति बारोजगार थे, ३ प्रतिशत बेरोजगार व्यक्ति थे और करीब ६० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे थे जो अर्ध रोजगार में लगे हुये थे और जिनके पास काम था। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में करीब ७२ प्रतिशत व्यक्ति बारोजगार थे और ११ प्रतिशत ऐसे लोग थे जो बेरोजगार थे और करीब १७ प्रतिशत लोगों के पास अर्ध रोजगार था। यह पुरुष वयस्क लोगों के आंकड़े मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना में भी इस प्रकार का प्रयत्न किया गया है कि बेरोजगारी दूर की जाय। यदि हमने इस बेरोजगारी को यहां से दूर नहीं किया, इसके भार को हल्का नहीं किया तो हमारी योजना सफल नहीं हो सकेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में इसका जिकर किया है।

जहां तक इसको दूर करने का संबंध है हमारी सरकार ने बड़े व छोटे उद्योगों को खोलकर इसको पूरा करने का प्रयत्न किया है। चार चीनी के कारखाने, एक रेयन का कारखाना, दो सिमेंट के बड़े कारखाने अभी यहां पर खोले जायेंगे। इसके बाद कुटीर उद्योग पर भी सरकार ने पूरा जोर दिया है। अभी तक सरकार कुटीर उद्योग पर जोर नहीं देती थी लेकिन मुझे संतोष है कि इस योजना में उसके ऊपर भी जोर दिया गया है।

विशेषरूप से जिस चीज का मैं इस वक्त जिकर करना चाहता हूं और जिसका महामान्य राज्यपाल ने भी अपने सम्बोधन में जिकर किया है वह खंडसारी है। अभी तक सरकार गुड़ और खंडसारी को उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी, लेकिन अब सरकार ने उसको अपना लिया है और मेरा तो अनुभव है कि जहां तक इस बेरोजगारी का ताल्लुक है उस खंडसारी के काम से बहुत लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मैं जानता हूं और मेरे जिले में बहुत बड़ी तादाद में गन्ना होता है। अगर इस काम को सरकार ने प्रोत्साहन दिया तो बहुत लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस संबंध में एक नया प्रोसेस सल्फीटेशन का है। उससे बहुत अच्छी तरह से यह काम होता है। मैंने इस विभाग के बहुत जिम्मेदार लोगों से बात की और मैंने उनसे कहा कि यदि इसको प्रोत्साहन दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। यह प्लान्ट बहुत थोड़े कैपिटल से खोला जा सकता है और इससे गन्ने की समस्या भी कुछ सीमा तक हल हो सकती है।

मेरे पास बहुत समय नहीं है लेकिन मैं मोटी-मोटी बातों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगा। सरकार ने सर्विसों के लिये ध्यान दिया है। कहा जाता है कि रुपया तो पूरा ले लिया जाता है उसको व्यय भी किया जाता है लेकिन सफलता भी उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिये। पुलिस का जिकर किया गया है और सरकारी नौकरियों का भी इसमें जिकर है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि उन्होंने यह माना है कि पुलिस में कुछ काम किया है लेकिन फिर भी और करने की जरूरत है। यह नहीं है कि सब कुछ कर लिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन इन्क्वायरी तथा रिआर्गनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। डिसिप्लिनरी ऐक्शन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मुझे यह कहना है कि उसके लिये एक सब-कमेटी नियुक्त की जाय तब उसके बाद उसको कार्यान्वित किया जाय। सर्विसेज के लिये हमने पहले भी कहा है कि रिइम्पलायमेंट व एक्सटेंशन न दिया जाय।

इसके बाद हमारे सामने एक बड़ी समस्या आवश्यक वस्तुओं की कमी की थी उसका भी चर्चा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। सिमेंट, लोहा आदि वस्तुओं की, जो निर्माण-कार्य के लिये आवश्यक हैं, कमी हो गयी है। सरकारी निर्माण के अतिरिक्त लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने से मकान और कुयें बनाना चाहते हैं। हमें खुशी है कि जो सिमेंट फैक्ट्रीज यहां पर खोली जा रही हैं चुर्क की फैक्ट्री की कैपिसिटी बढ़ाई जा रही है। दूसरी बात अनाज की कमी है और हमें संतोष है कि उसके बारे में भी सरकार सतर्कता से कार्य कर रही है। बाढ़, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि भी हमारे प्रदेश की समस्यायें रही हैं। महामान्य राज्यपाल जी ने इसका भी अपने संबोधन में उल्लेख किया है। पिछले २,३ वर्षों में यहां कई बार इस पर वादविवाद हुआ है और सभी दलों के सदस्य सरकारी कार्य से असंतुष्ट नहीं रहे। मेरा सुझाव है कि यदि छोटी-छोटी स्थायी योजनाओं पर अधिक जोर दिया जाय तो अधिक लाभ होगा। मेरी तहसील में हर साल काफी मात्रा में लगान छोड़ा जाता है और तक़ावी दी जाती है। उसकी जगह अगर एक स्थायी योजना ले ली जाय तो उसमें ज्यादा बचत और लाभ हो सकता है। हम एक विधेयक गोरक्षा का यहां लाये और वह ऐक्ट बना। परन्तु यदि हम बुड्ढे गाय और बैलों का प्रबन्ध नहीं करें तो वह विधेयक बेकार हो जाता है। हमारी सरकार ने प्रांत में ८ बड़े सदन और हर जिले में एक सदन खोलने की योजना बनाई है।

ग्राम ऋण प्रदान संगठन के बारे में, रूरल क्रैडिट के बारे में भी कहा गया। मैं उसके लिये भी सरकार को जो कुछ उसने किया उसके लिये बधाई देता हूं। हमारे प्रदेश में यह काम साहूकारों पर निर्भर था और वे शोषण करते थे। वह चीज समाप्त हुई और होनी चाहिये थी परन्तु अब किसान को कर्जा नहीं मिलता था। आर्थिक विकास के लिये कर्ज की सुविधा बिलकुल जरूरी है। कहा है कि "मित्र तत्र न वक्तव्यम् यत्र नास्ति चतुष्टयम्, ऋणदाता च वैद्यश्च श्रोत्रिय सजला नदी।" जहां ऋण-दाता न हो वहां मत रहो"। आज सिवाय सरकारी तकावी के और कहीं से किसान को कर्जा नहीं मिलता और तकावी सीमित है तथा उसके पाने में देर लगती है। कई दफ्तरों

[श्री जगदीश प्रसाद]

में जाना पड़ता है। यह योजना रूरल क्रैडिट की लाकर सरकार ने यह कठिनाई दूर की है। इसके लिये भी मैं सरकार को बधाई देता हूं और महामान्य राज्यपाल का आभारी हूं कि उन्होंने इसकी चर्चा की।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं अन्त में एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो महामान्य राज्यपाल जी ने भी अपने अभिभाषण में कही है हमारी सारी प्रगति की बुनियाद सार्वजनिक सद्भावना है। हमें निर्माण शक्ति नहीं सद्भावना की नींव पर करना है और वह निर्माण स्थायी होगा, मुस्तकिल होगा।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--श्रीमन्, मैं बैठे हुये बोलने की अनुमति चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता--हां, अनुमति है।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं यह भी जानना चाहूंगा कि लंच का समय क्या है ?

श्री अधिष्ठाता--हम १ बजकर १५ मिनट पर उठेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि जो प्रस्ताव इस सदन के माननीय सदस्य श्री नवलकिशोर जी ने उपस्थित किया है और जिसका श्री जगदीश प्रसाद जी ने समर्थन किया है, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। साथ ही मैं यह कहना फर्ज समझता हूं कि जिन बातों का जिक्र राज्यपाल के संबोधन में है उनको उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से दोहराया है। इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि राज्यपाल जी के सम्बोधन में जिन बातों का जिक्र था उन्हें इस प्रकाश के बाद समझने में आसानी हुई, इसलिये मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं और मुझे पूर्ण आशा है कि वे इसी प्रकार से अपने भाषणों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा इस आदरणीय सदन को अनुग्रहीत करते रहेंगे। श्रीमन्, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि बावजूद इसके मुझे अफसोस है कि मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन न कर सकूंगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

> "किन्तु इस सदन को खेद है कि राज्यपाल के सम्बोधन में किस प्रकार खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक जीवन निर्वाह की वस्तुओं के मूल्य में कमी की जाय, गत वर्ष सेल्स टैक्स की वृद्धि से जो निर्धन पर बोझ बढ़ा हुआ है उसमें कमी की जाय, जिला बोर्डों का चुनाव जो ५ वर्ष से स्थगित है तथा कबाल टाउन्स में जहां म्युनिसिपैलिटियां कई वर्षों से भंग हैं, उनके चुनाव तुरन्त कराये जायं, योजना आयोग के प्रस्तावानुसार किस प्रकार भूमि का वितरण किया जाय, निम्न वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों तथा माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में इतनी वृद्धि की जाय कि उन्हें जीवन निर्वाह की वस्तुयें उपलब्ध हों, तथा जितनी ईख इस प्रदेश में उत्पन्न होती है उसके पेरने का समुचित प्रबन्ध हो, उल्लेख नहीं है।"

पश्तर इसके कि जो संशोधन मैंने अभी उपस्थित किया है, उसके संबंध में कुछ निवेदन करूं, मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जिन विषयों का राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है, उनके बारे में इस सदन के सामने अपने विचार पेश करूं। श्रीमन् से यह निवेदन है कि १९ पेज का राज्यपाल महोदय का संबोधन है और नियम के अनुसार १५ मिनट एक सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकता है। विरोधीदल के नेता की हैसियत से मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने संशोधन पर बोलने के साथ-साथ, राज्यपाल महोदय ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन पर भी कुछ रोशनी डालूं। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह १५ मिनट की शर्त मेरे ऊपर लागू न की जाय। मैं इसके लिये आपका विशेष आभारी हूंगा।

श्री अधिष्ठाता—जिस समय आप उसकी जरूरत समझें मुझे बता दें कि आप कितना समय और चाहते हैं, मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन के १८ वें पृष्ठ पर लिखा है—

"मेरी सरकार एवं भारत का लक्ष्य क्रमिक किन्तु स्थिर रूप से प्रगतिशील समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है।"

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ा अच्छा ध्येय है लेकिन इस कथन के ठीक होने में बड़ा संदेह है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, मैं उस समय यह कह रहा था कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह उल्लेख किया है "मेरी सरकार एवं भारत का लक्ष्य क्रमिक किन्तु स्थिर रूप से प्रगतिशील समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करना है।" आये दिन इसका जिक्र हुआ करता है, श्रीमन्, कि यह सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने की कायल है और इस उल्लेख में भी इस बात का दावा किया गया है। लेकिन इसी उल्लेख में मैं श्रीमान् का ध्यान और आप के द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सफा ८ के दूसरे पैराग्राफ की सेकण्ड लाइन में लिखा हुआ है "केन्द्रीय सरकार ने कानपुर में रेयन का सूत, फिलामेंट उद्योग तथा वस्त्रोत्पादक मशीनरी के उत्पादन, तथा वाराणसी जिले में सोडाऐश और अमोनियम क्लोराइड उद्योगों के लाइसेंस स्वीकृत कर दिये हैं।" जहां तक मुझे मालूम है श्रीमन्, ये लाइसेंस बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिये गये हैं और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लगभग ३ करोड़ रुपये की रकम तीन उद्योगपतियों को दी गयी है कि वे बड़े-बड़े कारखाने लगा सकें। एक तरफ़ तो समाजवादी व्यवस्था का दावा, दूसरी तरफ़ जनता के धन से पूंजीपतियों द्वारा बड़े बड़े कारखानों का लगाया जाना, ये दो बातें असंगत हैं, एक दूसरे की कंट्रेडिक्टरी हैं और स्वयं इस सम्बोधन में जहां समाजवादी समाज कायम करने का दावा किया गया है वहीं पर यह भी लिखा गया है कि बड़े-बड़े उद्योग प्राइवेट सेक्टर में जनता के रुपये से लगाये जा रहे हैं। तो मुझे अफसोस है कि तीन करोड़ रुपया जो इनको दिया गया है, एक साल से अधिक हो गया दिये हुए, एक साल के अन्दर क्या कार्यवाही हुई उस सिलसिले में इसका उल्लेख राज्यपाल महोदय ने नहीं किया। सिर्फ इजाजत मिली है। रुपया पहले दिया गया और इजाजत १० महीने के बाद मिली। यह एक ऐसा नमूना और ऐसी व्यवस्था है, श्रीमन्, जैसा संसार के किसी प्रजातांत्रिक देश में मिलना मुश्किल होगा। तीन करोड़ रुपया दिये हुये सवा साल हो गये और आज तक, कानपुर में रेयन या फिलामेंट फैक्टरी कहां लगायी जायगी, जिसको रुपया दिया गया है उसकी हैसियत के बारे में ठीक जांच की गयी है या नहीं की गयी है, टैक्सटाइल मशीनरी बनाने के लिये क्या इन्तजाम किया गया है, क्या केवल इजाजत ही हो गई है, नहीं बतलाया गया है। तो जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया कि पब्लिक एक्सपेंसेज पर इस तरह से रुपया लगाना और समाजवादी व्यवस्था बनाने का दावा करना ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं।

इसी प्रकार पृष्ठ १४ पर श्रीमन् देखेंगे, लिखा हुआ है कि १९५५–५६ में ११,८०० स्कूल खोले गये थे प्रारम्भिक शिक्षा के। यह नहीं बतलाया गया है कि यह मिसप्रिंट है। मेरा जहां तक ख्याल है यह छपाई की गलती है, लेकिन दावा यह है कि इस चीज में इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि बहुत अच्छे ढंग से प्रारम्भिक शिक्षा चल सके। प्रारम्भिक शिक्षा के म्युनिसिपैलिटी के स्कूल लखनऊ नगर में १०० से ज्यादा हैं। सरकार का असर म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में बहुत ज्यादा है इसलिये कि लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को ८ साल से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भंग कर रखा है, तोड़ रखा है। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्कूल भी नहीं है लखनऊ नगर में, जहां कि जितने बच्चे वहां हैं उतने टाट और पट्टी का भी उनके दर्जे में बैठने के लिये प्रबन्ध हो या जहां झाड़ू लगाने के लिये कोई प्रबन्ध हो। हर स्कूल जो जो इस लखनऊ नगर में इस सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जो लोग भी चाहे जाकर देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद दावा करना कि शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ठीक तौर पर चल रहा है और उसकी प्रगति है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह वाकयात के खिलाफ़ बात है। यह भी मालूम है कि सन् १९५१-५२ में जितने लड़के इस प्रदेश में प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ते थे उसके मुकाबले में ५४-५५ में वह संख्या २ लाख के करीब घट गयी, एक हजार स्कूल कम हो गये और २ लाख की संख्या विद्यार्थियों की कम हो गई। क्या यह कोई गर्व की बात है ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह गर्व की बात नहीं है।

इसी प्रकार इसी सफे के तीसरे पैराग्राफ में लिखा है कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा में भी उन्नति हुई है। मालूम नहीं क्या उन्नति हुई है ? रिजल्ट खराब, आये दिन मास्टरों और लड़कों के झगड़े, आये दिन अध्यापकों और सरकार के झगड़े। इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट और लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में संशोधन किये गये। श्रीमन्, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन पाठशालाओं की उन्नति के लिये कौन से साधन सब से ज्यादा जरूरी होते हैं ? पाठशालाओं की शोहरत वहां के मास्टरों से होती है और मास्टरों के बाद लड़कों से होती है और वहां के प्रबन्धकों या प्रबन्धक कमेटी का स्थान तीसरे नम्बर पर आता है, लेकिन अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट या इलाहाबाद युनिवर्सिटी ऐक्ट का निरीक्षण करें तो मालूम होगा कि मास्टरों पर, उनकी नियत पर, उनकी योग्यता पर सन्देह है और प्रबन्धकों पर भरोसा है। यह तालीम में एक नया तजुर्बा है, मालूम नहीं कि किस सोशलिस्टिक पैटर्न का यह ढंग है जो लोग पढ़ाते नहीं हैं, जिन्होंने किताब नहीं बनाई या लिखी, जो वहां के मामलों को यदाकदा देखते हैं, ऐसे लोगों का एग्जिक्युटिव कमेटी में बहुमत है, जिनको पढ़ाना है, जो समझते हैं उनपर सन्देह है। मिसाल के तौर पर यह निवेदन करूंगा कि एक अध्यापक ६ साल से ज्यादा एग्जिक्यूटिव कौंसिल का मेंम्बर लगातार नहीं रह सकता, लेकिन कोई भी गैर अध्यापक ७ साल और अधिक भी रह सकता है, उसके लिये कोई रोक नहीं है। एक अध्यापक जो बीस साल से विश्वविद्यालय में पढ़ाता है वह ६ साल तक तो कौंसिल में बैठने योग्य है लेकिन अगर ६ साल से एक दिन बढ़ा तो वह योग्य नहीं रहता। साथ ही एक बैंक का मैनेजर है ६ साल से अधिक भी रह सकता है। समझ में नहीं आता कि यह डिसक्रिमिनेशन क्या है ? इससे मास्टरों की हैसियत पर, उनकी उमंग पर ऐसी ठेस मारी गई है कि जिस के कारण यह दावा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा में उन्नति हुई है वह कतई सही नहीं है।

श्रीमन्,आप यह भी देखें कि विश्वविद्यालयों की दशा क्या हो गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइसचांसलर के एप्वाइंटमेंट के सम्बन्ध में हम ने देखा कि मनोनीत आदमी सब एक ओर वोट करते हैं, यह किसी भी सरकार के लिये शोभनीय बात नहीं है। मुझे अफसोस क साथ कहना पड़ता है कि अब यूनिवर्सिटीज के वाइसचांसलर का चुनाव भी वैसे ही होने लगा जैसे आज से बीस साल पहले सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का होता था। इस तरह से वहां के स्तर को गिराया गया है। अफसोस है कि एग्जिक्यूटिव कौंसिल द्वारा भेजे हुये नाम, चार महीने हो गये कुछ नहीं हुआ, यह सब क्या है ? यूनिवर्सिटी कोई खाला जी का घर है ? यह सब हो रहा है और उस के बाद कहा जाय कि शिक्षा में उन्नति हुई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी दूसरे देश की यूनिवर्सिटीज का संचालन इस प्रकार नहीं होता। पहले यूनिवर्सिटी कोर्ट में हर रीडर मेम्बर होता था लेकिन अब ९० में से ९ ही होंगे। अध्यापकों की संख्या कम कर दी गई। सही बात है और शिकायत का मौका है कि राज्यपाल के सम्बोधन में कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया। यह अफसोस है कि बड़ी मुद्दत के बाद पहले-पहले यह सदन बैठा है लेकिन मिनिस्टरों में से इस वक्त सदन से ७५ फीसदी गायब हैं।

श्री अधिष्ठाता--कितना समय आप और चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं २५ मिनट चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--तो ठीक है।

श्री त्रिलोकीसिंह--थैंक यु, सर।

मैं निवेदन कर रहा था कि लखनऊ युनिवर्सिटी के कोर्ट में मास्टरों की संख्या में कमी की गयी और गैर मास्टरों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। इलाहाबाद में, मैंने आज सुबह देखा कि ला विभाग के दो हिस्से हो गये। एक नयी परिभाषा, श्रीमन्, सरकार ने बनायी है। स्टैट्युट ला, कांस्टीट्युशन ला, जनरल ला, प्राइवेट ला। अगर अंग्रेजी भाषा की डिक्शनरी को देखा जाय तो स्टैट्युट और ला में फर्क क्या है। कोई भी ला जब तक स्टैट्युट बुक पर न रखा जाय स्टैट्युटरी ला नहीं हो सकता चाहे कांस्टीट्युशनल लॉ हो, चाहे अन्य लॉ हो, मतलब मार्शल लॉ, या मैरीन लॉ, कोई लॉ हो हर लॉ के लिये यह जरूरी है। लेकिन उन्होंने दो विभाग कर दिये हैं और साथ ही साथ यह भी कर दिया कि रीडर जो जूनियर है, वह डीन बनाया जायगा, सीनियर नहीं बनाया जायगा। एक तो मास्टरों पर शुबहा। रीडर ९० की तादाद में कोर्ट के मेम्बर होते थे। अब ९० से ९ कर दिया। दूसरी तरफ प्रिन्सिपल एग्जिक्युटिव कांउसिल में बैठेगा। कौन प्रिन्सिपल बैठेंगे, लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज के प्रिंसिपल, लखनऊ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल और कानपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल। उन पर यह नियम नहीं लागू है। तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह दावा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में उन्नति हुई है यह सही नहीं है।

एक बड़ी साधारण बात है, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूल्स बनते हैं। वह रूल्स मैंने भी देखें हैं। उसमें आब्जेक्शंस इनवाइट किये जाते हैं कि जिसको एतराज हो वह उज्रदारी कर दे। लेकिन युनिवर्सिटी के स्टैट्युट्स काउंसिल हाउस के कमरे में बन गये। उस पर किसी को एतराज करने का मौक़ा नहीं दिया गया।

श्रीमन्, मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान की धारा १७६ में यह लिखा हुआ है कि जब इस प्रकार से सदन बुलाया जायगा तो राज्यपाल काजेज़ आफ समन्स बताएंगे, उन्होंने क्यों बुलाया है। मैंने उनके सम्बोधन को पूरा पढ़ डाला। मेरी समझ में नहीं आया कि "मेरी सरकार" से कोई और मतलब तो नहीं है। वर्तमान सरकार जो १९५७ के अप्रैल से बनायी गयी इसका कोई सम्बन्ध पहले जो इस प्रदेश के अन्दर सरकार कायम थी नहीं। लेकिन यह दावा कि मेरी सरकार ने किया है, हुज़ूरवाला, यह सरकार इनकी थी कहां? क्या यही सरकार थी अप्रैल, १९५७ के पहले? किन्तु यह दावा किया। पांच साल पुराना लेखा रख दिया और एक जुमला यह भी लिख दिया कि अभी चन्द दिन हुये हैं सरकार को आये हुए, मौका नहीं मिला प्रोग्राम बनाने का। श्रीमन्, किसी लोकतन्त्रीय देश में जो चुनाव लड़ता है वह चुनाव लड़ने के पहले, जब वोट मांगने जाता है तो कहता है कि हमको वोट देना हम यह करेंगे। पूरा प्रोग्राम रखता है। अभी जुमा-जुमा आठ दिन हुए चुनाव के उस वक्त इतना बड़ा प्रोग्राम बन सकता है कि पांच साल का प्रोग्राम पेश कर दे और कर भी चुके हैं। इससे बिल्कुल साफ-साफ मानी हैं कि जो जनता के सामने एलेक्शन प्लेजेज़ दी गयीं उनमें संजीदगी-सिसियरिटी नहीं थी। एलेक्शन में तो सौ बातें कह कर आये और यहां कहते हैं कि वक्त नहीं मिला। मैं बहुत दस्तबस्ता गुज़ारिश करूंगा कि यदि गौर किया जाय तो हमारे साथ खिलवाड़ करने के लिये इस सदन को बुलाने का प्रयत्न किया गया है बजाय इसके कि कोई काम हमारे सामने रखा जाता है। मैंने अपने संशोधन में लिखा है कि "खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक जीवन निर्वाह की वस्तुओं के मूल्य में कमी की जाय".....।

जिक्र है कि खूब पैदावार बढ़ रही है। पैदावार बढ़ रही है अनाज की। लेकिन खाने को तो मिले। दाम बढ़ रहे हैं। मुख्य चीज है दाम को घटाने की बात। क्या सरकार की पौलिसी है कि दाम दिनों दिन बढ़ते चले जायं इस सम्बोधन में हवाला है केन्द्रीय सरकार के

[श्री त्रिलोकीसिंह]

कार्यों का, जो नहीं होना चाहिये, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूंगा। केन्द्रीय सरकार ने काश्मीर की समस्या में यह किया, फलां जगह यह किया, बहुत अच्छा। लेकिन यह तो बतायें कि केन्द्रीय सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने अभी परसों यह बात कही है कि चीजों के दाम बढ़ेंगे और यह बहुत ठीक है, किन्तु इस सम्बोधन में यह बात बड़ी खूबी के साथ, मुबारकबाद के लायक है वह जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया, छपाई गई। कहीं इसका ज़िक्र नहीं किया। पैदावार तो बढ़ेगी लेकिन दाम भी कम होंगे या नहीं होंगे इसका कहीं उल्लेख नहीं। १० रु० मन गेहूं खरीदा गया और केन्द्रीय सरकार ने खरीदा और यहां भी और ६ महीने के अन्दर १५ रु० ४ आना मन उसको बेचा। सन् १९५५ के नवम्बर मास की यह बात है। संसार के इतिहास में कहीं कोई सरकार ऐसा करती है कि १० रु० मन खरीद कर १५ रु० ४ आने मन बेचे और कौन सी चीज, गेहूं? जो सरकार ५० फ़ीसदी का मुनाफ़ाखोरी कर सकती है ज़ाहिर है कि उस सरकार का दावा करना कि वह समाजवादी व्यवस्था की हामी है बिल्कुल ग़लत है। या वह खाद्यान्न पर नियन्त्रण इसलिये चाहती है कि लोगों को भरपेट खाना मिले, बिल्कुल ग़लत है।

इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखें सेल्स टैक्स में पिछले साल जो वृद्धि की थी। उसके बाद क्या नया फ़ारमूला निकाला, मुक्ति कर, ऐग्ज़ेम्पशन फ़ी का। इसलिये फ़ीस दो कि फ़ीस देने से मुक्ति हासिल हो। कहां का यह कानून है कि टैक्स इसलिये दो कि तुम्हें टैक्स न देना पड़े? एक नई व्यवस्था बना दी है और श्रीमन्, कहीं भी किसी टैक्स की व्यवस्था में यह नहीं है कि अगर ३० तारीख़ तक दोगे तो १०० रु० और अगर ३१ या पहली तारीख़ हो गई तो १२५ रु०। लेकिन इस सेल्स टैक्स में अगर ऐगज़ेम्प्शन फ़ी देकर अपने को रजिस्टर करा लो तो कम टैक्स पड़ेगा और नहीं कराया तो दूसरा रेट हो जायगा। पूरे टैक्स के स्ट्रक्चर को किसी लोकतन्त्रीय समाज में देखें तो टैक्स आमदनी पर या बिक्री पर लिया जाता है। जितनी बिक्री है उस पर टैक्स लो। लेकिन नहीं, बिक्री हो या न हो अगर ऐगज़ेम्प्शन फ़ी नहीं दोगे तो इस रेट से देना पड़ेगा अन्यथा दूसरे रेट से देना पड़ेगा चाहे जितनी बिक्री हो टैक्स तो देना ही है। तो मेरी समझ में नहीं आया और मैं यह उम्मीद करता था कि इस चुनाव के बाद राज्यपाल महोदय, और सरकार विशेष ध्यान देगी। उसका कोई ज़िक्र नहीं है। इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव.....

श्री अधिष्ठाता--आप का समय खत्म हो गया।

श्री त्रिलोकीसिंह--आप ने हमको २५ मिनट दिये थे मैं आप का मशकूर हूं। लेकिन जो मैंने संशोधन दिया था उसमें से तीन बातों का ज़िक्र रह गया। तो मैं आप की इजाज़त से आदरणीय सदन से माफ़ी चाहूंगा। लेकिन मेरे बाद बहुत से मेरे साथी हैं जो बोलेंगे। मैं अपने संशोधन के उन हिस्सों को भूल नहीं रहा हूं जिसका जिला बोर्डों और कबाल टाउन्स की म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव से सम्बन्ध है, डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड से जो प्लानिंग कमीशन से मान्यता प्राप्त एक योजना है और जिसका निम्न वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों और माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से वास्ता है। और जिसका इस प्रदेश में जो ईख उत्पन्न होती है उसके पेरने का प्रबन्ध हो ठीक से, इन सब पर मेरे साथी रोशनी डालेंगे।

मैं श्रीमन्, आधा मिनट में अर्ज़ करूंगा मैंने इसी संशोधन में लिखा है "निम्न वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों तथा माध्यमिक व प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में इतनी वृद्धि की जाय कि उन्हें जीवन निर्वाह की वस्तुयें उपलब्ध हों".....

जेल ऐडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि अगर एक आदमी चोरी करे, बदमासी करे और यू० पी० की जेल में बन्द हो जाय तो उस पर सरकार का साल में ३२३ रु० खर्च होता है और एक परिवार हमारे देश में साढ़े चार आदमियों का होता है। तो फ़ी आदमी पर ३२३ रु० जो जेल में खर्च होता है वह, लगाया जाय तो करीब १,३०० रु०

एक परिवार का खर्चा आया। तो अगर पूरा परिवार चोरी करके जेल में बन्द हो जाय तो ज्यादा पायेगा और अगर सरकारी नौकरी करे तो कम पायेगा। मुझे इन दोनों में बड़ा फर्क मालूम होता है। और मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर सरकार विशेष ध्यान देने की कोशिश करेगी। कम से कम उत्तर प्रदेश में जरूर व्यवस्था होगी कि चोरी करने वाले के मुकाबले में ६ घंटे या ८ घंटे मेहनत करने वालों को ज्यादा दाम मिलें, ज्यादा सुविधायें मिलें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि मूल प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं--

> "किन्तु सदन को खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की कोटि-कोटि जनता की ज्वलन्त समस्याओं के हल के लिये सरकार की भावी नीति और कार्य-क्रम सम्बन्धी आगे लिखी बातों का उल्लेख नहीं किया गया।"

१९५६-५७ के बजट में कर-पद्धति में सरकार द्वारा ऐसे सुधार किये जायंगे जिससे जन-कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना. . . .

*[स्थापना में स्पष्ट सहायता मिले। गरीब जनता अत्यधिक और कष्टप्रद भार से मुक्त हो विशेषकर १९५६ की पहली अप्रैल को लगाये गये और बढ़ाये गये बिक्री करों में जो अभी तक नहीं हटाये और घटाये गये हैं वे सब हटा घटा दिये जायंगे। अनुत्पादक जोतों को मालगुजारी से बरी कर दिया जायगा। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता दिलाकर सौ रुपये माहवार कर दिया जायगा। महंगी की भार से जनता को बचाने के लिए प्रत्यक्ष परिणाम प्रदर्शक प्रयत्न किये जायंगे। सरकार की ओर से हर नागरिक की रोजी और रोटी का प्रबन्ध किया जायगा। जब तक रोजी का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक बेकारों को बेकारी का भत्ता दिया जायगा। हाई-स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क कर दी जायगी। बढ़ाई हुई आबपाशी में काफी कमी की जायगी। नहरों का पानी काफी न मिलने और समय पर न मिलने सम्बन्धी शिकायतों को दूर किया जायगा। गन्ने की कीमतें बढ़ाई जायंगी। गन्ना उत्पादकों को उनका रुपया मिल-मालिकों से तुरन्त दिलाया जायगा। चकबन्दी सम्बन्धी शिकायतों को पूरा किया जायगा। जब तक शिकायतें दूर न हों तब तक के लिए चकबन्दी मुल्तवी कर दी जायगी। जंगलात सम्बन्धी शिकायतों को दूर किया जायगा। खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार की कीमतों में पैरिटी रखी जायगी। पूंजीवादी और नौकरशाही शोषण का अन्त किया जायगा। नौकरशाही पर पूर्ण जनतन्त्रीय नियन्त्रण रहेगा। शासन में शुचिता, क्षमता, शीघ्रता, और सरलता लाने का प्रबन्ध किया जायगा। गावों के विकास और उनकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। शहरों द्वारा गावों के शोषण को समाप्त किया जायगा। सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में स्वायत्त-शासन संस्थाओं के यथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नगरपालिकाओं इत्यादि के, कारपोरेशनों तथा ग्राम-पंचायतों के साधन और अधिकार बढ़ाये जायंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और कारपोरेशनों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायंगे। कारखानों के लाभ और प्रबन्ध में उनके मजदूरों को समुचित भाग दिया जायगा। जनता के स्वास्थ्य (चिकित्सा) के लिए सरकार की ओर से बीमा योजना शीघ्र लागू की जायगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में ही जनता की औसत आय में वृद्धि की जायगी जिससे किसी परिवार की माहवारी आय सौ रुपये से कम न हो। ग्रामोद्योगों और कुटीरोद्योगों के विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायगी। समस्त शोषितों अर्थात् पिछड़े वर्गों और क्षेत्रों को उनके समुचित समान अधिकार दिलाये जायंगे। नागरिकों की स्वाधीनता और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जायेगी।]

श्री अधिष्ठाता--माननीय पालीवाल जी, आप पूरा प्रस्ताव न पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है, वह पढ़ा हुआ मान लिया जायगा।

---

[*] संशोधन का यह भाग सदन में पढ़ा नहीं गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे मेरा कुछ समय बच जायगा। मैं आपसे इतना निवेदन तो कर ही दूं कि जितनी बातें मैंने अपने संशोधन में कही हैं उनके साथ न्याय १५ मिनट में नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे और सदन से क्षमा चाहूंगा यदि उसके साथ पूरा न्याय न कर सकूं। अभी मैं देख चुका हूं कि विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जो २५ मिनट लिये उसमें भी वे मुश्किल से पांच मिनट अपने संशोधन के सम्बन्ध में कह सके। तो यह कठिनाई मेरे सामने भी है क्योंकि मेरा समय तो पन्द्रह मिनट का ही है। इसलिए यदि मैं अपने संशोधन पर विस्तार से न कह सकूं तो इसके लिए मैं आपसे और सदन से क्षमा चाहूंगा और केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करूंगा जिनकी ओर इस समय मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। शेष बातों के सम्बन्ध में इस दल के अन्य साथी जो बोलेंगे वे कह सकेंगे और कहेंगे और अधिकतर मेरे संशोधन में जो बातें हैं दूसरे संशोधनों में भी सम्मिलित हैं, तो इस सदन के वे सम्मान्य सदस्य भी इस पर प्रकाश डाल देंगे।

संशोधन पर जो मैंने कहा है उसके बारे में यह हो सकता है कि सरकारी पक्ष से एक बात कही जाय, यह कहा जाय कि वैधानिक परम्परा यह है कि सदन में जो चीजें सदन के अधिवेशन में विचार के लिए आने वाली हैं केवल उन्हीं की चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होती है, वैधानिक परम्परा यही है। यह अब तक कहा जाता रहा है, सम्भव है कि यह बात आज भी कही जाय, लेकिन मेरा नम्र निवेदन यह है कि परम्परायें क्या गतिशून्य और जड़ होती हैं, क्या परम्पराओं का विकास नहीं होता, क्या हम परम्परा में परिवर्तन नहीं कर सकते ? मैं आपके द्वारा सरकार और सम्मान्य सदन के सामने यह सुझाव पेश करूंगा कि अब समय आ गया है कि जब हम इस परम्परा में आवश्यक और समुचित सुधार करें। इस परम्परा के कारण हम यह देखते हैं कि जो-जो बातें महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही हैं--एक तो यह कि पिछली सरकार की पांच साल की सफलताओं का लम्बा-चौड़ा लेखा उन्हीं के शब्दों में और दूसरे यह कि इस बात की ओर संकेत कि इस अधिवेशन में कौन-कौन से विधेयक आने वाले हैं--तो मेरा निवेदन है जैसा आप जानते हैं और सदन जानता है कि सरकार की पिछले पांच साल की सफलताओं का वर्णन तो सूचना विभाग से एक पैम्फलेट में प्रकाशित हो सकता है और हम लोगों को पढ़ने को दिया जा सकता है। उसमें महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण का समय न जाता तो ज्यादा अच्छा था और इसी तरह से यह सूचना कि इस अधिवेशन में क्या-क्या काम होगा महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पहले हम लोगों को मिल चुकी थी। तो ये दोनों ही बातें ऐसी थीं कि जिनके सम्बन्ध में महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण से सदन को कोई नयी बात नहीं मालूम हुई। इससे यह कहीं बेहतर होता कि महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नयी सरकार की ओर से नये मंत्रिमण्डल की ओर से अपने कार्यकाल में, यानी आगे आने वाले पांच साल में जो भावी नये कार्य-क्रम वह अपनाना चाहते हैं जनता की ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिए उनका वर्णन होता। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमारा संशोधन इस बात का द्योतक है कि हम उस परम्परा में इस तरह का सुधार चाहते हैं। आशा है कि सरकार इस सुझाव पर विचार करने की कृपा करेगी। अधिष्ठाता जी, महामान्य राज्यपाल महोदय, हमारे वर्तमान महामान्य राज्यपाल महोदय भाषा के शिल्पी हैं, भावों के धनी हैं, साहित्य के कलाकार हैं, यदि वह इस जड़ परम्परा के चौखटे में न बंधे होते, इसके पाश में न बंधे हुए होते तो उनका अभिभाषण हमें आशा थी और यह विश्वास था, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि उनका अभिभाषण अत्यन्त ही सरस और मर्मस्पर्शी होता, हमें उनके साहित्यिक अभिभाषण के रसास्वादन का अवसर मिलता। लेकिन इस परम्परा के कारण यह अभिभाषण, मैं यह कहने के लिए क्षमा चाहूंगा कि रेलवे टाइम टेबिल की तरह से नीरस है। सूचनायें कुछ मिलती हैं लेकिन उनमें कोई सरसता या स्फूर्ति हमें आगे के पथ-प्रदर्शन के लिये नहीं मिलती। मैं आशा करता हूं कि आगे के लिये परम्परा यह होनी चाहिये कि माननीय राज्यपाल महोदय'

जब नया अधिवेशन हो उसमें जो अभिभाषण करें तो अगले पांच वर्ष के लिये भावी कार्य-क्रम और नीति का निर्देशन करें। यह चीज हमारे लिये, सदन के लिये और सरकार के लिये भी कहीं अधिक अच्छी होगी और कहीं अधिक लाभप्रद और उपयोगी होगी।

जैसा कि मैं कह चुका हूं सभी बातों पर मैं सदन का ध्यान नहीं दिला सकता हूं। इसलिये कुछ बातें जिनकी ओर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं उनका ही इस समय उल्लेख करूंगा। पहली बात तो मैं यह चाहता हूं, मुझे खुशी है कि माननीय माल मंत्री महोदय इस समय यहां उपस्थित हैं कि कुछ चकबन्दी के सम्बन्ध में निवेदन करूं। जनता को इसके सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें हैं। यह इसलिये नहीं कि चकबन्दी का काम स्वयं अपने में कोई बुरी बात है। मैं तो इस बात से भी इंकार नहीं करता कि उससे लाभ की अधिक आशा है और वह लाभ जनता को मिलना चाहिये। लेकिन जैसी कि शासन की मशीन है और अब तक हमारे देश के दुर्भाग्य से उस शासन की मशीन में आम तौर पर यह होता है जैसा कि एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि गंगा जी का जल भी जब समुद्र में मिल जाता है तो खारी हो जाता है, उसी तरह से अच्छी से अच्छी बात और अच्छे से अच्छा कानून अगर शासन मशीन ठीक नहीं है तो वह जनता के लिये अत्याचार के इंजन और साधन बन जाते हैं। इस तरह की शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की और गरीब जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होने की चकबन्दी के सम्बन्ध में।

आपके द्वारा सरकार को और माननीय माल मंत्री महोदय को मैं, श्रीमन्, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि चकबन्दी के कार्य के सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार है तो मैं इसलिये नहीं कहता कि मैं विरोधी दल में हूं और केवल सरकार की आलोचना करना चाहता हूं या विरोध के लिये यह विरोध करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह बात मैं आज ही नहीं कह रहा हूं जब विरोधी पक्ष में हूं। मुझे याद है १९२४ से लेकर सन् २६ तक जब पहली बार स्वराज्य पार्टी की हैसियत से हम लोग यहां आये थे और मेरे सौभाग्य से मेरे जो एक साथी ठाकुर हुकुम सिंह, जो इस समय भी उन बेन्चेज पर बैठे हुए हैं, उनको याद होगा कि उस समय भी मैंने भ्रष्टाचार के विरोध का प्रस्ताव पेश किया था और उस कौंसिल में जिसमें हमारी पार्टी के केवल २३ सदस्य थे १२३ या कितने में तब भी वह प्रस्ताव पास हो गया। इतना समर्थन उसका हुआ था। तो यह बात मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज इस विरोधी पक्ष में बैठने के कारण नहीं कह रहा हूं। अगर मैं गलती नहीं करता हूं और मुझे याद है तो जब मैं मंत्रि मंडल में था तब भी मैंने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी और अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रायब्यूनल भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये बनाया गया था। यह बात मैं केवल यह विश्वास दिलाने के लिये सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि वे बाद में यह सन्देह न करें अगर कोई रचनात्मक सुझाव भी दिया जाता है सरकार के सुधार के लिये और जनता के कष्टों को दूर करने के लिये तो वह केवल विरोध के लिये दिया जाता है या सरकार को बदनाम करने के लिये दिया जाता है।

श्री चरणसिंह--आप यह क्यों समझ रहे हैं कि मेरी तरफ से यही जवाब होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं आशा करता हूं कि संभवतः आपकी तरफ से यह जवाब नहीं होगा, लेकिन अब तक जो जवाब पहले मिलते रहे हैं और अब तक जो प्रवृत्ति मैंने आज सबेरे आपके कहने से पहले तक देखी है वह मेरे कथन के प्रतिकूल नहीं है। इसलिये मैं ऐसा कह रहा हूं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिये कि आपने यह कह दिया कि आपका यह जवाब नहीं होगा। तो मेरा कथन केवल इतना ही है कि जब तक ये शिकायतें

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

दूर न हो जायं, जब तक ये कष्ट दूर न हो जायं तब तक के लिये चकबन्दी मुल्तवी कर दें तो अच्छा होगा, नहीं तो लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक होगी। और केवल दो बातें और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बाकी के लिए मेरे पास समय नहीं रहा।

मुहकमा जंगलात के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि ये नये जो जंगल लगाये गये हैं उसमें आगरे की खैरागढ़ तहसील के सम्बन्ध में मुझे मालूम है कि इस तरह से कांटों के घेरे लगा दिये गये हैं गांव के मकानों से सटा करके कि वहां की विशेष कर महिलाओं को शौचादि जाने के लिए भी जगह नहीं रह गयी है और पशुओं के चरने के लिए भी स्थान नहीं रह गया है, इसलिए पशुधन नष्ट हो रहा है और जनता की विपत्ति बढ़ रही है। इस प्रश्न पर सरकार विचार करे और जनता के कष्ट को दूर करने की कोशिश करे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि विरोधीदल के माननीय नेता ने कुछ यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में कहा, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ला फैकल्टी के विभाजन के सम्बन्ध में मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय की फैकल्टी के बारे में जो स्टैट्यूट्स बनाये गये हैं वह उसके ऐक्ट की स्पिरिट के विरुद्ध हैं और एकेडैमिक कौंसिल को बिना कंसल्ट किये हुए बनाये गये हैं और उनको बचाने के लिए कौंसिल को डिजाल्व कर दिया गया इसकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिये कि उसे ऐसा करना चाहिये था या नहीं करना चाहिये था।

अन्त में, माननीय राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि वह यह आशा प्रगट करते हैं कि विकास और निर्माण की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरा करने के काम में उनकी सरकार को सब दलों का सहयोग मिलेगा। मुझे खुशी है कि वह ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सहयोग और संघर्ष दोनों ही ऐसे हैं कि जिनकी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सरकार सहयोग चाहती है तो हम लोग सहयोग देने से इनकार नहीं करेंगे जनहितकारी कार्यों में बशर्ते कि हमसे सम्मानयुक्त सहयोग मांगा जाय और यह न हो कि विरोधी दलों से तो कहा जाय कि सहयोग दीजिये और सरकार का रुख असहयोग का हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपने दल की तरफ से और मैं आशा करता हूं कि शेष विरोधी दल भी मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि जनहितकारी कार्यों में, विकास, निर्माण और प्रगति के कार्यों में हमारी नीति लोकमान्य तिलक के शब्दों में "रेस्पांसिव कोआपरेशन" की रहेगी, प्रतियोगी सहयोग की रहेगी बशर्ते सरकार की ओर से हम से सम्मानपूर्वक सहयोग मांगा जाय। और अगर परम्परा के विरुद्ध हमारा अपमान किया जायगा और केवल सहयोग की दुहाई दी जायगी तो हम विवश होंगे कि हम उस नीति का विरोध करें।

श्री राजनारायण--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं नम्रता के साथ आपसे पहले ही निवेदन कर दूं कि मुझे आशा है कि आप उदारता के साथ समय की पाबन्दी हमारे ऊपर लगायेंगे।

श्री अधिष्ठाता--हमारे लिए बड़ी कठिनता होगी, १५ मिनट से बेशी टाइम देने में....

श्री राजनारायण--श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने जो अपना संबोधन किया और माननीय नवलकिशोर जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव किया, उसमें मैंने अपना संशोधन पेश किया है। आपने अभी व्यवस्था दी कि इस संशोधन को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और यह मान लिया जायगा कि यह सारे का सारा संशोधन पढ़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--थोड़ा सा आप पढ़ दें।

श्री राजनारायण—तो पहले पढ़े देता हूं—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने गत १६ अक्तूबर, सन् १९५६, ३ दिसम्बर, १९५६ तथा ४ अप्रैल, १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित मांगों को लेकर १० मई, १९५७ से आरम्भ होने वाले सविनय अवज्ञा आन्दोलन की सूचना पाने के बाद भी उस पर कुछ प्रकाश न डाला।"

*[(क) बिना मुनाफे की खेती और अनार्थिक जोतों पर से मालगुजारी खत्म हो।

(ख) दामों की बढ़ती बन्द हो और खेती तथा औद्योगिक उत्पादनों की कीमतों में संतुलन कायम हो

(ग) बिना जमीन का समुचित बटवारा हुये चकबन्दी वर्तमान रूप से बन्द की जाय,

(घ) खेतिहर मजदूरों की न्यायसंगत निम्नतम मजदूरी सारे राज्य में लागू की जाय,

(ङ) हर साल आने वाली बाढ़ों की रोकथाम के लिये तत्काल कदम उठाया जाय और बाढ़ से गिरे हुये मकानों के स्थान पर साधारण रहने योग्य समान मकान बनाने की व्यवस्था हो,

(च) कष्टदायक तथा असंगत कर जैसे बिक्री कर का वर्तमान स्वरूप और छोटी आमदनियों वाले तबकों के ऊपर पेशाकर, बढ़ा हुआ सिंचाई कर वगैरह खत्म हो,

(छ) बेरोजगारों को काम मिले या बेरोजगारी भत्ता मिले। बिना वैकल्पिक कामों की व्यवस्था किये अभिनवीकरण बन्द हो,

(ज) सबसे कम तथा सबसे अधिक आमदनियों और खर्चे के बीच एक और दस का अनुपात हो,

(झ) चोखम्भा राज स्थापित करने के लिये जिलाधीश का पद समाप्त किया जाय और जिला तथा गांव पंचायतों को पुलिस की व्यवस्था करने व सरकारी आय में से एक-चौथाई खर्च करने का अधिकार दिया जाय,

(ञ) बिना सफीना जारी किये थानों पर लोगों को बुलाने का गैरकानूनी अमल खत्म हो और साफ तौर पर कानूनी इजाजत के बिना मुकदमों को मुल्तवी न किया जाय,

(ट) आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई को सबके लिये समान रूप से मुफ्त और लाजिमी कर दिया जाय। हरिजनों तथा कबीलों के छात्रों को यह सुविधा बारहवीं कक्षा तक प्राप्त हो और उनके लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था उच्चतम पढाई तक की जाय,

२—हरिजन मंदिर (अधिकार घोषणा) विधेयक जो अधिनियम बनने के बाद भी सरकार की उदासीनता से हरिजन मंदिर प्रवेश की समस्या हल न होने से जो विषम परिस्थिति बनी हुई है उस पर प्रकाश नहीं डाला,

३—कश्मीर समस्या के समुचित समाधान का जो स्वस्थ मार्ग सोशलिस्ट पार्टी ने सुझाया था उसे न मानने से अब तक देश की हानि हुई है उसकी चर्चा नहीं की,

---

* [ ] संशोधन का यह भाग सदन में पढ़ा नहीं गया।

[श्री राजनारायण]

४--उत्तर प्रदेशीय सरकार के सूचना विभाग के सोशलिस्ट पार्टी के उम्मेदवारों की "स्वतंत्र" उम्मेदवार पुस्तिका बांटने से लोकतांत्रिक ढंग से सच्चा मतदान होने में जो बाधायें पड़ी हैं उसकी तनिक भी चर्चा न की,

५--सिंचाई कर विरोधी आन्दोलन के समय का करीब दो लाख जुरमाने का रुपया हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल ऐक्ट को अवैध करार देने के बाद भी सरकार ने वापस न कर किसानों के साथ जो ज्यादती की उस पर राज्यपाल महोदय ने संकेत न किया,

६--कोआपरेटिव आन्दोलन की प्रगति में बाधा स्वरूप वर्तमान नियमावली के स्थान पर नया ऐक्ट लाने की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं किया,

७--गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा उनके उचित गन्ने की कीमत दिलाने की व्यवस्था करने का सुझाव सरकार को राज्यपाल महोदय ने न दिया,

८--राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में होने वाले अपव्यय को रोकने के लिये ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने की व्यवस्था करने की ओर संकेत नहीं किया,

९--राज्यपाल महोदय ने इतने दिनों से लटका हुआ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड संशोधन विधेयक को तत्काल पारित कराने की ओर सरकार का ध्यान नहीं खींचा,

१०--सूचना विभाग, समाजकल्याण विभाग, हरिजन सहायक विभाग द्वारा होने वाले अपव्यय की रोकथाम की व्यवस्था करने की ओर कुछ भी चर्चा न की,

११--ग्रामों में बढ़ती हुई डकैती, कत्ल की रोकथाम करने तथा ग्रामीण प्रतिरक्षा समिति में राजनैतिक प्रभाव बढ़ाने की मनोवृत्ति को छोड़ने की तत्काल व्यवस्था कराने की ओर सरकार का ध्यान न खींचा,

१२--उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में तत्काल विधेयक लाने की ओर कुछ भी जोर न दिया,

१३--अतिवर्षा, ओला आदि से क्षतिग्रस्त क्षेत्र के किसानों का लगान माफ करने, मुफ्त सहायता प्रदान करने वा तकाबी माफ करने के लिये नया विधेयक लाने की आवश्यकता पर जोर न दिया,

१४--जबरदस्ती बेदखली को रोकने तथा जिनको सीरदारी का हक मिल चुका है उनके हक की हिफाजत करने के लिये तत्काल नया विधेयक लाने की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया,

१५--विधान सभा के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहने पर भी ९ दिन के भत्ते के बराबर यात्रा-व्यय मिलने की अनावश्यकता तथा अनौचित्यता की ओर श्री राज्यपाल महोदय ने ध्यान आकर्षित नहीं किया,

१६--सरकारी कर्मचारियों का प्रथम सेवाकाल समाप्त हो जाने के बाद भी उनको नई-नई जगहों पर सुशोभित करने की दुर्व्यवस्था और पक्षपातपूर्ण वातावरण प्रसारित कर भ्रष्टाचार को बढ़ाने की व्यवस्था को समाप्त करने की सलाह सरकार को नहीं दिया,

१७--न्यायार्थ कचहरियों में जो कागजात सरकारी दफतरों से तलब किये जायें उनको कचहरियों में दाखिल करने की आवश्यकता पर भी राज्यपाल महोदय ने जोर नहीं दिया ?

१८--प्रदेश में रेशम तथा सूत के कपड़ा बुनने वाले बुनकरों के हक की हिफाजत करने वाले एक नये विधेयक लाने की आवश्यकता पर भी कुछ संकेत नहीं किया ।]

और ये हमारी मांगे हैं श्रीमन्, कि बिना मुनाफे की खेती और अनार्थिक जोतों पर से मालगुजारी खत्म हो---दामों की बढ़ती बन्द हो और खेती तथा औद्योगिक उत्पादनों की कीमतों में संतुलन कायम हो, इत्यादि-इत्यादि । और मैं समझता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य तथा समस्त पत्रों के प्रतिनिधि यह समझेंगे कि सारा संशोधन हमारा पढ़ा हुआ है ।

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अपना संबोधन किया है, एक प्रकार से यदि देखा जाय तो वह प्राचीन परम्पराओं का उल्लंघन किया गया है । अगर पार्लियामेंटरी पद्धति को देखा जाय तो हिन्दुस्तान में जो पार्लियामेंटरी पद्धति चल रही है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट की नकल-सी है । इसमें देखा जायगा कि किंग का ऐड्रेस क्या होता है और उसके ऐड्रेस पर संशोधन किस तरह से आते हैं । किंग जब ऐड्रेस देने के लिये आता है तो वह अपनी गवर्नमेंट की फ्यूचर पालिसी को बतलाता है मगर राज्यपाल महोदय ने, उनकी सरकार की फ्यूचर पालिसी क्या होगी, इसके संबंध में तनिक भी चर्चा नहीं की है बल्कि प्राचीन काल में जिस तरह से राज दरबार में भट्ट लोग रहा करते थे और अपने राजा की प्रशंसा के गुण गाया करते थे उसी प्रकार सरकार के गुण गान में उन्होंने एक पुस्तिका लिख डाली है । मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जितने आंकड़े दिये हैं, इस प्रदेश के विकास के बारे में, जन उत्थान के बारे में और तरक्की के बारे में, उसके विरोधी आंकड़े सरकारी रिपोर्टों और किताबों में से निकाल कर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । एक ऐसा भ्रामक दृश्य दिखलाया गया है, जिससे दूर से पढ़ने वाला समझे कि उत्तर प्रदेश में चारों ओर हरियाली लहरा रही है, जैसे "मुनिहि हरे हरे सूझ" यहां पर न कोई परेशानी है, न कोई दिक्कत है, न गरीबी है, न कहीं बेकारी है और न कहीं जोर जुल्म है । अगर देखा जाय, श्रीमन्, उत्पादन के प्रश्न को लेकर, अन्न की पैदावार, जूट की पैदावार, खाल की पैदावार, चमड़े की पैदावार, मुर्गी की पैदावार, अंडे की पैदावार, मांस की पैदावार, और मछली की पैदावार, यानी हर चीज की पैदावार का औसत १९४२ के बनिस्बत कम है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के मंत्रिगण जरा इनको देखें ।

अब मैं दूसरे आंकड़े सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में सामाजिक सेवा तथा आर्थिक विकास की बड़ी चर्चा की है और बहुत से सदस्यों में और बाहर दुनिया में लोगों के दिमागों में यह चीज भरी हुई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी है और कायदे से काम करने वाली है और यहां काफी विकास हो रहा है तो यहां के आंकड़ों में हमें जाना चाहिये, वाग्जाल बिछाने से कोई फायदा नहीं होगा ।

उत्तर प्रदेश में १९५० में एक देहाती की आमदनी का औसत २१२ रुपये था वही अब घटकर १९२ रुपये ही रह गया है यानी करीब २० रुपये कम हुआ है । गरीबों पर टैक्स का बोझा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और इसके साथ ही साथ राहजनी, चोरी, डकैती, कत्ल और दंगे आदि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की बनिस्बत ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं ।

श्रीमन्, अब जरा खर्चे को देखिये । अंग्रेजी राज्य में एक सलाहकार के ऊपर ३,७०० रुपया खर्च होता था और उस समय तीन सलाहकार थे । इस समय मंत्री, उप-मंत्री, पार्लिया-

[श्री राजनारायण]

मेंटरी सेक्रेटरी वगैरह सब मिलाकर करीब ३० हो जायंगे और एक मंत्री के ऊपर ६ हजार से कम खर्चा नहीं पड़ता है। पहले के बजट को और अब के बजट को भी देखा जाय, पहले के टैक्सों को और अब के टैक्सों को भी देखा जाय। १९३६-३७ में १२ करोड़ के करीब बजट था, जो अब १९५६-५७ में अनुपूरकों को मिलाकर १०७ करोड़ के करीब है। यह बजट का हिसाब और खर्चा कैसे हो रहा है। १९४२ में जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो कुल ६ ऐतराज आडिट के हुये थे और उनमें पांच हजार कई सौ की रकम इंवालव्ड थी। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो १९४९-५० में ३९,६०० ऐतराज हुये और १४ करोड़ की रकम इंवालव्ड थी और १९५३-५४ में ३४,००० ऐतराज हैं और ३१ करोड़ की रकम इंवालव्ड है। यह इनके खर्च करने का तरीका है।

इसके बाद आगे देखा जाय कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से खर्चा होता है सिविल सर्विसेज पर, जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर, सामाजिक सेवाओं पर और आर्थिक विकास पर, दूसरे प्रदेशों की बनिस्बत। हमने क्यों दूसरे प्रदेशों से तुलना की है। इसीलिये कि राज्यपाल महोदय ने आंकड़े पढ़े.....

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता था कि जब बजट होता उस समय यह चीज होती। मैं आपको रोकता नहीं हूं।

श्री राजनारायण--१९५३-५४ में सिविल सर्विसेज पर जो खर्चा हुआ वह इस प्रकार है कि:--

१--आसाम	..	..	..	१६.७
२--मध्य प्रदेश	..	..	..	२३.१
३--बम्बई	..	..	..	२४.२
४--हैदराबाद	..	..	..	२०.०
५--मध्यभारत	..	..	..	२३.१
६--मैसूर	..	..	..	१३.१
७--ट्रावनकोर कोचीन	..	..	..	११.४
८--उत्तर प्रदेश	..	..	..	२४.६

यानी, अन्य सूबों की बनिस्बत उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज पर ज्यादा खर्च हुआ है।

इसके साथ-साथ सामान्य प्रशासन के जो वास्तविक आंकड़े हैं १९५२-५३ के, वे साबित करते हैं कि बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद और ट्रावनकोर कोचीन में उत्तर प्रदेश से कम खर्च हुआ है।

इसके साथ-साथ सामाजिक सेवाओं पर उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है और दूसरे प्रदेशों में कितना खर्च हो रहा है, यह देखने से मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पर केवल २ रुपये ४ आने सामाजिक सेवाओं पर खर्च किये जाते हैं जब कि आसाम में ३·१ रुपया, बम्बई में ६ रुपये, मद्रास में ३·३ रुपये, पंजाब में ३·१ रुपये, पश्चिमी बंगाल में में ३·६ रुपये, हैदराबाद में ३·२ रुपये, मध्य प्रदेश में ३·९ रुपये, मैसूर में ६·९ रुपये, पेप्सू जैसे छोटे राज्य में ३·४ रुपये, सौराष्ट्र में ५·२ रुपये और ट्रावनकोर-कोचीन में ४·२ रुपये प्रति व्यक्ति पर खर्च किये जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय राजनारायण जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो संशोधन आप ने दिये हैं उनमें से किससे यह सब सम्बन्धित है?

श्री राजनारायण--पहले तो मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर आ रहा हूं यह आप भूल गये। माननीय राज्यपाल ने जो एक कल्पित महल बनाया है, पहले उसको ढहा लूं तब अपने संशोधन पर आऊंगा। यही परम्परा रही है।

श्री चरणसिंह—माननीय सदस्य जरा यह भी बता दें कि टैक्सेशन पर कैपिटा दूसरी स्टेट्स में हमारी स्टेट के मुकाबिले में कितना है ?

श्री राजनारायण—वह आप दीजियेगा। अच्छा है, इस तरह से आदान-प्रदान विचारों का हो तो मैं स्वागत करता हूं। माननीय राजस्व मंत्री ने टैक्सेशन की चर्चा की। अब आप इसको देखें कि अगर एक व्यक्ति की आमदनी २०० रुपये है और दूसरी स्टेट में प्रति व्यक्ति पीछे १,००० रुपये आमदनी है तो २०० रुपये पर २ रुपये भी टैक्स लगाना अनुचित होगा और १,००० रुपया पाने वाले पर १० रुपया टैक्स लगाना भी अनुचित नहीं होगा। इसीलिये जितने फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार की भर्त्सना की है और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कैपिटा टैक्स के आंकड़ों को लेकर योजना बनाने के लिये लालायित रहती है। इसी में उसकी ग़लती होती है क्योंकि टैक्सेशन पर कैपिटा कितना है इससे उस प्रदेश की समृद्धि नहीं जांची जायगी, उसकी आमदनी कितनी है इससे उसकी समृद्धि जांची जायगी। और आप माफ़ करेंगे, बिक्री-कर आन्दोलन के सम्बन्ध में जब मैं जेल गया था तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने, जो इस समय इस सदन में नहीं हैं, एक पत्र मुझे जेल में भेजा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन कम है। तो मैंने उनको सब प्रदेशों की आमदनी भेज दी।

श्री चरणसिंह—तो फिर खर्चे की शिकायत तो नहीं रही।

श्री राजनारायण—मैं आ रहा हूं उस पर, आप क्यों घबरा रहे हैं। अब मैं आप के सामने एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े पेश करता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आर्थिक विकास हुआ उसमें ५०–५१ में आर्थिक विकास पर ११.२८ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और नान-डेवलपमेंटल हेड पर २७·२२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसी तरह से ५१–५२ में नान-डेवलपमेंटल हेड पर ३० करोड़ रुपया खर्च हुआ है और आर्थिक विकास पर १२·८ करोड़ रुपया खर्च हुआ। '५२–५३ में नान-डेवलपमेंटल हेड पर ३७·२९ करोड़ रुपया खर्च हुआ और आर्थिक विकास पर १२·४५ करोड़ रुपया खर्च हुआ। ५३–५४ में नान-डेवलपमेंटल हेड पर ४३·९४ करोड़ रुपये खर्च हुआ और आर्थिक विकास पर १३·८ करोड़ रुपये खर्च हुये और ५४–५५ में नान-डेवलपमेंटल हेड पर ४६·७२ करोड़ खर्च हुआ है और आर्थिक विकास पर १७·२२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है। यह इस सरकार के खर्च करने का तरीका है और फिर इसके बाद वह देश भर में कहेगी कि बड़ा भारी विकास वहां पर हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल ने जो विकास का नक्शा खींचा है वह भ्रामक है और इस प्रकार के अवगुणों को छिपाने का सराहनीय प्रयत्न है। इसके लिये अगर उन्हें धन्यवाद दिया जाय तो मैं उन्हें धन्यवाद देने को तैयार हूं कि महामान्य राज्यपाल ने बहुत अच्छे, बहुत सुन्दर शब्दों में इस उत्तर प्रदेश की सरकार के पुराने पापों पर जो पिछले पांच वर्षों में उसने किये हैं, सब पर पर्दा डालने का प्रयत्न किया है।

अब मैं आप के जरिये अपने सत्यापह पर आना चाहता हूं। इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों को मालूम हो गया होगा कि उत्तर प्रदेश की सोशलिस्ट पार्टी १० मई से इस प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने वाली है। उस सम्बन्ध में मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को एक पत्र लिखा था। माननीय राज्यपाल महोदय ने उसका जवाब भी दिया है। श्रीमन्, आप इसका वहां पर पढ़ा जाना आवश्यक समझेंगे और इसके लिये मुझे कुछ समय जरूर और देंगे।

श्री अधिष्ठाता—न पढ़िये तो ज्यादा अच्छा है इससे आप का समय ही बच जायेगा।

श्री राजनारायण—यह जो सिविल डिसओबिडियेंस मूवमेंट है जिसको सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी कहते हैं उसकी चर्चा आज से नहीं है, बल्कि १ मार्च, सन् १९५६ को जब यहां पर जनप्रदर्शन हुआ था तब भी इन्हीं मांगों को दिया गया था। इसके पश्चात् १६ अक्तूबर, १९५६ को बाराबंकी के बद्दूपुर गांव में सोशलिस्ट पार्टी की प्रान्तीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव

[श्री राजनारायण]

पास किया था और उसके बाद २ और ३ दिसम्बर को फिर बाराबंकी में प्रान्तीय सम्मेलन सोशलिस्ट पार्टी का हुआ था। इन सब में उन मांगों को दुहराया गया था। इसके बाद हम बराबर सरकार के टच में हैं और उनको सूचना देते रहे हैं और इसके बाद भी माननीय राज्यपाल जी कहते हैं कि जनतंत्र में जहां जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है वहां एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल मीन्स ऐडाप्ट न किया जाय। यह जो कांस्टीट्यूशनल मीन्स का विषय है इसके सम्बन्ध में मैं महात्मा गांधी का एक कोटेशन पढ़ना चाहता हूं।

"अगर विधान सभायें किसानों के हित की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हों तो निस्संदेह उनके सामने असहयोग और सविनय अवज्ञा का सर्वोच्च उपाय रहेगा। अन्ततः अन्याय और दमन के विरुद्ध कागजी कानून, शासकीय शब्दों और जोशीले भाषणों से नहीं वरन् अहिंसात्मक संगठन, अनुशासन और बलिदान में ही जनता की वास्तविक सुरक्षा है।"

श्री चरणसिंह--यह कौन-सी किताब से आप पढ़ रहे हैं?

श्री राजनारायण--बिहार में सरकार के बुद्धि कपाट बन्द हो गये थे उसके खोलने के प्रयत्न में गांधी जी ने यह शब्द लिखे थे और अब आज मैं इस सरकार के अन्दर बुद्धि का प्रकाश लाने के लिये महात्मा गांधी का यह कोटेशन देना चाहता हूं।

अब मैं आप के सामने यह कहना चाहता हूं कि यह तीन शब्द "बाई दि पीपुल, फार दि पीपुल ऐण्ड आफ दि पीपुल।" जनतंत्र के लिए यह तीनों ही जरूरी हैं। न कि "बाई दि पीपुल"। जनता के वोट से ही अगर एक बार सरकार बन जाय और फिर वह जनता पर कहर डालती जाय तो फिर हमारे सामने क्या यह सविनय अवज्ञा का हथियार नहीं रहेगा? महात्मा गांधी ने जब यहां साम्राज्यशाही का नंगानाच हो रहा था उस समय सत्याग्रह को कांस्टीट्यूशनल मीन्स माना है और मैं आज उसी को महात्मा गांधी का नाम भरने वाली, उनके नाम पर कसमें खाने वाली सरकार जो महात्मा गांधी के बताये हुये रास्ते को तिलांजलि दे रही है इस सत्याग्रह को अनकांस्टीट्यूशनल मीन्स कहती है। आज उसी को लेकर हम सविनय अवज्ञा करने वाले हैं और आप के द्वारा मैं निवेदन करूंगा, इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों से, कि उस सविनय अवज्ञा की सफलता में जो कुछ सहायता होगी वे अवश्य प्रदान करेंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दूबे (जिला जौनपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों ने बड़ी शान्ति के साथ माननीय राज्यपाल के सम्बोधन को सुना है। उसके अन्दर वे कहते हैं कि हम राज्य की जो कल्पना करते हैं वह प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पैटर्न पर करते हैं। उसका अर्थ तो मैं यह समझता हूं कि ऐसे राज्य और समाज की कल्पना के अन्दर मानवता का स्थान होना चाहिए था। एक ओर तो घोषणा सम्बोधन में इस प्रकार के उच्च आदर्श की जा रही है परन्तु व्यवहार में दूसरी ओर पुलिस के अत्याचारों से वह आदर्शों की घोषणा झूठी प्रतीत होती है। अगर श्रीमन्, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आप के द्वारा राबर्ट्सगंज में पुलिस के द्वारा किये गये भीषण अत्याचारों का एक हृदय विदारक दृश्य यहाँ उपस्थित करना.....

श्री अधिष्ठाता--अपना प्रस्ताव तो आप पेश कर दें।

राजा यादवेंद्र दत्त दुबे--मेरा प्रस्ताव समयाभाव के कारण पढ़ा हुआ समझा जाय। यह समझा जाय कि मैंने उसे पेश कर दिया है।

*[प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित संशोधन जोड़ दिया जाय:--

"किन्तु सदन को खेद है कि उक्त सम्बोधन में निम्नांकित महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला गया:--

१--भूमि का लगान आधा करने तथा सिंचाई दरें घटाने संबंधी विधेयक न लाया जाना।

*[ ] संशोधन सदन में पढ़ा नहीं गया।

२--बाढ़, सूखा अथवा भूमि बहने के फलस्वरूप जनित भुखमरी रोकने का ठोस कदम न उठाया जाना।

३--बिजली-कर में घटती व बिक्रीकर की समाप्ति की व्यवस्था हेतु विधेयक न रखना।

४--भ्रष्टाचार की उत्तरोत्तर वृद्धि की रोकथाम की व्यवस्था का प्रस्ताव न लाना।

५--कम से कम दसवीं कक्षा तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का विधेयक न लाना।

६--सरकारी तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के बीच की असमानता को दूर करने के बाबत विधेयक न रखना।

७--शिक्षा संस्थाओं को अनुदान एवं मान्यता देने में विलम्ब को दूर करने की व्यवस्था न करना।

८--सुलभ, सस्ता, व त्वरित न्याय मिलने का विधेयक न रखना।

९--कुमायूं में चल रहे बन्दोबस्त को अनियमितताओं की रोकथाम का कदम न उठाया जाना।

१०--भूगर्भ सर्वेक्षण में उचित व्यवस्था के अभाव व खनिजों के निकलवाने में विलम्ब दूर करने की व्यवस्था न करना।

११--नौकरियों में न्यूनतम वेतन १०० रु० रक्खे जाने और सम (equitable) आय की व्यवस्था का विधेयक न लाना।

१२--प्रशासन एवं स्वायत्त-शासन-संस्थाओं में अनुचित हस्तक्षेप व पक्षपात की रोकथाम संबंधी विधेयक न लाना।

१३--बेकारी की समाप्ति व छटनी द्वारा गरीबों के जीविकोपार्जन पर कुठाराघात को दूर करने के उपायों का अभाव।

१४--गन्दी बस्ती उठाकर स्वास्थ्य वर्धक बस्ती का निर्माण न करवाना।

१५--मजदूरों को उद्योग की व्यवस्था एवं लाभ में भाग देने के विधेयक का न बनाना।

१६--कुटीर उद्योग के आधार पर औद्योगिक विकास की व्यवस्था आधारित न करना।

१७--पुलिस के अत्याचारों की वृद्धि व जनजीवन की सुरक्षा के बढ़ते खतरे में रोकथाम की व्यवस्था न करना।

१८--भूमिहीन मजदूरों के जीवनोपार्जन की व्यवस्था का प्रबन्ध न सुझाया जाना।

१९--गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर कोई ठोस कदम न उठाया जाना।"]

तो अब आप की आज्ञा हो तो मैं राबर्ट्सगंज की पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों का दृश्य आप के सामने रखूं।

श्री अधिष्ठाता--रखिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--देखिये अखबार में शीर्षक है "मिर्जापुर जिले की पुलिस ने सन् ४२ के दमन की याद ताजी कर दी। रावर्ट्सगंज में विरोध में दो दिन तक हड़ताल। यहां से ५० मील दूर राबर्ट्सगंज नगर में एक पुलिसमैन की नादानी से कांड भीषण हो जाने का समाचार मिला है। बताया जाता है कि गत ३ अप्रैल को राबर्ट्सगंज तहसील के गारद पुलिसमैन ने बाजार में मछली तौला ली और पैसा मांगने पर आंख दिखाने लगा। पहले

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

भी कई रुपये की मछली यह मुफ्त ले चुका था। मछुवा पैसे के लिये गिड़गिड़ाने लगा तो वह पकड़ कर उसे कोतवाली ले गया जहां उसे बुरी तरह पीटा। मछुवा छूट कर आया तो जनसंघ कार्यकर्ता डाक्टर कन्हैयालाल की दूकान पर यह करुण कहानी सुनाने लगा। पास ही जाते देख कर डाक्टर साहब ने उक्त पुलिसमैन को बुलाया। यहां मछुए को देखते ही पुलिसमैन आग बबूला हो गया। इसके बाद पुलिस के कथनानुसार मछुओं ने उसका पीछा किया और जब उसने भाग कर एक मकान में शरण ली तब भी घेरे रहे।

"अब क्या था, सन् ४२ का सा दमन शुरू हो गया और सरे बाजार मछुवों की पिटाई हुई। तत्काल सभी दुकानें बन्द हो गईं और कांग्रेस कार्यकर्ता श्री बलराम साहू की अध्यक्षता में सभा हुई जिसमें जिले के अधिकारियों से हस्तक्षेप व जांच की मांग की गई.....।"

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—क्या अखबार पढ़ने की इजाजत है ?

श्री अधिष्ठाता—रेफरेंस दे सकते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यदि आप रेफरेंस का अखबार पढ़ना समझते हैं तो, श्रीमन्, मुझे बतायें कि रेफरेंस कैसे पढ़ा जाय ?

इस प्रकार जिस राज्य में एक ओर तो मानवता की घोषणा की जाय और दूसरी ओर गरीब मल्लाहों से मुफ्त मछली ली जाय और मछली का दाम मांगने पर उन पर इस तरह का अत्याचार हो कि जिसके विरोध में सारे नगर की जनता एक प्रकार से आवाज लगाती हो और यह मांग करे कि न्याय किया जाय तो उसके अन्दर हम क्या आशा करें ? उस राज्य के अंदर मानवता और न्याय का क्या स्थान रहेगा।

मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं जो सीतापुर जिले के हरगांव नामक स्थान का है। वहां पर भी पुलिस ने बड़ा घोर अत्याचार किया और विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं को फांसने के सभी तरह के प्रयास किये। उनके ऊपर क़त्ल के भी मुकदमें चले और डकैतियों के मुकदमें भी उन पर चलाये गये और जब वह मामले कोर्ट में गये तो वहां के न्यायाधीश ने स्पष्ट यह कहा कि इन सारे मामलों में पुलिस की ज्यादती दिखाई देती है। केवल विरोधी दल के कार्यकर्त्ताओं को फांसने का प्रयास किया जाता है। इस तरह का न्यायाधीश का जजमेंट था। परन्तु खेद का विषय है कि इस प्रकार का जजमेंट होने के बाद भी जिन अधिकारियों ने इस प्रकार का दुष्कर्म किया था उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया, उनके ऊपर किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया। क्या मैं समझूं कि सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट के अन्दर न्याय की यही मान्यता है ? अन्याय करने दिया जाय और उसके बाद उस पर न्याय का आडम्बर लाद दिया जाय। अगर सरकारी कर्मचारी है उसके पीछे तो उसके लिये सब क्षम्य हो जाता है।

इसके अतिरिक्त दूसरी ओर कहा जाता है कि हमने शिक्षा को बढ़ाया। क्या शिक्षा बढ़ाई। आप रोज देखते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर जिस समय इंटरव्यू के लिये विद्यार्थी जाते हैं तो उनकी क्या रिपोर्ट हमारे सामने आती है। साधारण से साधारण उत्तर देने में भी वह असमर्थ सिद्ध होते हैं। शिक्षा की नीति में मास्टरों के बारे में जिस प्रकार की दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति का प्रतिपादन इस सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट में किया जाता है वैसा और कहीं नहीं किया जाता। हमारे मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि मास्टरों की तनख्वाह चपरासियों से भी कम है। जो मास्टर आप के बालकों का जीवन निर्माण करते हैं और जिनके ऊपर भविष्य का समाज निर्भर करता है, उनके निर्माणकर्ताओं की इस प्रकार की उपेक्षा हो तो आप क्या आशा करते हैं कि आप की शिक्षा संस्थायें किस प्रकार के बालकों का निर्माण करेंगी। दूसरी ओर शिक्षा के बारे में जो उत्थान की बात की जाती है तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूं कि उस के अन्दर घोर पक्षपात हुआ करता है और अनुचित हस्तक्षेप भी किया जाता है। कालेज भी, जिसका कि मैं अध्यक्ष रहा हूं, इसका शिकार हुआ करती हैं।

वहां भी वे लोग इस प्रकार के अन्याय का शिकार होते हैं। मुझे प्रसन्नता है श्रीमन्, कि समय पाकर सरकार ने उसे सुधारा है परन्तु आज भी जौनपुर जिले के अन्दर दो संस्थायें ऐसी हैं कि जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दे कर बताऊं कि टी० डी० कालेज के प्रिन्सिपल की तन्ख्वाह की ग्रान्ट केवल एक बात पर काट दी गयी कि उसकी मैगजीन पर दीपक का निशान था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट के अन्दर सरकार को रोशनी से भी चिढ़ रहती है और एक प्रकार से वह उससे दूर भागती है। यह तो कोई आदर्श नहीं हुआ करता। इसके अन्दर क्या भाव है। दीपक का चिन्ह तो सरस्वती की तसवीर के साथ हर जगह हुआ करता है। वह सरस्वती की तस्वीर के साथ छपा हुआ था। इसके ऊपर लांछन लगाकर कि यह जनसंघ की मैगजीन है और उसकी ग्रान्ट बन्द की जाय यह शोभा की बात नहीं है। दूसरा उदाहरण बादशाहपुर का है जहां पर हिन्दू हाई स्कूल नाम का एक हाई स्कूल है। उससे रुष्ट हो कर और उसके ऊपर किसी आक्षेप को स्पष्ट न करते हुये उसका अनुदान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक नए स्कूल को इन्टरमीडियेट का रिकेग्नीशन दे दिया गया है। आप देखेंगे कि जो रिकेग्नीशन होता है वह पहले आठवें दर्जे का होता है और फिर दसवें का होता है फिर इन्टरमिडियेट का होता है, परन्तु इस स्कूल का रिकग्नीशन एक विशेष अधिकार के प्रयोग से आठवें दर्जे से नहीं बल्कि पहले दर्जे से लेकर १२ वें दर्जे तक का पूरा दे दिया गया है। यह कौन सा न्याय है? इस प्रकार का कार्य सोशलिस्टिक पैटर्न आफ स्टेट के लिये अशोभनीय है और शोभा नहीं दिया करता।

यह कहा जाता है कि हम सोशलिस्टिक स्टेट बना रहे हैं जिसमें सब के लिये वृद्धि करना चाहते हैं, परन्तु यदि माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों को देखा होगा तो एक छोटा सा आइटम आया है जिसके अन्दर यह स्पष्ट किया गया है कि कैपिटल आउट ले सिंचाई विभाग पर बढ़ रहा है किन्तु कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। इसका क्या अर्थ है? इसका एक ही अर्थ है और वह यह है कि जन साधारण की, किसान की, क्रय-शक्ति घटती जा रही है। क्रय-शक्ति घटने के कारण आज समाज में साधारण मनुष्य अधिक गरीब होता जा रहा है। कुछ थोड़े गिने माने आदमी इस समाज के अन्दर भले ही ऐसे हो जिनकी क्रय शक्ति कुछ बढ़ी हो किन्तु इसका अधिकतर परिणाम यह हुआ है कि जो धनी हैं वह अधिक धनी होता जाता है और जो निर्धन है वह अधिक निर्धन होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि हमारी सरकार ने खाद्यान्न में बड़ी उपज की है। पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट भी जो सामने आयी है उसमें मैंने देखा है कि उपज बढ़ी है और खाद्यान्न सामग्री बढ़ी है मगर जो स्थिति आज दिखाई देती है उससे यह स्पष्ट होता है कि स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। अगर सरकार के आंकड़े और सरकार की बात मान ली जाय कि सरकार के प्रयत्न से खाद्यान्न यहां पर बहुत बढ़ा है तो फिर मेरा निवेदन यह है कि विदेशों से यह अन्न क्यों मंगाया जा रहा है। करोड़ों रुपये का अन्न विदेशों से आज क्यों मंगाने की मांग होती जाती है। सर्व साधारण के लिये आज अपना पेट भरना असम्भव होता जाता है। इसका मेरी समझ में एक ही कारण आता है और वह यह है कि सर्वसाधारण पर टैक्स का बोझ इतना अधिक लदा हुआ है कि उस टैक्स के कारण साधारण से साधारण आदमी अपने जीवन की साधारण से साधारण चीजें जो हैं उनको भी पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकता है।

कहा जाता है कि आप की स्टेट के अन्दर सम भाव होगा और हम लोग ग्रेजुअली निर्माण करेंगे। तो आज देश की परिस्थिति यह है कि कहीं पर सम भाव नहीं दिखाई पड़ता है। मैं तो जब इस सदन में आया तो मैंने यहां के सरकारी कर्मचारियों से पूछा कि तुम्हारा वेतन क्या है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनका बेसिक वेतन ३०, ४० रुपये है। क्या यही समता का उदाहरण है? एक तरफ तो ३०, ४० रुपये वेतन हो और दूसरी तरफ १,२००, १,५०० और २,००० ३,००० हो यह कहां की समता है? यह तो महान् असमानता है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से समता कैसे समाज में आयेगी। आज जन साधारण की ओर से बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि उनके लिये कुछ स्तर निश्चित होना चाहिये। वास्तव में समता के लिये आवश्यक यह है कि लोगों की आमदनी निम्नस्तर की जो हो वह फिक्स होनी चाहिये। मैक्सीमम भी फिक्स की जाय। मैं तो यह समझता हूं कि वास्तव में समाजवाद की रचना के अन्दर यह होना चाहिये था कि जो निम्न स्तर के हों उनकी आमदनी भी फिक्स की जाय और जो ऊंची श्रेणी के हों उनकी भी फिक्स हो। इससे समानता कुछ आ सकती है। अन्यथा यह भी होगा कि जो गरीब है उसकी गरीबी बढ़ती जाती है और जो आज विद्वेष का कारण दिखाई देता है वह यही है कि समाज के अन्दर समानता नहीं है। अगर इस प्रकार स विद्वेष फैलता रहा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी जिसने समाजवाद की व्याख्या आज तक नहीं की बिना व्याख्या के लक्ष्य मालूम नहीं हो सकता है और न समाजिक उन्नति हो सकती है। बिना व्याख्या के न तो लक्ष्य का और न दिशा का ज्ञान होगा। यह इसी प्रकार होगा कि एक व्यक्ति ने हनुमान जी की मूर्ति बनाना शुरू किया। उसने सोचा कि मुझे मूर्ति का ज्ञान तो नहीं है परन्तु यदि पूंछ को आगे लगा दिया जाय तो कैसा हो। उसने ऐसा ही किया। तो बिना व्याख्या के ऐसा ही सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी होगा। यह जो सारा हंगामा होता है उसके अन्दर प्रचार का अंश ज्यादा होता है। तथ्य कम होता है। घोषणा अधिक और कार्य कम होता है। क्या यह न्याय है? मैं आप से निवेदन करूं कि हरदोई के चेयरमैन के ऊपर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने ससपेन्शन का आर्डर पास किया था। उसके विरोध में हाई कोर्ट में रिट मूव किया गया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि

'This is gross misuse of power.'

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि जब किसी जजमेंट का हवाला दें तो उसे पेश करें।

श्री हुकुम सिंह विसेन--एक वैधानिक प्रश्न है। जिस समय चेयर कुछ कह रही हो उस समय माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--जिस समय चेयर बोल रही हो उस समय माननीय सदस्य को बतलाना भी नहीं चाहिये।

श्री राजनारायण--जिस समय अधिष्ठाता कुछ कह रहे हों, उस समय . . ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, जो समय बीच में बोलने से नष्ट हुआ उसका ध्यान रखेंगे।

न्याय और मानवता को तिलांजलि देकर सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ स्टेट बनाना असम्भव है। एक ओर कहा जाता है कि हमारे देश में निर्धन किसान के पास भूमि नहीं है, उसे भूमि देने के लिये कालोनाइज़ेशन कर रहे हैं। मुझे इसे जान कर खुशी हुई। पंचवर्षीय योजना में मैं इस बात को देखने का उत्सुक था। सरकार बतलावे कि कितने भूमिहीन किसानों को भूमि दी गई। परन्तु मुझे एक ही बात देखने को मिली कि ऐजूकेटेड अनएम्प्लायड और दूसरों को भूमि मिली। यह नहीं स्पष्ट मालूम होता था कि किसको भूमि दी गई और किसको नहीं दी गई। ऐसा न हो कि भूमिहीन किसानों को हक़ को तिलांजलि दे दी गई हो। ऐसा होना न्याय और मानवता के विरुद्ध है। यह बड़ा दुखद है। कुछ रिपोर्ट हमें पढ़ने को मिली हैं। उन्हें देखकर मुझे एक कहानी याद आती है। एक किसान ने एक छोटा सा बैल पाला था। बैल अच्छा था। देखने में सुन्दर था। परन्तु उसके अन्दर एक बड़ा दुर्गुण था कि वह जिस समय जीवन की आवश्यक वस्तुओं को उसके ऊपर लादता था तो वह लेकर भाग जाता था। नमक को लेकर पानी में लेट जाता था और रुई को लेकर भी ऐसा ही करता था और ठीक कार्य

नहीं करता था। तो ठीक ऐसा ही यह सोशलिस्टिक पैटर्न हमारी सरकार का है। इस सम्बोधन में कोई न्याय और मानवता की ओर संकेत नहीं है। और बहुत सी बातें हैं। मेरे बहुत से मित्र मेरे बाद बोलेंगे, इस लिये मैं उन तमाम बातों को नहीं कहूंगा और उनके लिये मैं बाक़ी बातों को छोड़ दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन आपके पास है और चूंकि आपने उचित समझा है कि बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ समझ लिया जाय और उसके ऊपर विचार व्यक्त किये जावें·····

श्री अधिष्ठाता—अगर आप के पास न हो तो मैं भेज दूं। थोड़ा सा उसे पढ़ दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामजीसहाय (जिला देवरिया)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। श्रीमन्, हमारे सामने जो कार्यक्रम दिया है उसमें आप कुछ व्यतिक्रम कर रहे हैं यानी एक दूसरे सदस्य को जिसका एजेंडे में नाम नहीं है, उनको बोलने का अवसर दे रहे हैं। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बतायें कि इस प्रकार का व्यतिक्रम क्यों किया जा रहा है?

श्री अधिष्ठाता—इसके लिये कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है। चूंकि हर एक माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है, और क्योंकि वह एक दल के नेता हैं इस वास्ते मैंने यह उचित समझा कि उनको इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी जाय?

श्री झारखंडेराय—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपनी तरमीम पेश करना चाहता हूं। मूल प्रस्ताव के अन्त में ये शब्द बढ़ा दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि श्री राज्यपाल ने नीचे लिखी बातों का जिक्र नहीं किया:—

१—प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (१८५७) के स्वातंत्र्य वीरों की जो अचल संपत्ति उस समय के राष्ट्रद्रोहियों को विदेशी शासकों द्वारा इनाम के रूप में दी गयी थी उसे वापिस लेकर पुनः उन देश भक्तों के वंशजों को दिये जाने की व्यवस्था।

२—भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन—क्रांतिकारी एवं वैध तथा शांतिपूर्ण दोनों के समय के क्रूर, निर्दय दमनकारी अधिकारियों (विशेषकर पुलिस तथा जेल) को राष्ट्रद्रोह के अपराध में सजा दिये जाने की—आजादी की प्राप्ति के १० वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी चर्चा।

३—अधिकतम जोतों पर हदबन्दी कायम कर अतिरिक्त भूमि का खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों में वितरण किया जा सके।

४—खेत मजदूरों की वाजिब न्यूनतम मजदूरी दर सारे प्रदेश भर में, सभी प्रकार के फर्मों एवं जोतों पर, लागू किये जाने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।

५—मिलों की प्रतिद्वन्दिता में मिटते बुनकर व्यवसाय के बचाने, उसके स्थायी विकास का कोई उपाय नहीं बताया।

६—जनता के दिनोंदिन बढ़ते कर भार—जिलाबोर्ड टैक्स, पंचायत टैक्स, सिंचाई रेट, सेल्स टैक्स आदि— में तनिक भी छूट का ऐलान नहीं किया।

७—किसानों की लगान में थोड़ी छूट की भी घोषणा नहीं की।

८—कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का नाम नहीं लिया।

[श्री झारखंडे राय]

९—सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यों के हेतु ली जाने वाली खेतिहरों की भूमि के लिए नीचे लिखी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया:—

(क) खेतिहरों को जमीन के बाजार रेट पर मुआविजे दिये जायं।

(ख) चकबन्दी के अवसर पर प्रत्येक गांव की ऐसी जमीन को हिस्सा मुताबिक सारे गांव पर बांट दिया जाय।

(ग) जिनकी जमीनें बिल्कुल निकल जाती हैं उन्हें जमीन दी जाय।

(घ) जिस विभाग के काम में जमीन ली जाती हो उस विभाग में नौकरियों के दिये जाने में ऐसे परिवार के व्यक्तियों को तरजीह दी जाय जिनकी जमीनें ली गयी हों।

१०—टैक्स वर्क की मजदूरी की दर बढ़ाने की व्यवस्था नहीं की।

११—प्रदेश के ओला पीड़ित क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वी अंचल की समुचित हर प्रकार की सहायता दिये जाने के प्रबंध का जिक्र नहीं किया।

१२—पूर्वी यू० पी० में लगातार चार वर्ष से बाढ़, सूखा अतिवर्षा, ओलावर्षा, पौधों में नाना प्रकार के रोग से उत्पन्न लगातार अन्न संकट के कारण जो अर्द्ध भुखमरी की स्थिति अभी पैदा हो गयी है और जिसके कारण बड़े क्षेत्र में गरीबों के लिये अकाल की संभावना पैदा हो गयी है उससे बचने का कोई उपाय नहीं सुझाया गया।

१३—चकबन्दी योजना के लागू किये जाने में व्याप्त धांधली, घूसखोरी, एवं गरीबों के दमन से उत्पन्न स्थिति को संभालने के लिये नीचे लिखा सुझाव नहीं दिया—

(क) चकबन्दी स्थगित की जाय।

(ख) एक सर्वदलीय कमेटी के जरिये इसकी पूरी जांच की जाय और नये अनुभव के आधार पर इसमें सुधार किये जायं।

१४—आम चुनाव में होने वाली धांधली, सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी अधिकार के दुरुपयोग, धमकियों, दबाव डाल कर वोट लेने, गरीबों पर अनेक स्थानों पर होने वाले हमलों आदि का कोई जिक्र नहीं किया।

१५—अभी हाल में कानपुर में गत ७ मार्च को होने वाली घटना, पुलिस का बर्बर अत्याचार, जिसके सामने हैलटशाही मात हो गयी—का जिक्र तक नहीं किया।

१६—विशेषकर विकास क्षेत्रों में फैले व्यापक, भ्रष्टाचार के क्रमशः विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

१७—पूंजीवादी विकास पद्धति जिसके परिणाम स्वरूप धनी ज्यादा धनी होता है और गरीब अधिक गरीब होता जाता है—को छोड़ने तथा जनवादी विकास प्रणाली के अपनाने को संकेत तक नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो भाषण है वह पालिसी स्टेटमेंट नहीं है, इसको सूचना दस्तावेज ही हम कह सकते हैं।

जो भाव जनता ने अभी पिछले चुनाव में अपने मत द्वारा प्रकट किया है उससे इनकार करने वाली सरकार की पालिसी स्टेटमेंट ही हो सकती है। इस अभिभाषण में आत्म-प्रशंसा का भाव ही अधिक जान पड़ता है। चुनाव निष्पक्षता का जिक्र राज्यपाल महोदय ने शुरू में किया है। इसके सिलसिले में माननीय सदस्यों को अनेक कटु अनुभव प्राप्त हुए

होंगे। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पूरे अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभी स्कूलों के बच्चे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सभी मास्टर चुनाव प्रयोग में चेयरमैन की मदद में लाये गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के मास्टर लोग साइकिलों के जरिये तिरंगा झंडा लगाकर प्रचार करते थे, वे प्लेट फार्म पर खड़े हो होकर भाषण करते थे, घूम घूम कर कन्वेसिंग करते थे और इस तरीके से अर्द्धसरकारी अधिकारियों का आजमगढ़ में पूरा दुरुपयोग किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री के चुनाव में बनारस में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिये ही नहीं बल्कि पूरे प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिये एक कलंक की बात है। सारे सरकार की पूरी मशीनरी वहां लगायी गयी थी, जातियों के नाम पर अपीलें की गयीं, धर्म के नाम पर वोट मांगे गये, विश्वनाथ जी के नाम और फोटो के साथ वोट मांगे गये और इस तरह के लाखों पर्चे वहां बांटे गये। साम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा अपीलें निकाल कर कांग्रेस को वोट देने की अपील की गयी और साथ ही साथ इस तरह से मालूम हो रहा था कि कुछ दिनों के लिये बनारस में शासन ही खत्म हो गया है। सारे अधिकारी सब कुछ देखते एवं जानते हुये भी शिकायत करने पर कोई शिकायत सुनने से इनकार कर देते थे। मेरी जोरदार मांग है कि बनारस में जिस तरह से चुनाव हुआ है उसकी पूरी जांच की जाय। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अगर यह तरीका हमने अपनाया तो हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली का क्या होगा, इससे तो हमारी डेमोक्रेसी की भ्रूण हत्या ही हो जायेगी। ये तरीके वहां अपनाये गये जहां हमारे प्रदेश के सर्वोच्च प्रशासक माननीय मुख्य मंत्री जी उम्मीदवार के रूप में खड़े हों।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमको क्या मिला है, उससे भी सबक सीखने से इस सरकार ने इनकार किया है। निचोड़ हमको क्या प्राप्त हुआ है ? जनता का जीवन स्तर नीचे को गया है, जनता की क्रय शक्ति नीचे को घटी है। हम लाख विकास की बातें करें कि हम विकास के कार्य पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन अगर करोड़ों रुपये से हमारी जनता का जीवन स्तर गिरता है उसकी क्रयशक्ति नीचे को गिरती है तो हम यहीं कहेंगे कि यह सारा रुपया जो व्यय किया जा रहा है वह व्यर्थ व्यय हो रहा है। खाद्य पदार्थों का दाम किस तरह से पिछले दिनों बढ़ा है, सब को विदित है। साधारण आदमियों के लिए खाद्य पदार्थों का खरीदना भी मुश्किल हो गया है। उनकी क्रय शक्ति लगातर घट रही है। यह एक गम्भीर खतरा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े संभाषण में माननीय राज्यपाल ने एक ऐसी समस्या के लिए एक शब्द भी नहीं कहा जो हमारे प्रदेश के ही नहीं वरन् सारे देश के सामने सब से अधिक भयंकर समस्या, एक आन्तरिक समस्या के रूप में खड़ी है, वह है बेकारी की समस्या। इस का कोई जिक्र तक नहीं है, उसके हल के सुझाव पेश करना तो दूर की बात है।

समाजवादी ढांचे की बात करना तो एक मंत्र-सा हो गया है जैसे बहुत से हिन्दू मंत्र को रट लेते हैं लेकिन उसका एक अक्षर भी नहीं समझ पाते और रटे जाते हैं और जैसे बहुत से मुसलमान आयतों को रटा करते हैं चाहे वह उसका एक हर्फ भी नहीं समझते लेकिन पांच बार दिन में उसको दुहरा जाते हैं, उसके मतलब को समझने से कोई मतलब नहीं, इसी तरह से समाजवादी प्रकार के समाज की रचना की बात भी एक ऐसा मंत्र हो गया है जिसे मौसम बे मौसम कहीं न कहीं घुसेड़ दो यह नियम बनता जा रहा है। पिछले ढाई-तीन साल से ऐसा नारा कांग्रेस में उठा है लेकिन जिस तरीके से समाज को गठित किया जा रहा है वह समाजवाद से कोसों दूर है। कहीं भी अखिल भारतीय पैमाने पर या प्रादेशिक क्षेत्र में अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिसको हम कह सकें कि उस दिशा में पहला कदम है, तमाम प्राइवेट मिलें बढ़ती जा रही हैं, यही समाजवाद कायम होने का रास्ता है ? एक तरफ ईख के दाम घटे हैं और दूसरी तरफ चीनी के दाम बढ़ते जाते हैं। क्या यही तरीका समाजवादी समाज की स्थापना का है। करोड़पतियों की आय बढ़ती जाती है और गरीबों का स्तर गिरता जाता है, क्या यही समाजवादी समाज की स्थापना का तरीका है ? गन्ने के दाम घटने के बाद सारा अतिरिक्त मुनाफा महंगी चीनी

[श्री झारखंडेराय]

बिक कर मिलमालिकों के पास जा रहा है और पूंजीपतियों की जेबें भरती जाती हैं। यही तरीका समाजवादी समाज के ढांचे को खड़ा करने का है? अगर यही तरीका है तो एक नई किताब, एक नया दर्शन समाजवाद की स्थापना का लिखना होगा। जिन ५ वर्षों की प्रगति का ज़िक्र माननीय राज्यपाल के सम्भाषण में किया गया है उन्हीं ५ वर्षों की गतिविधि को यदि हम देखें तो इन्हीं ५ वर्षों में मजदूरों की लामिसाल हड़ताल कानपुर में हुई, इन्हीं ५ साल में नहर के नये रेट्स के विरुद्ध किसानों ने हड़ताल की, इन्हीं ५ वर्षों में लखनऊ में विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आन्दोलन चला, इन्हीं ५ वर्षों के भीतर मध्यमवर्ग के लोगों ने छोटे कस्बों, शहरों और बड़े-बड़े शहरों में सेल्स टैक्स के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया।

ये सब चीजें क्या बतलाती हैं? साफ जाहिर है कि इस प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा अभी गरीब है या मध्यमवर्गीय है और सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है और उसको बदलना चाहता है, जन असन्तुष्टि का प्रभाव हमें आज साधारण जीवन में और पिछले आम चुनाव में भी मालूम पड़ता है। मैं चाहूंगा कि हमारी मौजूदा सरकार इन चीजों की ओर ध्यान दे। वह देखे कि नागरिक अधिकारों का किस तरह से हनन इस सरकार के अन्तर्गत हुआ है और इसका सबसे बड़ा नमूना हमें कानपुर में दिखाई पड़ा जब कि वहां के मशहूर सोशलिस्ट नेता श्री वीरेंद्र बहादुर की मूछें पुलिस द्वारा कोतवाली में उखाड़ी गई, वहां हैलटशाही मात हो गई। इस प्रदेश में एक समय हैलट का राज्य था लेकिन उसके खिलाफ सारा प्रदेश एक आवाज होकर खड़ा हो गया था। नतीजा यह हुआ कि उस की हुकूमत को उखाड़कर फेंक दिया गया। यह इतिहास की सीख है। जहां पर इस तरह से जाने माने मजदूर नेता की मूछें उखाड़ी जायं और ऐसे नरपिशाच अधिकारी राठौर और मुकर्जी जैसे लोग बने रहें, मुझे आप श्रीमन्, नाम लेने से रोकेंगे लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि····

श्री अधिष्ठाता—मैं श्री झारखंडेराय जी से निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी सदन में मौजूद न हों उनके बारे में नाम लेकर इस तरह से आप न कहें।

श्री झारखंडेराय—मैं कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने इस तरह की कार्यवाही की है और बदले की भावना से काम किया है और वहां के जाने माने प्रतिष्ठित जनप्रिय नेता का अपमान किया है उनके खिलाफ हमारी जोरदार मांग है कि पूरी जांच की जाय। इस विषय में कामरोको प्रस्ताव भी लाया गया, वह अस्वीकार हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन यह घटना प्रदेश के लिये कलंक है, मालूम होता है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर कानपुर में कोई हुकूमत नहीं है, जिस तरह से हिन्दुओं की माइथालाजी में पौराणिक पुस्तकों में शिव की काशी अलग त्रिशूल पर बसी हुई मानी गई है। उसी तरह से लगता है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द की राज्य में हुकूमत है, कानपुर की उससे अलग हुकूमत है। वहां पर राठौरशाही जिस तरीके से गत कई वर्षों से काम कर रही है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

चकबन्दी में होने वाले मामलात के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। चकबन्दी योजना मूलतः एक लाभदायक योजना है और इसकी प्रशंसा माल मंत्री जी ने कई बार सदन में की है। लेकिन जिस तरह से वह लागू हो रही है, जिस तरह से गरीबों के अच्छे खेत निकल रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार भयानक रूप से घर कर गया है इस व्यवस्था में गरीबों के जेवर बिक रहे हैं, उनकी पूंजी खत्म हो रही है वह एक दर्दनाक कहानी है इसलिये मैं चाहूंगा कि इस योजना को एक बार रोक कर इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था कायम करें जिससे कि चकबन्दी सही माने में एक भ्रष्टाचार रहित तरीके से लागू की जा सके। हमारे प्रदेश में ज्यों-ज्यों विकास हो रहा है त्यों-त्यों भ्रष्टाचार में भी विकास हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं इस बात का ज्ञान होगा कि जिन क्षेत्रों में विकास ज्यादा हुआ है उसी में शासन दल की हार भी ज्यादा हुई है। कारण क्या है?

ज्यों-ज्यों विकास हो रहा है भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जनता पर उसका बोझा बढ़ रहा है। जनता इस बात को कहती है कि मैं अनुभव करता आया हूं, अगर कचहरियों में हमारा जाना बन्द हो जाय, कचहरियों से छुटकारा मिल जाय, कोई ऐसा आर्डिनेंस पास हो जाय, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाय कि साल भर के अन्दर किसान जनता की कचहरियों में हाजिरी बन्द हो जाय और भ्रष्टाचार एवं घूस देने से छुट्टी हो जाय तो किसान को काफी राहत मिले।

श्री अधिष्ठाता—चूंकि माननीय रामजी सहाय ने एक प्वाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न उठाया था इस वास्ते मैं यह उचित समझता हूं कि ब्रिटिश हाउस आफ कामंस की परिपाटी का जिक्र कर दूं। वहां किंग की स्पीच होती है, उसके बाद विरोधी दल की तरफ से एक टोकेन संशोधन आ जाता है और वहां बहस शुरू हो जाती है। परन्तु यहां पर जैसा कि शुरू में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि विरोधी दल है, कुछ ग्रुप्स हैं, जिनको दल कहा जाता है। इस वास्ते जितने संशोधन विरोधी दल से आ गये उनको पेश करने की अनुमति दे दी गयी और मैं देखता हूं कि कुछ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी संशोधन दिये हैं और कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने भी संशोधन दिये हैं। अगर यह संशोधन की प्रथा चालू रही तो बड़ी मुश्किल हो जायगी वाद-विवाद करने में। इस वास्ते मैं इन संशोधनों को पेश करने की अनुमति नहीं देता, मगर जिन सज्जनों ने संशोधन दिये हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि आपने अभी जो स्पष्टीकरण किया है यह सम्भवतः आपकी कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा मैं समझता हूं कि आपने कोई ऐसी रूलिंग नहीं दी क्योंकि मैं आप को जानकारी करा दूं कि इसके पहले भी राज्यपाल के सम्बोधन हुए हैं और यदि पुरानी कार्यवाही को देखा जायगा तो कांग्रेस पक्ष के सदस्य ने भी संशोधन पेश किये हैं। तो एक डिपार्चर हो रहा है प्राचीन पद्धति जो हमारे सदन में अपना ली गयी है उससे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था कोई न बनायी जाय। आज के लिये आपने कर दिया तो ठीक है, मगर आइन्दा के लिए कोई व्यवस्था हो।

श्री अधिष्ठाता—मैंने शुरू में ही कहा और ब्रिटिश हाउस आफ कामंस की परिपाटी का जिक्र किया और मैंने कहा कि अगर उसका अनुसरण किया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामजीसहाय—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट का रेफरेंस किया है मैं नहीं समझता कि हम इस तरह एक आंख बन्द करके उन तमाम चीजों का अनुकरण करें।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जाइये कृपा करके। जो मैंने व्यवस्था दी है उसके बारे में आप कुछ न कहिये कृपया।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो आपने निर्णय दिया है उसमें जरा सफाई चाहता हूं। वह यह है कि आपके जो संशोधन मूव हुये हैं उनको कह दिया कि इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन अगर मैंने ठीक सुना है तो आपने कहा है कि उनको बोलने की इजाजत दी जायगी यानी जिन्होंने संशोधन दिये थे उनको तो जरूर बोलने दिया जायगा। जिन्होंने नहीं दिये उनको मौका मिले या न मिले। तो यह तो मैं समझ सकता हूं कि संशोधन मूव करने का अधिकार हो तो प्रिफरेंस मिले। लेकिन संशोधन आउट आफ आर्डर हो गये और मूव करने की इजाजत न मिले तो संशोधन पेश करने वाले को दूसरे मेम्बरों के साथ ऐट पार करने की मेहरबानी करें ताकि जो भी आपकी निगाह के सामने आ जाय वह हो जाय न आये न हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—जो आप कह रहे हैं वही मेरा मतलब है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उनको प्रिफरेंस दिया जायगा और लोगों की बनिस्बत।

[श्री अधिष्ठाता]

माननीय रामजी सहाय आप बोल रहे थे, अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री मोहनलाल गौतम---यह तो मैं समझ सकता हूं कि अमेंडमेंट अगर मूव करने का अधिकार हो तो प्रीफरेंस मिले । लेकिन अगर अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर हो गया तो अमेंडमेंट्स पेश करने वालों को उस हाउस के दूसरे मेम्बरान के साथ ऐट पार कर दीजिये ताकि जो भी आपकी निगाह के सामने आ जाय वह हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता---जो आप कह रहे हैं वही मेरा मतलब है । उनको प्रीफरेंस नहीं दिया जायगा और लोगों की बनिस्बत ।

श्री रामजीसहाय---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से हमारे देश में स्वतंत्रता का आन्दोलन चला और उसके बाद लोक मान्य तिलक ने एक शब्द दिया 'स्वराज्य' का उस स्वराज्य के प्रकाश में हमारे देश ने अपने आन्दोलनों को करके स्वराज्य को प्राप्त किया । लेकिन उसके लगभग ९ साल तक कोई ऐसा शब्द नहीं था जो हमें प्रेरणा देता कि हम वास्तव किस तरह का स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं । कुछ लोगों ने पश्चिमी प्रकाश में समाजवाद का और दूसरे भारतीय दृष्टि कोण में यह सर्वोदय वाद का नाम दिया । लेकिन हम आपसे कहते हैं और उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके यह कहा जा सकता है कि यह समाजवाद या सर्वोदयवाद एक कुटुम्बवाद का विकास है, उसी को हम अपने देश में लाना चाहते हैं और इस तरह से उसके प्राप्त करने के लिए जो कम से कम हमारी आवश्यकतायें हैं वह यह हैं कि हमारे देश में बेकारी न हो, हमारे प्रान्त में भ्रष्टाचार न हो, हमारे प्रान्त में अन्नाभाव न हो ।

जैसा कि श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने एक संशोधन प्रस्तुत किया था बाढ़ के सम्बन्ध में कि सरकार की क्या व्यवस्था है और उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं बाढ़ के बारे में जो अबकी पिछली बाढ़ आयी थी वह ऐसी भयंकर थी कि उसने वहां बाढ़-पीड़ित क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ रखी है और रबी की फसल भी इतनी ही हुई है कि मुश्किल से मजदूरी वगैरह देकर के और बीज अलग रख करके किसान के पास एक या दो महीने के लिए अपने खाने के लिए अनाज मौजूद है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरफ हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं जबकि गर्मियों के बाद फिर बाढ़ हमारे प्रान्त में आयेगी ? आज मैं सरकार से उसी बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप पहले से इसी वक्त से जागरुक हो गए और आपने इसके लिए व्यवस्था की पम्पिंग सेट्स वगैरह की और वह भी पैसा लेकर नहीं, क्योंकि अगर पैसा लेकर पानी देंगे तो मुश्किल से गांव भर में दो एक किसान उससे फायदा उठा सकेंगे, लेकिन अगर आपने बगैर पैसा लिए उसकी व्यवस्था कर दी तो किसान फसल पैदा करने में लग जायगा और आगे चल कर वह फिर पैसा देकर भी पम्पिंग सेट्स से पानी ले सकेगा । लेकिन अगर आपने पैसा लेकर के पम्पिंग सेट्स दिये तो एक दो किसान ही उससे फायदा उठायेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि जो जानवर हैं जैसे कि गीदड़ वगैरह हैं वह तमाम उस फसल को खत्म कर देंगे । लेकिन अगर एक साल आपने ग्रामों में इसका प्रचार किया और लोगों ने उसके फायदे देखे तो आगे चल कर वह स्वयं इसके लिए पैसा देने को तैयार हो जायेंगे । नदियों में पर्याप्त जल उपलब्ध है । इसलिए अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था करेगी तो एक बड़े भारी संकट को सदा के लिए खत्म कर देगी ।

इसी तरह से दूसरी बात है । आज जो बड़े-बड़े बांध बनाने की योजना है, जब वह बांध टूटते हैं तो सैकड़ों गांवों को बर्बाद कर देते हैं । इसलिए सरकार से निवेदन है कि हर एक गांव को अगर वह इसकी फिक्र करने की योजना बनाये, उनको सब्सिडी के रूप में राज्य सहायता देकर ऐसी व्यवस्था कराये तो यह एक ऐसी योजना होगी कि जिससे

एक जगह बांध टूटने से सैकड़ों गांव न बर्बाद होंगे। एक गांव ही बर्बाद होगा और दूसरे गांव बच जायेंगे। इस तरह से इस योजना से हमारे देहात के लोगों को बड़ा लाभ होगा।

इसी तरह से नावों के बारे में है। हजारों रुपया गवर्नमेंट उसमें खर्च करती है। पिछली दफा भी मैंने निवेदन किया था कि एक-एक फ्लड पाकेट्स में दस-दस हजार रुपये खर्च हुए थे। उनके बजाय अगर सरकार राज्य सहायता से नावों की व्यवस्था प्रत्येक गांव वालों के लिये कर देती तो उनका बड़ा उपकार होता। आपने इस बीच में फ्लड पोस्ट सेड्स बनवाये हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह बिल्कुल बेकार हैं और वह तो आज हमारी सरकार के एक दुर्नाम के कारण हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनके बारे में उनकी जांच करायेंगे और उस जांच में जो बड़े अमले या अधिकारी पकड़े जायं उनके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

इस बाढ़ के सम्बन्ध में अपने जिले की कुछ एक दो चीजों का यहां उल्लेख करना आवश्यक मालूम होता है। एक जगह जहां कि देवरिया जिला और गोरखपुर जिले का पश्चिमी हिस्सा है, राप्ती नदी दोनों जिलों को बांटती है। वहां गोरखपुर जिले में तो मझलिया राजमार्ग के नाम पर एक बांध बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ देवरिया जिले का नगवा क्षेत्र बिल्कुल अरक्षित छोड़ दिया गया है जिसका परिणाम यह होगा कि सारे का सारा देवरिया जिले का पश्चिमी हिस्सा बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। जब इसके लिए कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि यह राजमार्ग है। जब राजमार्ग है तो उसमें पुल या दूसरी चीजें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह का पक्षपात हो तो कैसे वहां की जनता की रक्षा हो सकती है।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हमारे पास हमारे जिले में ही एक दूसरा स्थान है जिसको करकोल नारायण माझा कहते हैं। उसी जगह पर इस राप्ती नदी से बबुरहवा नाला निकला हुआ है। वहां की प्लानिंग कमेटी ने अपने एक बैठक में प्रस्ताव किया कि उस नाले को बन्द करने के लिये एक हजार रुपये की सहायता दी जाय लेकिन वहां के अधिकारियों की तरफ से एक दूसरा एजेंडा हमारे पास आया जिसका अंश मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं "प्रशासकीय आदेश संख्या ६०१८२, दिनांक १३-७-५६ के पैरा ३ के अनुसार १ हजार रुपया जो रुद्रपुर क्षेत्र में बांध हेतु समिति द्वारा ११-३-५७ को स्वीकृत हुआ है, उसे अस्वीकार करने पर विचार।" इस तरह से आप देखेंगे कि इस "अस्वीकार करने पर विचार" का आशय यह है कि शायद किसी आदेश में यह कहा गया है कि मिट्टी के कार्य के लिये हम कोई सहायता नहीं देंगे और वह श्रमदान से होना चाहिये। लेकिन आप जानते हैं कि जहां एक बड़े भारी नाले और नदी के कटाव का सवाल हो वह केवल श्रमदान से पूरा नहीं होगा। इसलिए वहां अधिकारी जब मक्खिका स्थान मक्खिका की नीति पर चल कर एक बड़े कार्य को जो जनता की सुविधा के हेतु है उसे न समझ कर सहायता बन्द कर देते हैं तो उस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह से आदेशों का दुरुपयोग न हो सके।

इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सस्ते गल्ले की दूकाने हमारे यहां हैं और आज भी जहां लाइन बांधे बहुत से आदमी खड़े रहते हैं उनको बन्द न किया जाय। एक ही महीने के बाद रबी के फसल उनके लिये पूरी नहीं होगी। इसलिये इन हिस्सों में उन दूकानों को मैं प्रार्थना करूंगा कि स्थापित रक्खा जायगा। बहुत से माननीय सदस्यों का कहना है कि वे बन्द भी कर दी गई हैं लिहाजा मेरा यह अनुरोध है कि सरकार उस तरफ सतर्क रहे। उन्हें बन्द कदापि न करें।

इसी तरह से टेस्ट वर्क्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैंने स्वयं आज से एक साल पहले एक टेस्ट वर्क को स्वयं देखा था। उसमें ४० फर्जी हाजरियां थीं। मेरा यह अरण्य रोदन ही रहा कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे आज बड़े-बड़े टेस्ट वर्क चल रहे हैं लेकिन उसमें भ्रष्टाचार उसी तरह से है। ऐसे अवसरों पर गैर सरकारी सदस्यों को

[श्री रामजी सहाय]

समितियां नियुक्त कर दी जायं तो उन पर नियंत्रण रख सकें तो बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। भवन के माननीय सदस्यों को या जिसे भी उपयुक्त समझा जाय ऐसे लोगों को यदि समय-समय पर भेजा जायगा तो मैं समझता हूं बहुत लाभ होगा, दोषारोपण की दृष्टि से नहीं बल्कि एक कल्याणकारी दृष्टि से, मेरे इस सुझाव को लिया जायगा और इस तरह से अगर हम कार्य करते रहेंगे तो हम इस राज्य को प्रगति की तरफ ले जायंगे और जो हमारी एक अपेक्षित चीज है, जो हमारे प्रान्त के लिये आवश्यक है उसकी पूर्ति हम इसके द्वारा कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा केवल यही निवेदन है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस नये सदन के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूं। इस लिये सबसे पहले मैं आपको और माननीय मेम्बरों का अभिनन्दन करता हूं।

इसके बाद अर्ज यह करना है कि चन्द मिनट में विरोधी वृन्द का जवाब दूं या अपने सुझाव पेश करूं---काम दोनों ही जरूरी हैं। इसलिये एक टेस्ट के तौर पर एक आध बात का जवाब दे देता हूं। जब खाना बनता है तो उसमें से केवल एक चावल देखा जाता है। यदि एक चावल पक गया तो सारा चावल पका माना जाता है। तो मैं श्री त्रिलोकी सिंह जी की एक बात का जवाब दिये देता हूं। मुझे अफसोस है कि समय की कमी के कारण उनकी स्पीच पूरी नहीं हो सकी। आखिर में उन्होंने बहुत जोशीली बात कह दी कि जेल-खाने के कैदियों को तो ज्यादा मिलता है जो चोर हैं, बदमाश हैं या डकैत हैं और बाहर रहने वालों को कम मिलता है। यह कांग्रेस का राज्य है। एक सेंटीमेंटल सेंटेंस (भावनापूर्ण वाक्य) उन्होंने रख दिया। लेकिन मेरे दोस्त भूल गये कि वे किस के सामने बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं। यहां और भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब बातों को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते-बूझते हैं। कोई देहाती स्पीच नहीं है जहां सब ने कह दिया कि "सत्य वचन महाराज"। मेरी प्रार्थना है कि चोरी, डकैती, बदमाशी एक बीमारी होती है। अमरीका वगैरह में जब कोई जुर्म और क्राइम करता है तो उसकी डाक्टरी होती है कि इसको क्या बीमारी है, कैसे दवा कराई जाय! तो हुजूरवाला, हर घर में जब कोई बीमार होता है तो उसको दूध मिलता है, किसान के घर भी उस पर पैसा खर्च किया जाता है। यदि कोई कहे कि जो आदमी काम करता है, फावड़ा चला रहा है वह तो कम पा रहा है किन्तु घर का एक बीमार मेम्बर ज्यादा पा रहा है, यह तो निहायत अन्धेर है। लेकिन अगर वह वहां अन्याय नहीं है तो मानसिक बीमार कैदियों के साथ भी अन्याय नहीं है। जेल-खाने में तो कैदी को पकड़ना पड़ता है कि कहीं भाग न जाय, इसलिए पैसा ज्यादा खर्च होता है। सरकार चाहती है कि हम बाहर के आदमियों पर और ज्यादा खर्च करें। नीयत में कोई शुबहा नहीं है, इसलिये जो तुक जनाब ने उपमा दी है वह जुड़ता नहीं है।

हमारे माननीय दुबे जी ने पुलिस की शिकायत बड़े जोशीले शब्दों में की। मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी आपके व्याख्यान की। आने से पहले लोगों ने बताया, बहुत अच्छे वक्ता हैं। हुजूरवाला, आपने शिकायत तो पढ़ी कि फलां जगह से शिकायत आई, लेकिन सरकार यह क्यों भूल गयी कि वह पुलिस का सिपाही था जिसने पहले अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हुआ तब मानसिंह डाकू पर गोली चलाई। रात-रात भर पुलिस के सिपाही घूमते हैं डाकुओं को पकड़ने के लिए, उसकी तारीफ कीजिए, बुराई भी कीजिए पुलिस की मगर अच्छाई की तारीफ भी कीजिए। आप सबकी शिकायत ही करते हैं जिससे अच्छे कर्म-चारियों का दिल दुखता है।

श्री झारखंडे राय ने ऐसे मामले की शिकायत की जो मामला विचाराधीन है। उसका जिक्र यहां करना, जब तक कि उस पर फैसला न हो जाय, मुनासिब नहीं था। आप यह भी तो पढ़िये कि कितने थानेदारों को सजा दी जाती है, कितने गलती करने पर जेल-

खाना काटते हैं। अगर जांच की जाती है और सबूत हों तो जेलखाने भेज दिये जाते हैं तो जो केस विचाराधीन हो वह यहां नहीं आना चाहिए।

मेरा वक्त बहुत सा जवाब देने में गया, इसलिए मैं अब सुझाव पर आता हूं। शिकायत तो खूब की गयी। बहुत आसान है शिकायत कर देना। साहबान, जरा गौर फरमायें, हर आदमी अपने को अच्छा मानता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं शिकायत करता हूं कि आपकी आंख में कीचड़ है, आपके कान में खूंट है, आपके मुंह में कफ है। क्या यह सच नहीं है? लेकिन जहां आपकी आंख में कीचड़ है वहां निगाह भी है जिससे संसारी दुनिया को देखते हैं। जहां कान में खूंट है वहां सुनने की शक्ति भी है। जहां कफ है वहां जबान भी रहती है जो सारी चीजों का जायका लेती है। तो फिर बुराई ज्यादा है या भलाई ज्यादा है, भलाई सरकार में बुराई आपने देखी, लेकिन यह जो सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाये, अस्पताल बनवाये, रेलें निकलवायीं, यहां जब पहले सुई भी नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज और जहाज और मोटर बनने लगीं, उसका जिक्र भी करना चाहिये था शिकायत के साथ-साथ। फिर भी मैं अर्ज करता हूं कि बहुत सी शिकायतें हैं और लज्जा की बात है कि शिकायतें हैं, लेकिन अगर यह भी फरमाया होता कि शिकायत दूर कैसे हो सकती है तो ज्यादा बेहतर होता। अगर अंग्रेजी राज्य में भ्रष्टाचार न रहा हो, खराबी न रही हो, बुराइयां न रही हों तो सारी शिकायतें जायज हैं कि तुम्हारे राज्य में यह हो गया, लेकिन फिर भी अगर शिकायतें हैं तो उनको दूर करने का मशविरा दीजिये, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। मैं कांग्रेस में इसीलिए हूं कि उसका ध्येय है कि किस तरीके से मुल्क की भलाई की जाय। अगर यह मुझे मालूम हो जाय कि कांग्रेस में रह कर नहीं, आपके साथ बैठ कर मुल्क की ज्यादा भलाई हो सकती है तो मेरा साफा लाल हो जायगा या पीला हो जायगा। लेकिन उसके लिए आप सुझाव और प्वाइंट दीजिए। लीजिये मैं सुझाव देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—हम लोगों को कि सरकार को?

श्री सीताराम शुक्ल—आपको भी और सरकार को भी। आज अगर हम चाहते हैं कि मुल्क का सुधार हो तो सुधार सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान देने से खाली नहीं होगा, करेक्टर ऊंचा करना होगा। अगर चरित्र ऊंचा नहीं होगा तो यह कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि लोग बेइमानी करते हैं और जेलखाना काटते हैं। तो चरित्र ऊंचा होगा तो बुराई खत्म होगी। इस पर गौर करना पड़ेगा कि अपने यहां के लोगों का चरित्र कैसे ऊंचा किया जाय। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां से भ्रष्टाचार दूर हो तो हुजूरवाला, हमें अपने चरित्र को ऊंचा करना पड़ेगा। हमारे यहां के लोगों का चरित्र ऊंचा कैसे होगा इसके संबंध में मुझे कहते डर लगता है। पहले हमें अपने आपको ठीक करना होगा। अफसोस यह है कि आज सिफारिश को लोग बुरा नहीं मानते हैं, न करने वाले और न कराने वाले। माफ कीजिये, मैं औरों की शिकायत नहीं करता हूं। अपनी ही बात बतलाता हूं। मेरे यहां एक भले आदमी दारुल-शफा में आये। उन्होंने फरमाया कि हमारा लड़का बी० ए० में फेल हो जायगा। उसका पर्चा खराब हो गया है। अपने दोस्तों से इसके लिए कोशिश कर दें कि नम्बर बढ़ा दें ताकि वह पास हो जाय। मैंने अर्ज किया कि अगर कोई मुझ से पूछता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बस्ती का कौन बनाया जाय तो मैं आपका ही नाम लेता। वाकया यह है कि वे पढ़े-लिखे आदमी हैं, पैसे वाले हैं, शरीफ आदमी हैं फिर भी आप मेरे पास तशरीफ लाये कि मैं पास करवा दूं। उन्होंने कहा उसकी जिन्दगी खराब हो जायगी। मैंने अर्ज किया कि वह कितनों की जिन्दगी खराब करेगा जबकि वह बच्चों को पढ़ायेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि वह होशियार होंगे, मेरी मोटी अक्ल है। मुझसे यह नहीं हो सकता है। यह नहीं हो सकता है कि एक एम० एल० ए० कोशिश करे कि वह पास हो जाय। एम० एल० ए० किसी को बिना जाने करेक्टर सर्टीफिकेट दे दें और पटवारी, थानेदार वगैरह सही रिपोर्ट दें। अगर हम अपने मुल्क का करेक्टर ऊंचा करना चाहते हैं तो उसके लिये निवेदन यह है कि कुर्सी को खतरे में डालना पड़ेगा, दोस्त रूठें या खुश रहें, वोट मिले या न मिले लेकिन एक एम० एल० ए० का गलत कदम नहीं उठना चाहिये।

[श्री सीताराम शुक्ला]

मैं अर्ज करता हूं कि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे थे जिनका यह सिद्धान्त था कि अहसान करो और वोट लो, वह पिछड़ गये। हमारे बाबू जी हैं, वह गलत चीज पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, वोट उनके पीछे घूमती है। एक साहब और हैं हमारे माननीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी वह सिफारिश नहीं करते हैं (आवाजें बाबू जी का नाम बतला दीजिये)——बाबू जी का नाम बहुत मशहूर है। अगर आप चाहते हैं तो पार्लियामेंटरी लैंगुयेज में उनका नाम आनरेबिल मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी है। मैं कहता हूं कि इसकी कोशिश कीजिये कि गलत सिफारिश बन्द हो। अगर ऐसा हो गया तो अच्छे थानेदार होंगे, अच्छे इंसपैक्टर होंगे, अच्छे कलेक्टर आदि होंगे और फिर हमारा चरित्र ऊंचा होगा। फिर हमारे यहां राम राज्य कायम होगा। महाराजा रामचन्द्र जी ने कहा है कि:——

"न मेजन पदे स्तेनो न कदर्योन मद्यपः।
नानाहुताग्निर्नाविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥"

मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कोई कायर है, न कोई शराबी है, न कोई ऐसा घर है जहां आग न जलती हो, न कोई मूर्ख है, न व्यभिचार है अतः व्यभिचारिणी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इन शब्दों के साथ प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे नये सदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। महामान्य राज्यपाल महोदय ने जो सम्बोधन सदन में दिया, उसे पढ़ कर और सुन कर हम हरिजनों को बहुत ही दुख हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती जो हरिजन आंदोलन के लिये गुजरात से अपना घर त्याग कर आये और हरिजन आंदोलन को चलाया, उसी भूमि पर महात्मा गांधी जी पैदा हुये और उन्होंने हरिजन आंदोलन को ऊंचा उठाया। आज उसी भूमि के रहने वाले हमारे राज्यपाल हरिजनों के बारे में, जिनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, जिक्र तक नहीं किया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी समस्याएं दिन प्रति दिन नीचे गिरती चली जा रही हैं जब कि हमें ऊपर उठना चाहिए। आज दस साल का मौका भी करीब खत्म है क्योंकि १९६२ में हमारा रिजर्वेशन भी समाप्त हो जायगा।

हम लोगों के लिये जो कुछ हमारी सरकार कर रही है वह बहुत ही अच्छा कर रही है लेकिन उसका कोई प्रोग्राम नहीं है, हम कैसे ऊंचे उठेंगे? आज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे यहां की सब पार्टियों के बड़े-बड़े नेता यहां बैठे हुये हैं। वोट के लिये जब यह हरिजनों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हरिजन कांग्रेस के पक्ष में हैं या सोशलिस्ट के पक्ष में हैं या जन-संघ के पक्ष में और ऊंची जाति वालों से कहते हैं कि इनके बच्चों को वजीफा मिलता है, इनके बच्चों की फीस माफ है, इनकी नौकरियां सुरक्षित हैं। लेकिन जब मैं आंकड़ों में जाता हूं कि कितने बच्चे वजीफा पाते हैं, कितने बच्चों की फीस माफ है तो साफ पता चलता है कि हरिजनों के लिये कहीं कुछ नहीं है। सरकार की नीयत तो अच्छी है, उसने १८ फीसदी रिजर्वेशन कर दिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी परसों एनिमल हस्बेंडरी के स्टाकमैनों के चुनाव में जो व्यक्ति लिये गये उनमें कोई भी हरिजन नहीं लिया गया। दो, चार हरिजन लड़के आये तो उनको लौटा दिया गया, उनकी दरख्वास्त भी नहीं ली गयी। तो जहां पर ऊंची श्रेणी के लोग बैठे हैं वे हरिजनों को ऊपर उठाना नहीं चाहते। यह तो हरिजनों की हालत है।

अभी पिछले वर्ष हमारी तरफ कुंआर की फसल बिल्कुल नहीं हुई और खेतिहर मजदूर तबाह हो गये। उनमें से कुछ बम्बई गये, कुछ कलकत्ते गये और कुछ कानपुर गये लेकिन आज भी उनके बाल-बच्चे भूखे हैं। रबी का समय आया तो उसे ओलों ने बर्बाद कर दिया। आज उनके खाने का कोई साधन नहीं है। सरकार की तरफ से जो सस्ते गल्ले की दुकानें खुलीं वे शहरों में ही खुलीं देहात में नहीं।

सब से बड़ी बात जो हमारी सरकार ने की वह काश्तकारी के सम्बन्ध में है। शिकमी में हूं, लिखा हमारे दूसरे भाई का नाम है और कब्जा एक तीसरे भाई का है और लगान शिकमी और काश्तकार, दोनों से जबर्दस्ती वसूल किया जाता है। जब एक कैफियत का खाना खोल दिया गया है तो भूतपूर्व जमींदार लोग जबर्दस्ती कब्जा करते जा रहे हैं और अगर वे कैफियत के खाने में लेखपाल को बुला कर लिखा लेते हैं तो लगान भी शिकमी काश्तकारों को देना पड़ता है और खेत पर कब्जा भी नहीं होने पाता।

दूसरी बात गांव सभाओं के सम्बन्ध में है। मैं तो कहता हूं कि सरकार एक ऐसी कमेटी नियुक्त करे जो देखे कि सन् ४६ से ५२ तक जितने सभापति हुये हैं उनके खानदान वाले, उनके रिश्तेदार लोगों ने कितनी बंजर भूमि आराजी में ले ली है। आज भी बंजर भूमि जो पड़ी हुई है उस पर वे जबर्दस्ती कब्जा करते चले जा रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मौके पर ले जाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कानून नहीं है जो उनसे छीन सकें लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बेचारे भूमिहीन लोगों को कुछ मिले। आपके जमींदारी उन्मूलन कानून में दिया है कि भूमिहीन किसानों को उसमें से जमीन दी जाय लेकिन एक बिस्वा भी उनको नहीं मिली।

एक और मिसाल लीजिए। शरणार्थी लोग यहां आये, पंजाब से आये, सिन्ध से आये। आज वे अच्छी हालत में हैं। लेकिन हरिजन वहीं के वहीं हैं। कुछ लोग भले ही उजले कपड़े पहन कर आराम से हों लेकिन हम हरिजनों की समस्या आज भी वही आज भी हमें चोर और डाकू कहा जाता है, आज भी हमें मन्दिरों में नहीं घुसने दिया जाता है और आज भी हमें नीच कहा जाता है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये जिससे उनकी कुछ भलाई हो सके।

तीसरी चीज यह है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले गये। जहां नेता लोगों का बहुमत है चाहे एरिया बिल्कुल अच्छा हो वहां खोले गये लेकिन जहां पर खराब एरियाज हैं, जहां पर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां एन० ई० एस० ब्लाक्स नहीं खोले गये, जहां सुधरी हुई जमीन है वहां पर खोल दिया गया है और पिछड़े क्षेत्र के बेचारे किसान वहीं के वहीं रह गये हैं। हमारे जिले में सबसे खराब क्षेत्र कौड़िया का कहलाता है वहां कर्नैलगंज से कुकुरभुकुआ तक और गोंडा से बहराइच तक सड़क जाती है उस पर वहां कोई विकास का काम नहीं किया गया है। वहां सरकार ध्यान दें और उस क्षेत्र को उठाने की कोशिश करे।

इसके बाद मुझे एक अर्ज और करना है। अपराधी जातियों के लिये लाखों रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने खर्च किया है और हमारी सरकार भी खर्च कर रही है लेकिन उनके मकानों का जो नमूना है उससे तो अच्छे और साफ-सुथरे मकान मुर्गियों के पालने के लिये होते हैं। खीरी-लखीमपुर जिले की भटपुरवा कालोनी में कुछ भी नहीं है। वहां काफी लोग बसे हुये हैं, लेकिन उनके लिये कोई इंतिजाम नहीं है।

गोंडा जिले की बरवार कालोनी में कितनी ही बार मांग की गई है कि वहां पर ट्यूबवेल्स लगवा दिये जायं लेकिन वहां ट्यूबवेल्स नहीं लगे हैं।

मैं इसलिये प्रार्थना करूंगा कि जो लोग अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने में लुट गये, पिट गये और मिट गये आज आप उनको उठाने की कोशश करें जिससे उनके बच्चे अच्छे नागरिक हो सकें।

श्री गौरीशंकरराय (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय.....

श्री नारायणदास पासी--अधिष्ठाता महोदय, मेरा नम्बर है।

श्री अधिष्ठाता--कोई नम्बर का सवाल नहीं है। आपको मौक़ा मिलेगा। आप बैठ जाइये।

श्री गौरीशंकरराय--माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम आप के समक्ष आज प्रातः जो कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया था मैं उसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वह कार्यस्थगन प्रस्ताव बलिया में अराजकतापूर्ण स्थिति पर था। आपके जरिये मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि आज पिछले ५-६ महीनों से बलिया में पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति है। आये दिन डकैती की खबरें सुनाई देती हैं। पिछली सात तारीख को हथौंज में एक परिवार के ४ व्यक्ति मार डाले गये। आपको यह जानकर और अधिक आश्चर्य होगा कि उन हत्यारों ने लूटने का प्रयास नहीं किया केवल मार डालने का ही प्रयास किया। आपको यह जानकर और भी अधिक कुतूहल होगा कि इसी परिवार में आज से एक साल पहले एक और डकैती पड़ी जिसमें पांच व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। अब उन बचे हुये लोगों में से ४ व्यक्तियों की और हत्या हो गई है। आपको यह जानकर और भी कुतूहल होगा कि इन डाकुओं ने कोर्टरूम में घुसते समय कुछ दिन पहले कहा था कि जो हमारे खिलाफ़ बयान देगा उस को हम बरबाद कर देंगे और फिर एक मामूली सी शिनाख्त करने के लिये एक चौकीदार की टांग कटवा ली। उनकी चुनौती थी और उस चुनौती के अनुसार जिस दिन पिछला मामला सेशन की अदालत में पेश हुआ उसी दिन उसी परिवार के उस व्यक्ति के जिसके कि लोग मारे जा चुके थे, पुत्र, पिता, छोटे भाई और नौकर की हत्या कर दी गई। वह हत्या टामीगन से हुई थी। २७ मार्च को सोनवानी गांव में हत्या हुई। एक और खास बात विदित हुई कि इन डकैतियों में आदमियों को लूटने की अपेक्षा मारे जाने की बात अधिक थी। वहां उन्होंने ढूंढ़-ढूंढ़ कर लोगों को मारा।

बलिया जिला गंगा और घाघरा के बीच में बसता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के डाकुओं के गिरोह यहां उत्पात मचाये हुये हैं लेकिन आप देखें कि बारबार मनियर, रेवती, अगरौली में पुलिस स्टेशंस बनाने के लिये निवेदन किया गया लेकिन वहां पर मामूली चौकियां स्थापित की गईं जिनके मारने के लिये एक मामूली डकैत काफी होगा। जिनके पास टामीगन्स हैं उनका मुकाबिला करने के लिये यह व्यवस्था है। मैं नम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि विरोध प्रदर्शन के लिये मैं यह नहीं कह रहा हूं बल्कि वहां की स्थिति के विषय में बताना चाहता हूं। वहां की स्थिति संतोषजनक नहीं है। दूसरे कांग्रेसी मेम्बर्स भी यहां उपस्थित हैं आप उनसे जान सकते हैं कि वहां अत्यन्त विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। इसके लिये जब तक प्रान्तीय सरकार कोई व्यवस्था नहीं करेगी तब तक परिस्थिति नहीं सम्हल सकती। वहां ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे कोई शासन नहीं है। पुलिस के शासन की बात प्रदेश के दूसरे स्थानों में की जाती है। अभी माननीय झारखंडेराय जी ने साथी वीरेन्द्र बहादुर की चर्चा की। चारों तरफ से शासन की अराजकता की चर्चा होती है। आपने साथी झारखंडेराय जी की बात पर अपनी व्यवस्था दी कि व्यक्ति विशेष का नाम न लिया जाय। मैं नाम तो नहीं लेता हूं लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों पर माननीय वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी को अपमानित करने और उनकी मूंछें उखाड़ने का अभियोग लगाया गया था उन्हीं अफसरों को आज तरक्की दी जा रही है। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य के शासन के लिये यह शोभनीय बात है।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन को न पेश करते हुए माननीय त्रिलोकी सिंह जी, नेता विरोधी दल के भाषण में कुछ छूटे हुए अंशों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसके पूर्व मैं अपने जिले बलिया की विचित्र परिस्थिति का कुछ ज्ञान कराना चाहूंगा। नक्शे से और वैसे भी आप को ज्ञान होगा कि यह जिला गंगा और घाघरा की गोद में बसा है। इस कारण इसको प्रत्येक साल कष्ट होता है। गोद में बसने के प्रेम में वह मारा जा रहा है। उसके साथ दो समस्यायें संलग्न हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे यह कहने की इजाजत दें कि १९वीं सदी से बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमारेखा का जो प्रश्न वहां के किसानों के सामने प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहने की धृष्टता कैसे करूं कि सरकार ने उसे सुलझाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि बावजूद प्रयास

करने के वह सफल अवश्य रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्यों को तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जो सदस्य उस सीमा पर हैं उनको मालूम होगा कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रश्न इस बात को लेकर प्रस्तुत होते हैं। आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि रेवेन्यू तो एक प्रान्त वसूल करता है लेकिन उस पर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन दूसरे का है। फसलों की लूट होती है, अधिकारी जाते हैं, लेकिन वह वहां पहुंच कर कहते हैं कि वह तो बिहार की सीमा है, वह हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे माननीय माल मंत्री जी को यह सारी परिस्थिति पूर्ण रूप से विदित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बिहार के माननीय माल मंत्री श्री कृष्णवल्लभ जी से हम लोग मिले और उनसे भी इस विषय में निवेदन किया। उन्होंने बताया कि इस सीमारेखा के प्रश्न को लेकर जो प्रत्येक वर्ष बलवा होता है या कत्ल होते हैं उनकी उन्हें जानकारी नहीं है। एक किसान बलिया का है। उसकी जमीन बिहार में पड़ी हुई है। वह अपनी जमीन कार्तिक के माह में बोने के लिये जाता है तो मारपीट हो जाती है। उसके लिये उसको अधिकारियों की मदद नहीं मिल सकती। जिला अधिकारी उस जमीन के लिये उससे मालगुजारी तो लेते हैं लेकिन उस पर कोई तकावी नहीं देते। यह एक विचित्र सी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज बलिया का किसान इस बात के लिये नहीं चिन्तित है कि उसे उत्तर प्रदेश का किसान कहा जाय या बिहार का। वह चिन्तित है इस बात के लिये कि उसको भूमि मिले। उसके बसने के लिये कोई उचित व्यवस्था हो। आज वह शरणार्थियों से भी बदतर है। हमारे शरणार्थी भाइयों को तो सरकार की ओर से कुछ सुविधायें प्रदान की गई हैं, लेकिन इन बलिया के किसानों के लिये कुछ नहीं है जो गंगा के उस कछार में बसे हुए हैं और प्रति वर्ष भूमि कटान के भागी होते हैं। उनके लिये कुछ व्यवस्था नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी जानकारी के मुताबिक मैं इतना जानता हूं कि अन्य स्थानों पर नदियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी की गयी है लेकिन हमारे जिले में या उसके आसपास आपको यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि कहीं-कहीं १२, १२ मील तक गंगा का कछार है और घाघरा की भी चौड़ाई काफी हो जाती है, लेकिन उसके मार्ग नियंत्रित नहीं है और न किसी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। वह नदियां वहां स्वछंद हैं और उनकी कृपा पर वे किसान वहां छोड़ दिये गये हैं। पिछले वर्ष इस सदन में कामरोको प्रस्ताव की शकल में और और दूसरी शकलों में यह चीजें पेश की गई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के कुछ गांव कोट, अजीरपुर, साहपुर, बमनौली, बड़काखेत, दराबपुर, सागरपाली, ममारकपुर आदि पिछले वर्ष बुरी तरह से कटे हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने भी वक्तव्य दिया था। बलिया शहर भी कटने वाला है। एक विचित्र सी बात है कि उसके एक ओर से तो बांध बनाया जा रहा है, लेकिन पश्चिम के कटान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर इस वर्ष अध्यक्ष महोदय, उस कटान को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो बलिया सीमा की दृष्टि से बिहार में चला जायगा। किन्तु बिहार या यू० पी० में जाने का प्रश्न इस समय नहीं है। प्रश्न तो यह है कि बलिया जहां पर गंगा और घाघरा के किनारे बसता है वहां पर अब वह टोंस के भी कटान में आ जाता है जिसके कटान से बलिया परेशान है। मैं आप के जरिये प्रान्तीय सरकार से और इस सदन के सदस्यों से कहूंगा कि सभी लोग इस मामले में गम्भीरतापूर्वक सोचें और विचार करें और तत्सम्बन्धी सहायता करने या और कोई उपाय करने का प्रयास करें। साथ ही सीमा सम्बन्धी झगड़े को भी हल करने का प्रयास किया जाय।

माननीय विरोधी दल के नेता ने भाषण किया। उनके भाषण का कुछ अंश छूट गया। जैसे ही माननीय नेता विरोधी दल अपने भाषण में म्युनिसिपैलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उनका समय समाप्त हो गया। मैं उसके सम्बन्ध में संक्षेप में आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। क्या इस सदन के सदस्यों को यह ज्ञान नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में ही जिला बोर्डों के चुनाव हो जाने चाहिये थे। मैं इस सदन के लिये नया आदमी हूं। यदि कुछ अधिक कहूं तो धृष्टता मालूम होती है किन्तु जो लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं वे लोग पिछले ५ साल से

[श्री गौरीशंकर राय]

एलेक्शन टालते रहे हैं। जब विधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो सकता है, लोक सभा का चुनाव हो सकता है और छोटी कमेटीज के मेम्बरों का चुनाव हो सकता है तो स्थानीय संस्थाओं का जिसके ऊपर आप प्रजातंत्र की भित्ति बनाना चाहते हैं उनका चुनाव ५ साल तक स्थगित करते जायं क्या यह प्रजातंत्र के नियम के अनुकूल है? कवाल टाउन्स में ४ साल से प्रजातंत्र शासन का लोप कर दिया गया है। आगे के लिये उनके लिये बिल बनाने का समय नहीं मिला है। इतने दिनों तक यहां पर चर्चा होती रही और यहां पर बिल ही बनते रहे लेकिन यह बिल जो किसी भी बिल से कम महत्वपूर्ण नहीं था और जिसकी तरफ ध्यान जाना चाहिये था उस बिल को टालते रहे। प्रदेश के पांच बड़े शहर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा और लखनऊ में प्रजातंत्र प्रणाली के आधार पर शासन होना चाहिये था उसको नहीं किया गया।

आज भी हम देखते हैं कि सरकार को कुछ भय लगता है और इस मामले को कुछ और आगे सरकार घसीटती चली जाती है। जिला बोर्डों के उपनिर्वाचन का भी प्रश्न है जिसके लगभग ११४ उपनिर्वाचन होने हैं। आज भी सरकार उसके सम्बन्ध में एक विचित्र गति से चल रही है। उस पर सरकार कोई विवाद करने को प्रस्तुत नहीं है। इस प्रकार के कार्यों से प्रजातंत्र का सम्मान कम होता है। इससे उसका मूल्य काम होता है। लेकिन मैं आपके जरिये सदन के सदस्यों से कहूंगा कि प्रजातंत्र की प्रणाली जिसका नाम लेकर सारी दुनिया को आप ऊंचे उठाना चाहते हैं उस प्रजातंत्र की दृष्टि से आप के लिये यह श्रेयस्कर नहीं है। इतिहास के विद्यार्थी आने वाले युग में आपको इस कार्य के लिये ऊंचे भाव से नहीं देखेंगे।

जहां तक जमीन के बटवार और जमीन के निर्धारण का प्रश्न है आज से कुछ वर्ष पहले इस सदन में बैठे हुये सम्मानित बुजुर्ग नेता और बड़े-बड़े नेता इस धरती को अविभाज्य समझते थे और कहा करते थे कि भूमि संसार की ऐसी वस्तु है जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना में लिखा गया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

"The expression 'family holding' has been explained earlier. It is recommended that the ceiling should be fixed at three times the family holding for an average family whose members do not exceed five in number. The ceiling may extend to a maximum of six family holdings. Each state may determine according to prevailing local conditions the basis on which the size of family should be allowed for in the application of the ceiling. A question to which every state will have to give urgent attention is the effect of malafide transfers during the past two or three years on the application of ceiling on holdings."

श्री अधिष्ठाता--इसका हिन्दी अनुवाद भी कर दीजिये।

श्री गौरीशंकरराय--इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि आपने इस पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की है कि जमीन के बटवारे का निर्धारण उसकी होल्डिंग के अनुपात पर स्वीकार करेंगे और इस काम में शीघ्रता करने की बात कही गयी है शीघ्रता का प्रश्न तो अलग रहा है, देर से भी करने की कोई बात नहीं दिखाई देती है। यह प्रश्न इस प्रदेश और देश का सबसे कठिन प्रश्न है। इस प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में किसान बसता है, उसकी राय पर हम यहां आये हैं। किसानों के प्रति, चाहे किसी दल से संबंध हो, राजनीतिक दल-बन्दी से परे होकर विचार करना होगा। भूमि वितरण के प्रश्न को अधिक दिनों तक टालना उचित नहीं है। अगर सन्दर्भ से अलग की बात न हो तो मैं सरकारी सदस्यों से कहूं कि

अगर आप भूमि का बटवारा ठीक से कर दिये होते तो ९७ की तादाद आपकी कम नहीं होती। इस मसले को सामने रखना चाहिये।

आज गवर्नर साहब के एड्रेस पर गम्भीर बहस हो रही थी। जैसे एक नाटक में प्रहसन का परिच्छेद होता है उसी प्रकार सम्मानित सदस्य श्री शुक्ला जी की शकल में एक प्रहसन का भी अंग आया था उन्होंने भाई राजनारायण जी के लिये कहा कि विशेष प्रकार की उन लोगों की शक्ल भी हुआ करती थी। अच्छा होता कि वह यह भी कह देते कि विशेष प्रकार की पोशाक भी. . . .

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री नवलकिशोर जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अधिष्ठाता महोदय, चाहे कोई सरकार पक्ष के या विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हों, हमें नहीं भूलना चाहिये कि हमने पूज्य बापू के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी उसका एक लक्ष्य था जो हमारे संविधान में है कि वर्गविहीन समाज स्थापित करके गरीबी को दूर करना और इसी तरह की चीजों को करना था। अभी ३,४ दिन पहले हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हम आगे बढ़ेंगे और कठिनाइयों को सहन करेंगे। बापू जी के शब्दों में हमें नहीं भूलना चाहिये कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि आजादी के संघर्ष में जो कुर्बानियां हमने की हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उससे हजारों गुनी कुरबानियां करनी होंगी। सरकार ने पिछले पांच वर्षों में उस लक्ष्य को ध्यान में रख कर ही कार्य किया है। हमें नहीं भूलना चाहिये कि पिछले दो या तीन वर्षों में जो अतिवृष्टि रही और उससे जो तबाही हुई उसे हमारा प्रदेश सम्भाल सका। आपने देखा होगा कि जहां लाखों आदमी बरबाद हो रहे थे उनके तन पर कपड़ा या खाने का अन्न नहीं था, रहने को मकान नहीं था, तमाम गांव बरबाद हो गये थे, उसे भी हमारी सरकार ने मेहनत और हिम्मत के साथ झेला। उसने प्रदेश भर में एक आदमी को भी भूखों नहीं मरने दिया।

आज हमारे सामने भूमि की समस्या विकट रूप में है, क्योंकि हमारा देश खेतिहर देश है और ९० फीसदी आदमी खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन हमारे यहां अधिकतम भूमि की जोत ३० एकड़ की मान्यता है जो कि काफ़ी नहीं है। जो कि हमारे ख्याल में उचित नहीं है इसका कारण श्रीमन्, यह है कि हमारे देश में ६,३२,१५,४४२ मनुष्य रहते हैं, इसमें ४,६८,९६,६७० मनुष्य खेती पर निर्भर हैं, इनमें ३८,१२,२०९ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास खेत नहीं है भूमिहीन हैं। हमारे प्रदेश में ३,९७,६९,००० एकड़ जमीन जोत में है। इसके साथ ही १,०२,४०,००० एकड़ जमीन बंजर है। ऐसी दशा में श्रीमन्, जो आंकड़े हमारे सामने हैं अब उनके जमीन के बटवारे की स्थिति इस प्रकार है--एक बिस्वा से लेकर ५ एकड़ जमीन जोतने वाले किसानों की आबादी ८१ प्रतिशत है और उनके पास जो कुल जमीन जोत की है वह ३९ प्रतिशत है। इसके बाद ५ एकड़ से लेकर १६ एकड़ तक जमीन जिन किसानों के पास है उनकी संख्या १६.५ प्रतिशत है, उनके पास भी ३९ प्रतिशत जमीन है। १६ एकड़ से ज्यादा जमीन जिन लोगों के पास है उनकी संख्या ढाई प्रतिशत है और उनके पास कुल जोत की २२ प्रतिशत जमीन है। ये सरकारी आंकड़े हैं उनको देखने से यह मालूम होता है कि जो ३० एकड़ जमीन हमारे यहां अधिक से अधिक रखी गयी है, वह निम्नतम जोत के हिसाब से नहीं रखी गयी है। ऐसी दशा में यह असमान चीज है। आज हमारे सामने खेतिहर मजदूरों और ऐसे किसानों जिनके पास खेती नहीं है, उनकी समस्या बड़ी प्रबल है। वे काम करना चाहते हैं लेकिन करें तो कहां करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दास पासी]

ऐसी दशा में हमें इस समस्या पर पुनः विचार करना चाहिये और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या को हल करने का पूर्ण प्रयत्न करे।

श्रीमान जी, हम माननीय माल मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि जमींदारी अबोलीशन कानून पास कर के उन्होंने चकबन्दी का कानून बनाया, यह हमारे लिये बड़े फख्र की बात है। इस पर हमने पूर्ण रूप से विचार भी किया है उसके बारे में हमें यह कहना है कि चकबंदी कानून के अन्दर कुछ बातें अनहोनी हुई हैं। जो जबरदस्त लोग थे उन्होंने छोटे किसानों को दबाया और जबरदस्ती उनसे स्तीफा ले लिया। यह दशा हमारे फैजाबाद के अन्दर है। इस ओर मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां फैजाबाद में जिस वक्त चकबन्दी कानून लागू हुआ उस समय ७,२३,००० गलतियां थीं और वह शुद्ध नहीं हो पायीं। वहां पर लोगों से स्तीफा लिखाये गये। और आज फैजाबाद में स्थिति यह है कि वह किसान जिन लोगों के पास पहले जमीन थी और जिन्होंने दबाव में पड़ कर स्तीफा दे दिया था उसको भी चकबन्दी कानून के अन्दर दो वर्ष हो गये हैं और अभी तक उनकी वही दयनीय दशा बनी हुई है। उन पर लगान ड्योढ़ा हो गया है और अभी तक लगा चला आता है। उसको सरकारी अधिकारी वसूल करते हैं। खेत उनके पास नहीं रहे लेकिन लगान उनको देना पड़ता है।

दूसरी तरफ बीकापुर तहसील में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। चकबन्दी कानून में यह रख दिया गया है कि जिसका परताल में कब्जा होगा उसका ही अधिकार समझा जायगा। इसका वहां पर दुरुपयोग किया जा रहा है। लेखपालों से लिखा-लिखा कर जबरदस्त लोग काबिज बन गये हैं। बीकापुर तहसील में जो हमारा क्षेत्र है वहां चकबन्दी लागू होने के पहले गांव-गांव कितने ही ग़रीब किसानों की यह हालत है कि उनके पास एक खेत नहीं रह गया है। जो जबरदस्त लोग थे उन्होंने उनके खेतों पर कब्जा कर लिया है लेकिन लगान उनको जिनका खेत छीन लिया गया देना पड़ता है। इस तरह से हमारे यहां चकबन्दी के अन्दर ऐसी बातें हुई हैं जिससे हमारे यहां की जनता बहुत परेशान है। अब श्रीमान् जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमारे यहां १६ लाख के कुछ ऊपर ही भूतपूर्व अपराधशील जातियां रहती हैं जिनके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कुछ जिक्र नहीं किया है। साढ़े पांच हजार से कुछ ऊपर आदमी ऐसे हैं जो सेटेलमेंट के अन्दर रहते हैं जिनके लिये सेंटर से कुछ ग्रान्ट मिलती है और हमारे यहां की गवर्नमेंट भी कुछ ग्रान्ट देती है जो उनके ऊपर खर्च होता है। लेकिन श्रीमन् जी, इसके ऊपर ध्यान रखें और यह सोचने की बात है कि ये जो भूतपूर्व अपराधशील जातियां हैं उनमें से कुछ जातियां ऐसी हैं जैसे भर, गूजर, पासी आदि। इस तरह से इनमें कुछ जातियां तो ऐसी हैं जो पिछड़े वर्ग के अन्दर हैं और कुछ जातियां हरिजनों के अन्दर हैं। जो जातियां हरिजनों के अन्दर हैं उनको तो हरिजन ग्रांट से जो रुपया मिलता है उससे वे थोड़ा बहुत फायदा उठाते हैं लेकिन जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको कोई फायदा नहीं हो पाता है। मैंने प्रश्नों के जरिए कई दफा सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया था और इस तरह का आश्वासन भी दिया गया था कि पिछड़ वर्ग की अपराधशील जातियों के लिये भी ग्रान्ट देने का प्रयत्न किया जायगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। मैं आपके सामने उसके सम्बन्ध में थोड़ी बहुत बातें कह देना चाहता हूं।

यह सन् १९५७ है और हमारे सामने सन् १८५७ का गदर का इतिहास मौजूद है। १० मई, १८५७ को सबसे पहले गुर्जर जाति ने ही इस प्रदेश में गदर का झंडा उठाया था जो कि आज भूतपूर्व अपराधशील जातियों के अन्दर कही जाती हैं। यहीं से गदर की हवा इस प्रदेश में तथा देश के अन्दर फैली थी। ये जो अपराधशील जातियां कही जाती हैं उनको सन् १८७१ ई० में जो होम मिनिस्टर जे० बी० स्टीफेन्स थे, उन्होंने इन भूतपूर्व अपराधशील जातियों को सरकार विरोधी और बागी करार दिया। उनको जरायम पेशा कानून के अन्दर जकड़

कर बरबाद व परेशान किया गया जिससे उनकी दशा बड़ी ही शोचनीय हो गयी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां पर भूतपूर्व अपराधशील जातियों का इन्तजाम किया जाय वहां केवल उन्हीं का इन्तजाम न किया जाय जो कि सेटेलमेंट में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं या कालोनीज में रहते हैं बल्कि उन १६ लाख से ऊपर जो गरीब आदमी हैं और जो बाहर रहते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाय जिससे उनका उचित प्रबन्ध हो सके। उनको अपने अधिकारों से वंचित रखना अन्याय ही होगा।

अन्त में मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कुछ और बातें भी कही हैं जिनका जिक्र करना जरूरी समझता हूं। उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया है कि वे कुछ मास में ही हमसे अलग होने वाले हैं। हमारा हृदय इस बात से द्रवित हो जाता है कि ऐसे महापुरुष जो त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं जिनका सहयोग हमारे शासन के लिये बराबर रहा है वह इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा अब हमें उनका वियोग बरदाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इस वियोग को हम बरदाश्त करते हुये यह आशा करते हैं कि वे जहां भी जायेंगे उनका प्रेम हमारे लिये बराबर बना रहेगा वे चिरंजीवी हों, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नवलकिशोर जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यद्यपि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में हमारी सरकार ने क्या-क्या किया है और क्या कर रही है इस बात पर काफी प्रकाश डाला है किन्तु जिस प्रकार से बहुत कीमती कार जो ४०, ५० हजार रुपये की खरीदी हुई हो, वह ऊबड़-खाबड़ रास्ते और ऊंची नीची जगह पर नहीं पहुंच पाती है, ठीक इसी प्रकार से कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे सामने नहीं आयी हैं। उस पर मैं कुछ अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ श्रमिकों का जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के श्रमिकों में एक ऐसा समाज या वर्ग भी है जो श्रमिकों में सबसे निम्न श्रेणी का है। जिसे हम मेहतर कहते हैं। मुझे शर्म लगती है, मुझसे पहले श्री गंगाप्रसाद जी भी यही कर रहे थे दुख इस बात का होता है कि जिस वर्ग का जो व्यक्ति होता है, जिस वर्ग का वह माननीय सदस्य होता है वही अपनी बात अपनी जबान से माननीय सदन के सामने रखे तो उसमें जरा संकोच सा होता है परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता संकोचवश तो वह चीज दृष्टि से ओझल हो जाती है, इसलिये विवश होकर स्वयं ही अपनी बात कहनी पड़ती है। मैं कह रहा था कि श्रमिक वर्ग में एक मेहतर वर्ग ऐसा है जिसे हम श्रमिक वर्ग में लाना चाहते हैं। इस प्रदेश में मिल आदि में तमाम श्रमिक कार्य करते हैं, उनके तमाम संगठन हैं लेकिन बेचारे मेहतर कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी कोई श्रमिक संस्था नहीं है, सफाई मजदूर संघ के नाम से उनको श्रमिकों की श्रेणी में लाने की कई बार हमने कोशिश की। जो सुविधायें मिल के श्रमिकों को मिलती हैं वह इन गरीब मेहतरों को नहीं मिलतीं। न तो उनके बच्चों के लिये कोई पढ़ाई के साधन मिलते हैं, न कोई चिकित्सा की व्यवस्था है, कोई उनके इलाज या दवा की व्यवस्था नहीं है, न उनके कोई मनोरंजन गृह हैं। लखनऊ या कानपुर की बात तो दूसरी है लेकिन हमारे सूबे के जो अधिकांश लोकल बाडीज हैं वहां पर कोई भी इस प्रकार के साधन उनके लिये उपलब्ध नहीं हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैंने इन बातों की कितने ही स्थानों में जाकर जांच की है। अभी जब मैं चुनाव के संबंध में अपने क्षेत्र में जगह-जगह घूमता था तब जहां कहीं भी जाकर मैं मेहतरों के घर देखता था, वे ऐसे स्थान होते थे कि मैं सोचता था कि मैं अपने साथ फोटो कैमरा क्यों नहीं लेता आया कि एक चित्र बना कर दिखा सकता कि कितने गन्दे स्थान हैं जहां मक्खियां भिनभिनाती नजर आती हैं। इतनी बुरी दशा में वे रहते हैं कि शहर के रहने वालों के कुत्ते भी उनसे अच्छी हालत में रहते होंगे।

[श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि]

मेहतरों के अलावा हमारे सूबे में एक और जाति के लोग भी रहते हैं। अभी हमारे कुछ साथियों ने सदन में हरिजन समस्या पर कहा, लेकिन उनके अलावा उन्हीं से मिलती जुलती दशा हमारे प्रदेश में कंजरों की भी है। उनकी भी बड़ी बुरी हालत है। इन बेचारे कंजरों को भी किसी प्रकार से उत्थान के साधन नहीं मिलते। कंजर बिरादरी के बच्चों और महिलाओं को भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। यद्यपि हमारे हरिजन वर्ग को सरकार की ओर से बहुत से अनुदान दिये जाते हैं लेकिन कुछ इस तरह से पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है कि उनका रहन-सहन का स्तर बहुत गिरा ही चला आता है और किसी प्रकार की सहायता उनके लिये उपलब्ध नहीं होती।

वेतन के बारे में भी अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूं कि इन बेचारे मेहतर श्रमिकों को इतना कम वेतन मिलता है कि जिससे वे एक वक्त भी अच्छा भोजन नहीं कर सकते। हमने कई बार बड़े-बड़े जलसे करके सरकार के सामने उनकी मांगें पेश कीं और जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो वही अपनी पुरानी समस्या लेकर जाते हैं। कई बार हमने सदन में भी आवाज उठाई और कहा लेकिन आज तक जिन समस्याओं पर हमने प्रकाश डाला उन पर कोई विचार नहीं किया गया और कोई नई तजवीज नहीं निकाली गई। हमें इस गिरे हुये वर्ग की समस्याओं को याद करके महान दुख होता है, मैं नहीं कहता कि मेहतर समाज को तमाम हरिजनों से ऊपर उठा दिया जाय लेकिन मैं मिसाल दूंगा कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाय और ईश्वर न करे कि उस दशा में सौ पचास आदमी घायल हो जाय, तो सबसे पहले डाक्टर उनको देखेगा कि जिनकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक होगी। जो लोग कुछ ठीक होंगे उनको कहेंगे कि पंखा झल कर बिठा दो। लेकिन पहले इन्जेक्शन या फर्स्ट एड उनको मिलेगी, उनको देंगे जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है। अगर इस समाज-रूपी जंजीर की एक भी कड़ी कमजोर रही तो कैसे हम इस राष्ट्र को अच्छी तरह से बांध सकते हैं? यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती और जैसा मैंने कहा, आपको मिसाल दी, जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वह उस स्थान पर पहुंच नहीं पाते जहां ये गंदे, भूखे, नंगे लोग रहते हैं।

राज्यपाल महोदय ने कुछ अनाथालयों की बात इसमें कही है। मैं समझता हूं कि वह माननीय सदस्य जो अक्सर चारबाग स्टेशन से अपने जिले को जाते हैं वह देखते होंगे कि हम जब ऊपर के पुल से नीचे की तरफ जाते हैं, पत्थरों की सीढ़ियों पर जहां पर रिक्शे वाले खड़े होते हैं, वहां ऐसा मालूम होता है कि सीढ़ियां उन्हीं के लिये बनायी हुई हैं। एक के ऊपर एक पचासों लड़के वहां पर पड़े रहते हैं और दिन को या रात को दो तीन घंटे सो लेते हैं और वही लड़के हैं जो लोगों की गठरी उठा लेते हैं और वही लड़के हैं जो दिलकुशा के पास से कान्यकुब्ज कालेज तक कोयले की गाड़ियों से कोयला चुराते हैं। यही नहीं, तमाम मालगाड़ियां जो जाती हैं, उनमें से और सामान भी चुरा लेते हैं। वह लड़के दस-दस, पांच-पांच, ४०-४० की टोली में घूमते हैं, भीख मांगते हैं और पाकेट भी काट लेते हैं। जब ऐसी चीजें चल रही हैं तो इन बातों को अवश्य देखना चाहिये तथा उनका इन्तजाम करना चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करूं और वह यह कि हमारे यहां बैगर हाउस भी बने हैं? लेकिन अब भी यहां लखनऊ में देखिये खासकर वृहस्पतिवार को जुमेरात के दिन यहां हजारों की तादाद में भिखमंगे, जिनके अंग सड़े गले हो गये हैं, इस तरह से सामने आते हैं। वृहस्पतिवार के दिन अमीनाबाद और सदर आदि में दूकानें बन्द रहती हैं तो यह भिखमंगे सैकड़ों की तादाद में पहुंच जाते हैं और भीख मांगते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी दशा हो रही है। इसको बन्द होना चाहिये। कुछ स्कूलों का जिक्र आया। मैं जैसे अर्ज कर रहा था उन गंदी बस्तियों का जहां मेहतर अथवा कंजड़ों की बस्ती हैं। वहां पर कुछ प्राइमरी स्कूल खोले जायं और मनोरंजन गृह भी खोले जायं। वाचनालय खोले जायं।

इसके अतिरिक्त एक बात गृह-उद्योग की है जो मैंने पिछले साल के बजट में भी कही थी। जहां म्युनिसिपैलिटीज हैं या लोकल बाडीज हैं वहां पर जो सफाई करने का यंत्र है वह बांस का बनाया हुआ झाड़ू है। यह मेहतर बांस के झाड़ू बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। हमारे यहां हरिद्वार में एक कनखल बस्ती है। वहां से मेरठ, सहारनपुर, देहरादून तक हजारों की तादाद में झाड़ू सप्लाई होते हैं। अगर उनको सहायता देकर, कोई कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर, उनके उद्योग का प्रबन्ध कर दिया जाय तो उनकी बेकारी की समस्या भी दूर हो सकती है। मेहतर पहले तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। और कन्हैयालाल के कहने से अगर जान पर खेल जायं और पढ़ाने भी लगे तो उसको अच्छा काम नहीं मिलता। बनारस में मेरे एक दोस्त हैं जिनके एक लड़के ने आठवां पास किया। वह जब आठवें में पढ़ रहा था तो मैंने कहा दसवां पास करा लो तो कहीं अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा या टेक्निकल स्कूल में भरती करवा दूंगा। जब दूसरी बार मैं बनारस गया तो देखा कि वह लड़का डलिया लिये हुये झाड़ू दे रहा है। मैंने कहा उसके पिता से यह क्या हुआ, तो उसने कहा कि आठवां पास करवा के मेहतरों की जमादारी भी नहीं दिलवा सका। एक तो हम बेकार उसको पढ़ा लिखा कर पैसा खर्च करें और अगर पढ़ा लिखा भी दें तो बेचारे पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी नहीं करा सकते। तो यह बड़े दुख की चीजें हैं जिनको मैं बतला रहा हूं। इस तरह से गृह-उद्योगों के लिये उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बना कर उनको धन की सहायता देकर उनकी आर्थिक दशा सुधारने की जरूर कोशिश करनी चाहिये। मैं आपके सामने अधिक नहीं कहता।

मैं पिछड़ी बिरादरी में जो सबसे ज्यादा गिरी हुई बिरादरी है उसकी तस्वीर आपके समने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक कंजर और दूसरे मेहतर ये दोनों हर तरह से बहुत परेशान हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो मेहतरों की मांगों के लिये म्युनिसिपैलिटियों में जाकर हड़ताल करवाते हैं। आश्चर्य की बात है कि शाहाबाद के चेयरमैन और बिलग्राम के चेयरमैन ने प्रस्ताव पास कराके गवर्नमेंट के पास भेजा शाहाबाद के चेयरमैन ने प्रस्ताव पास किया कि मेहतरों की वेतन वृद्धि की जाय, लेकिन वह यहां से नामंजूर हो गया। मैं जब वोट मांग रहा था तो उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल से मांग करो कि वह तनख्वाह बढ़वायें। इसी प्रकार बिलग्राम के चेयरमैन ने यह सिफारिश करके भेजी कि प्राइवेट घरों का मैला कूड़ा इन मेहतरों को दे दिया जाय। लेकिन वह चीज यहां से नामंजूर हो गई। मैं आपसे कहूं कि हमारे यहां हरदोई के मेहतरों की कई लड़कियों की २०, २५ साल की अवस्था तक शादी नहीं हो पाती। कारण यह है कि माली हालत ठीक नहीं है। प्राइवेट घरों का कूड़ा बेंच देते थे उससे रुपया मिलता था तो उन लड़कियों की शादी होती थी, वह चीज अब नहीं रही। तो अभी तक इस दर्दनाक कहानी पर विचार नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि देश का हर मनुष्य जिनके पास विनोबा और गांधी जी जैसा हृदय है वह यह कहेगा कि सचमुच स्वतंत्रता अभी नहीं आयी। जब तक गरीब तबका नहीं उठता तब तक हमारा देश पूर्ण स्वतंत्र नहीं होगा। जिस तरह से पांडवों का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था सबसे नीचे एक भक्त को बुलाये बगैर ठीक उसी प्रकार हमारे देश की स्वतंत्रता लंगड़ी रहेगी अगर इन मेहतरों को नहीं उठाया गया।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संयोग की बात है कि कल हमको पढ़ने के लिये दो डौक्यूमेंट्स दिये गये साथ-साथ। एक डौक्यूमेंट बहुत छोटा है और दूसरा कई सौ पेज का है। जो कई सौ पेज वाला है उसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं और जो बहुत छोटा सा है और माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के नाम से दिया गया है उसमें भी वही बातें हैं। इस बात के लिये अगर धन्यवाद दिया जाना हो कि बहुत बड़ी पोथी पढ़ने के बजाय कोई अगर संक्षेप में देखना चाहे कि पिछले सालों में क्या हुआ, बहुत मेहनत की है राज्यपाल महोदय ने, तो वह उसमें मिल जायगा और मैं उसके लिये राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये तैयार हूं। लेकिन यह जो पहला विशलेषण है उसमें और जो दूसरा है,

[श्री आचार्य दीपंकर]

जो उनके सम्बोधन के नाम से है, यह बहुत ही विभ्रमों से और भ्रमों से भरे हुये हैं। दरअस्ल क्या कहना चाहते हैं यह पता नहीं है। जिनकी तरफ से राज्यपाल महोदय कहना चाहते हैं उनको तो बिलकुल पता ही नहीं है। कहते हैं कि हम इस सूबे में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे समाजवाद है क्या तो कहते हैं उसकी परिभाषा का हमें पता नहीं हैं। इसी में लिखा है आखिरी पेज में कि समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन उसकी परिभाषा करना हमारे लिये बहुत कठिन है। मैं देश के और मसलों पर न जा करके इस वक्त जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसी के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह समझता हूं कि इस सदन को माननीय राज्यपाल के इस सम्बोधन के ऊपर कतई धन्यवाद नहीं देना चाहिये और इसकी बात करना अपने आपको भी यह मान लेना है कि हम किंकर्त्तव्य विमूढ़ हैं। हम क्या करना चाहते हैं आइन्दा के लिये और पिछले जमाने में पांच वर्ष तक हम क्या करते रहे हैं, अन्धा-धुन्ध चलते रहे हैं, जहां कहीं लाठी पड़ गई वहां जख्म होता रहा है, जहीं नहीं पड़ी है वहां नहीं हुआ। तो पिछले पांच सालों का तो यह हाल है और अगले पांच साल में क्या होना है उसका कुछ पता नहीं है ऐसे कन्फ्यूजन के लिए हम कोई धन्यवाद देने के लिए तैयार नहीं है।

समाजवाद की बात की जाती है और किया क्या जाता है, पिछले पांच साल में हुआ क्या है? एक चुर्क में सीमेंट फैक्ट्री खोल दी गई है। बहुत से लोगों के लड़के हैं। मेरा लड़का अभी इंग्लैंड से पढ़कर आया है, फलां सब्जेक्ट जानता है उसके लिए एक डिपार्टमेंट खोल दिया जाय रिसर्च करने के लिए। इस तरह से मैं तो ऊब गया। जो यह डाक्यूमेंट दिया गया उसको पढ़ने की कोशिश की मगर मैं नहीं जानता कि जिन्होंने इसको लिखा है उन्होंने फिर दुबारा इसको पढ़ा भी है या नहीं? पढ़ा और जिन्होंने इसको छपवाया है वह किस लिए छपवाया है। बहुत सी बातें बार-बार छपी हुई हैं। मैं यह समझता हूं कि इन तमाम चीजों में प्लानिंग का नाम जो हमारे सामने आता है। उसमें जवाहर लाल जी का एक फ्रेश माइंड, ताजा दिमाग जरूर दिखाई पड़ता है जोकि कलोनियल कंडिशंस में किस तरीके से दो व्यवस्थाओं को साथ-साथ चलाते हुए यह चीज चल सकती है, उसकी एक ताजी मिसाल हमारे सामने आती है। जब हम दिल्ली से चलते हैं और देखते हैं तो जवाहर लाल दिखाई पड़ते हैं और नीचे यू० पी० में आते हैं तो प्लानिंग के नाम पर ऐसी शक्लें दिखाई पड़ती हैं जो जितना प्लानिंग बदनाम है उतना ही वह खुद भी बदनाम है और जनता का वर्डिक्ट भी सामने है। मैं यह समझता हूं कि पिछले पांच साल में कुछ किया नहीं जा सका, कुछ बताने के लिए है नहीं कि हमने यह किया और आइन्दा क्या करेंगे इसका भी कुछ पता नहीं है तो प्रोग्राम क्या निकलता है आजकल कि जाकर केन्द्रीय सरकार से लड़ो। पिछले सालों में अगर कुछ नहीं कर पाये हैं तो उसका कारण यह है कि हम तो बार-बार मांग करते रहे, केन्द्र ने नहीं दिया। जाकर केन्द्र से लड़ो। हम विरोधी दल के लोग या कांग्रेस के ही कुछ लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि जाकर केन्द्र से लड़ो। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें बहुत ही गलत हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात जो रखी गई है उसमें आत्म आलोचना होनी चाहिए।.....

श्री अधिष्ठाता—माननीय दीपंकर जी, आप जरा बैठ जाइए। एक जरूरी काम है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०६–१०९ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

आचार्य दीपंकर--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था और कंसोलिडेटिंग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने को था लेकिन अब मैं कुछ कहना चाहता हूं कुछ फुटकर सवालों के ऊपर मसलन एक सवाल चकबन्दी का उठाया गया। चकबन्दी का इस सूबे के जिन-जिन इलाकों में काम हुआ है, कम से कम आठ, दस इलाकों से मैं वाकिफ हूं। कितना अन्धेर, कितना जुल्म वहां हुआ है, कितनी ज्यादा वहां पर रिश्वतें चल रही हैं, कितने गलत चक बने हैं, यह सब देख कर मैं तो कम से कम जो चकबन्दी का उपासक था और सोचता था कि चकबन्दी फायदे की चीज होगी, यह पा रहा हूं कि वह बहुत ही नुकसान की चीज साबित हो रही है। मैं यह नहीं कहने के लिए तैयार हूं कि पांच साल में कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले पांच साल की कांग्रेस की आलोचना करते हुए या किसी पार्टी विशेष की आलोचना करते हुए यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ न होने में भी इस देश की जनता ने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ है क्या उससे ज्यादा नहीं हो सकता था, जैसा कुछ हुआ है क्या उसस बढ़िया नहीं हो सकता था? मैं समझता हूं उनसे बहुत अच्छा हो सकता था।

श्री अधिष्ठाता--अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ; २५ चैत्र, शकाब्द १८७९
(१५ अप्रैल, १९५७ ई०)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०४ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५७

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाय:—

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ५ द्वारा किये गये संशोधन, इस अधिनिमि के प्रचलित होने के पहले वाले किसी भी वर्ष के निमित्त कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी लागू होंगे चाहे ऐसे कर-निर्धारण किसी भी स्तर पर पूर्ण हो गये थे या पूर्ण हो गये हैं अथवा नहीं पूर्ण हो गये थे या नहीं पूर्ण हो गये हैं।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ की धारा ३ का संशोधन।

२—मूल अधिनियम की धारा ३ में:—

(१) उपधारा (१) में शब्द "तीन पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "दो प्रतिशत" रख दिये जायं, तथा

(२) उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "६ पाई प्रति रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन प्रतिशत" रख दिया जाय।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "१ आना प्रति रुपया" के स्थान पर शब्द "छै प्रतिशत" रख दिया जाय।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३-कक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

कुछ मालों के संबंध में कर की दर तथा अवस्थान (Rate and point)।

३—कक (१) धारा ३ या ३-क में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित मालों के विक्रय-धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़कर, बिक्री-कर नहीं लगेगा तथा कर की दर २ प्रतिशत से अधिक न होगी:—

(१) कोयला, जिसके अन्तर्गत कोक अपने सभी रूपों में है,

(२) रूई, अर्थात् सब प्रकार की रूई (देशी अथवा विदेश से आयात की हुई) अपनी कच्चे माल वाली अवस्था में, चाहे ओटी हो अथवा न ओटी हो, गांठ बनाई गई, दबाई गई लेकिन इसके अन्तर्गत छीजी रूई (Cotton waste) नहीं है ।

(३) खालें तथा चमड़े (Hides and Skins) चाहे कच्चे हों अथवा परिशोधित अवस्था में हो ।

(४) लोहा तथा इस्पात्, अर्थात् (क) कच्चा लोहा (Pig-Iron) तथा लोहे का क्षेप्य (Iron Scrap)।

(ख) लोहे का प्लेटे (lru plates):

सीधे उसी रूप में जिसमें वे रोलिंग मिलों (rolling mill) में बनी हों ।

(ग) इस्पात का क्षेप्य (Steel Scrap) इस्पात के पिण्ड (steel ingots) इस्पात पिण्डक (steel billet) इस्पात के सीक्चे (Steel bars) तथा सरियां (rods),

(घ) इस्पात की प्लेटें (Steel plates)
(२) इस्पात की चादरें (Steel Sheets)
(३) शीट बार (Sheets bars) तथा टीन की सरिया (Tin bars)
(४) रोल किये हुये इस्पात के भारी टुकड़े (Rolled and Steel Section)
(५) टूल आलाय स्टील (Tool alloy Steel)

} उसी रूप में बिक्री जिसमें कि वेल्लन निर्माणी मिलों से सीधे बनते हैं ।

(५) पटसन अर्थात्, कोरकोरस (Corchorus), कैपसूलैरिस तथा कार्कोरस ओलीटोरियस उप-जातियों से निकाले गये रेशे (fibre) तथा हिबिसकस केनापिनस (Hibiscus cannapinus) तथा हिबिसकस सब डेरी फेयर एलटिस्मा (Hibiscus sub dari favar altissima) से निकाले गये रेशे जिनको मेस्टा या बिमली (mesta or bimli) कहा जाता है. चाहे उनकी गांठे बनाई गई हों या न बनाई गई हों ।

(६) तिलहन (oil-seeds) अर्थात् ऐसे तिलहन जिनसे मनुष्यों द्वारा काम में लाये जाने वाले, न उड़ने वाले (Non-Volatile) तेल निकाले जाते हों, या जो उद्योग में अथवा वार्निस, साबुन तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों के निर्माण में, अथवा स्नेहन (lubrication) के लिए प्रयुक्त किये जाते हों, तथा ऐसे उड़ने वाले तेल जो मुख्यतः औषधियों, सुगंधियों, शृंगार प्रसाधनों (Cosmaties) तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिए मुख्यतः प्रयुक्त होते हों ।

(२) जब तक कि व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे, उपधारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त व्यापारी द्वारा की गई, प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गई बिक्री समझी जायगी ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ में एक नयी धारा ३-ग का रखा जाना ।

५--मूल अधिनियम की धारा ३-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ३-ग के रूप में रख दिया जाय:--

"३-ग किसी भी विघटित संस्था (firm) इत्यादि के कर का दायित्व--

यदि व्यापारी एक संस्था, अथवा व्यक्तियों का संघ, अथवा संयुक्त हिन्द कुटुम्ब है तथा ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया है, तो--

(क) इस अधिनियम के अधीन ऐसी संस्था संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा ऐसे बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिए देय कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा (assessed and determined) मानो कि ऐसी बन्दी हुई ही न हो, तथा

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे बन्दी के समय ऐसी संस्था का हिस्सेदार, अथवा ऐसे संघ अथवा कुटुम्ब का एक सदस्य रहा हो, तो वह ऐसी बन्दी के होते हुए भी ऐसी संस्था, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा देय निर्धारित कर का भुगतान करने के निमित्त पृथक-पृथक अथवा संयुक्त-रूप से कर देने का उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसा कर निर्धारण बन्दी (discontinuance) के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो तथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अथवा हिस्सेदार स्वयं ही एक व्यापारी हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पूर्वोक्त रूप में हिस्सेदार अथवा सदस्यों द्वारा देय कर जब उनसे न वसूल किया जा सके तो वह कर-निर्धारण के समय पुनः संघटित संस्था अथवा संघ से वसूल किया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण--किसी संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन (dissolution) अथवा पुनः संघटन (reconstitution) अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार की स्थगन बन्दी समझी जायगी ।

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा ८-क का संशोधन ।

६--मूल अधिनियम की धारा ८-क की उप-धारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा (६) के रूप में बढ़ा दिया जाय:--

"(६) कर-निर्धारक अधिकारी जहां पर राजस्व की सुरक्षा के निमित्त उसे ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, इस धारा के अधीन किसी व्यापारी को रजिस्टर्ड करने के लिए अथवा उसके ऐसे रजिस्ट्रेशन को बनाये रखने के लिये यह अपेक्षा

आरोपित कर सकता है कि व्यापारी उस कर की अदायगी के निमित्त जिसका कि वह देनदार हो या आगे चलकर देनदार हो जाय, ऐसे अधिकारी द्वारा अपेक्षित धनराशि की, तथा उसी के द्वारा अपेक्षित रीति से, प्रतिभूति देगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कमिश्नर की पूर्व अनुमति के बिना इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी।"

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा १८ में (१) शब्द "व्यापार बन्द होने वाले महीने की समाप्ति के तीन दिन के भीतर" के स्थान पर शब्द "ऐसे व्यापार के पन्द्रह दिन के भीतर" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के अधीन वर्तमान "स्पष्टीकरण" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"स्पष्टीकरण--किसी व्यापारिक संस्था अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनर्संगठन, अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायगा।"

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, जैसा कि वह इस समय है, उन फार्मों से जो कुछ काल तक व्यापार करने के पश्चात् विघटित हो जाते हैं, बिक्री-कर निर्धारण तथा उगाही की रीतियों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं करता। इस कमी को दूर करने के विचार से ऐक्ट को उचित रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है। दशमलव सिक्कों (decimal coinage) के तथा सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ के प्रचलन के फलस्वरूप कतिपय संशोधनों का भी इसी अवसर पर समावेश किया जा रहा है।

तदनसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त-मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २१ एल० ए०--१९५७--७९६।